# PERFECT 7
## साप्ताहिक
### समसामयिकी

अगस्त-2019 | अंक-2

# अनुच्छेद 370 में बदलाव

**कश्मीर मुद्दे का कहाँ तक हल है?**

- तीन तलाक पर पाबंदी: मुस्लिम महिलाओं को विधिक संरक्षण
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक, 2019: एक अवलोकन
- मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019: एक परिचय
- शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए स्तनपान का महत्त्व
- भारत-अफ्रीका संबंधों का बदलता परिदृश्य
- भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष: एक विश्लेषण

ध्येयIAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

# फिर लहराया परचम

पिछले वर्ष हमने बुलंदियां छुई
और इस वर्ष बनाए कुछ नए कीर्तिमान

2017 में 120+ सफलताओं के बाद UPSC-2018 में भी 122+ चयन

AIR 1 KANISHAK KATARIA

AIR 3 JUNAID AHMED

## ADMISSIONS OPEN FOR *NEW SESSION 2019-20*

**MUKHERJEE NAGAR (DELHI)**
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 2:30 PM

**LUCKNOW (ALIGANJ)**
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8:30 AM

**LUCKNOW (GOMTI NAGAR)**
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 5:30 PM

**LAXMI NAGAR (DELHI)**
सामान्य अध्ययन
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM
UP PCS TARGET FOR PRE
22 AUG | 6 PM

**PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)**
सामान्य अध्ययन
Pre-cum-Mains
1 SEP | 5:30 PM
Focus Pre Batch
19 AUG | 5:30 PM

**LIVE STREAMING**
सामान्य अध्ययन
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM

**COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES**
TARGET 2020
18th AUGUST 2019
TOTAL 37 TESTS

**वैकल्पिक विषय**
- समाजशास्त्र
- इतिहास
- भूगोल
- राजनीति विज्ञान
- हिन्दी साहित्य

**Face to Face Centres**
**DELHI (MUKHERJEE NAGAR)** : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

**Live Streaming Centres**
**BIHAR** : PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621| **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469| **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099| **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400
YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

# ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

**विनय कुमार सिंह**
**संस्थापक एवं सीईओ**
**ध्येय IAS**

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

**क्यू. एच. खान**
**प्रबंध निदेशक**
**ध्येय IAS**

# Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

**कुरबान अली**
**मुख्य सम्पादक**
**ध्येय IAS**
**( पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी. )**

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

**आशुतोष सिंह**
**प्रबंध सम्पादक**
**ध्येय IAS**

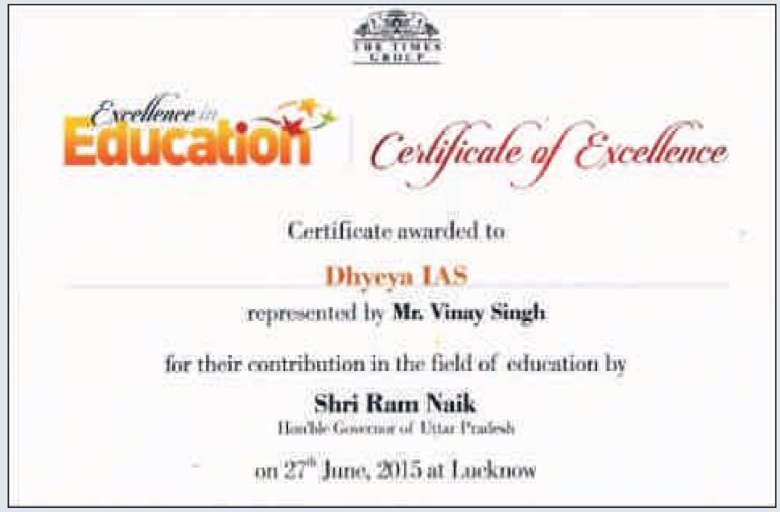


# प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

# Perfect 7


## साप्ताहिक संस्करण
**Perfect 7**

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

अगस्त-2019 | अंक-2



**संस्थापक एवं सी.ई.ओ.**
विनय कुमार सिंह

**प्रबंध निदेशक**
क्यू.एच.खान

**मुख्य संपादक**
कुरबान अली

**प्रबंध संपादक**
आशुतोष सिंह

**संपादक**
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी, रजत झिंगन, अवनीश पाण्डेय, शशिधर मिश्रा

**संपादकीय सहयोग**
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

**मुख्य लेखक**
अजय सिंह, अहमद अली, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

**लेखक**
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव, गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी

**मुख्य समीक्षक**
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

**त्रुटि सुधारक**
संजन गौतम, जीवन ज्योति

**आवरण सज्जा एवं विकास**
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

**विज्ञापन एवं प्रोन्नति**
गुफरान खान, राहुल कुमार

**प्रारूपक**
विपिन सिंह, रमेश कुमार, कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

**टंकण**
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

**लेख सहयोग**
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह, लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन, प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

**कार्यालय सहायक**
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम, अरूण त्रिपाठी, चंदन



**Content Office**

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

## विषय सूची


**सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर ........................................01-22**

- अनुच्छेद 370 में बदलाव : कश्मीर मुद्दे का कहाँ तक हल है?
- तीन तलाक पर पाबंदी: मुस्लिम महिलाओं को विधिक संरक्षण
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक, 2019: एक अवलोकन
- मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019: एक परिचय
- शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए स्तनपान का महत्त्व
- भारत-अफ्रीका संबंधों का बदलता परिदृश्य
- भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष: एक विश्लेषण

**सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ...........................................23-31**

**सात महत्वपूर्ण तथ्य ..........................................................................................32**

**सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) ..........................................................33**

**सात महत्वपूर्ण खबरें ......................................................................................34-36**

**सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी ..........................................................37-40**

**सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से ..............................................41-44**



## Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

# सात महत्वपूर्ण मुद्दे

## 1. अनुच्छेद 370 में बदलाव : कश्मीर मुद्दे का कहाँ तक हल है?

### चर्चा का कारण

हाल ही में संसद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित कर दिया है, जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड 1 के सिवाय इस अनुच्छेद के सारे खण्डों को हटा दिया गया है और राज्य का विभाजन कर दो केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) एवं लद्दाख (बिना विधानसभा) का गठन कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद से अब राज्य में अनुच्छेद 370(1) ही लागू रहेगा, जो संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए कानून बनाने से संबंधित है।

### पृष्ठभूमि

ब्रिटिश शासन की समाप्ति के साथ ही जम्मू-कश्मीर 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। यहाँ के शासक महाराजा हरिसिंह ने फैसला लिया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे और स्वतंत्र रहेंगे। परंतु 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित आजाद कश्मीर सेना के द्वारा राज्य पर आक्रमण करने के पश्चात, वहाँ के शासक ने राज्य को भारत में विलय करने का निर्णय किया। इसके तहत 26 अक्टूबर, 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरिसिंह द्वारा 'जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय-पत्र' पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत राज्य ने केवल तीन विषयों- रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार पर ही अपना अधिकार छोड़ा था। उस समय भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि 'इस राज्य के लोग अपने स्वयं के संविधान द्वारा इस राज्य के आंतरिक संविधान तथा राज्य पर भारतीय संघ के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति तथा प्रसार को निर्धारित करेंगे और राज्य विधानसभा के फैसले तक भारत का संविधान राज्य के संबंध में केवल अंतरिम व्यवस्था कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। इसमें स्पष्टत: कहा गया कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित राज्य उपबंध केवल अस्थायी हैं स्थायी नहीं। यह 17 नवंबर, 1952 से संचालित हुआ।

### जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति

भारत के संविधान के अधीन जम्मू-कश्मीर राज्य की अनोखी स्थिति है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 में परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र का भाग है। यह संविधान की यथासंशोधित पहली अनुसूची में सम्मिलित 15वाँ राज्य है। मूल संविधान में जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 1(3) में भाग ख (पहली अनुसूची में विर्निदिष्ट संघ राज्यक्षेत्र) राज्य विर्निदिष्ट किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के द्वारा 'भाग-ख' राज्यों के प्रवर्ग का समापन (Cancellation) कर दिया गया। साथ ही संविधान (7वाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से किए गए परिवर्तनों को लागू किया गया था और जम्मू-कश्मीर को भारत संघ की राज्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया।

गौरतलब है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष सांविधानिक दर्जा दिया गया था जिससे भारत के संविधान के सभी उपबंध जो पहली अनुसूची के राज्यों से संबंधित हैं, जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, यद्यपि वह उस अनुसूची में विर्निदिष्ट राज्यों में से एक है। परंतु 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति के ओादश द्वारा जम्मू-कश्मीर को प्राप्त यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है, अत: उस पर वे सभी उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे अन्य राज्यों पर लागू होते हैं।

### अनुच्छेद 370 की भूमिका

अनुच्छेद 370 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति ने 'संविधान आदेश' (जम्मू एवं कश्मीर के लिए अनुप्रयोग) नामक आदेश, 1950 में केंद्र का राज्य पर अधिकार क्षेत्र उल्लिखित करने के लिए जारी किया था। 1952 में, भारत सरकार एवं जम्मू-कश्मीर राज्य अपनी भविष्य के संबंधों हेतु दिल्ली में एक समझौते पर राजी हुए। 1954 में, जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा ने भारत में राज्य के विलय के साथ-साथ दिल्ली समझौते को पारित किया। तब राष्ट्रपति ने उसी नाम से एक अन्य आदेश जारी किया, जो कि संविधान आदेश (जम्मू एवं कश्मीर के लिए अनुप्रयोग), 1954 है। यह आदेश 1950 के आदेश का स्थान लेता है तथा राज्य पर संघ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाता है। यह एक मूलभूत आदेश है, जो समय-समय पर सुधार एवं परिवर्तन के साथ, राज्य की संवैधानिक स्थिति एवं संघ के साथ इसके संबंध को व्यवस्थित रखता है। अनुच्छेद 370 के प्रावधान-

- जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है और इसे भारत के संविधान के भाग-I तथा अनुसूची 1 में रखा गया है। किंतु इसका नाम, क्षेत्रफल या सीमा को केंद्र द्वारा बिना इसके विधान सभा की सहमति से नहीं बदला जा सकता है।
- जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान है तथा इसी संविधान द्वारा इस पर प्रशासन चलाया जाता है। अत: भारत के संविधान का भाग-VI (राज्य सरकार से संबंधित) इस राज्य पर लागू नहीं है। इस भाग के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में जम्मू एवं कश्मीर शामिल नहीं है।
- संसद राज्य के संबंध में संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर विधि बना सकती है। परंतु अवशेषीय शक्तियाँ राज्य विधानमण डल के पास हैं सिवाय आतंकवादी कृत्यों में संलिप्त को संरक्षण, भारत के राज्यक्षेत्र की अखण्डता और संप्रभुता पर प्रश्न या विघटन

करने वाले मामले, राष्ट्रीय झण्डे, राष्ट्रगान और भारत के संविधान का सम्मान न करना।

**अनुच्छेद-35A**

- अनुच्छेद 35A को मई 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया।
- 1954 के जिस आदेश से अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा गया था, वह आदेश अनुच्छेद 370 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था।
- यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर विधान सभा को स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है।
- राज्य जिन नागरिकों को स्थायी अधिवासी घोषित करता है केवल वही राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने एवं विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार रखते हैं।
- यदि जम्मू-कश्मीर का निवासी राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करता है तो वह यह नागरिकता खो देगा।

- भाग-VI (राज्य नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित) तथा भाग-VI क (मूल कर्तव्यों से संबंधित) राज्य पर लागू नहीं होते। हिन्दू विवाह (1955), सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) एवं अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम (1989) लागू नहीं होते।
- भाग-III (मूल अधिकारों से संबंधित) कुछ अपवादों एवं शर्तों के साथ राज्य पर लागू हैं। राज्य में संपत्ति मूल अधिकार की श्रेणी में आता है।
- आंतरिक असंतुलन की स्थिति में घोषित आपातकाल राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना नहीं लागू होगी।
- राष्ट्रपति को राज्य के संबंध में वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा करने का अधिकार नहीं है।
- राष्ट्रपति राज्य के संविधान को उसके दिए निर्देशों (अनुच्छेद 365) को न मानने की स्थिति में विघटित नहीं कर सकता।
- राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) राज्य पर लागू है। फिर भी, यह आपातकाल राज्य पर संवैधानिक तंत्र के (राज्य संविधान के न कि भारतीय संविधान के) विफल होने पर लागू हो सकता है। वास्तव में राज्य में दो तरीके से आपातकाल घोषित हो सकता है, जिनमें प्रथम भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) तथा दूसरा राज्य संविधान के अंतर्गत राज्यपाल शासन (धारा 92) है। 1986 में प्रथम बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था।
- राज्य के किसी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि या सहमति को केंद्र, जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमण्डल की सहमति के बिना प्रभावी नहीं कर सकता।
- भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन राज्य पर लागू नहीं होता, जब तक कि यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विस्तारित न हो जाए।
- राजभाषा उपबंध राज्य पर प्रयोज्य है, जहां तक की संघ की राजभाषा, अंतर राज्य राजभाषा और केंद्र राज्य संचार और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा का संबंध है।
- 5वीं अनुसूची (अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातीय पर प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित) तथा 6ठी अनुसूची (जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित) इस राज्य पर लागू नहीं होती।
- उच्चतम न्यायालय के विशेष अधिकार, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिकार क्षेत्र राज्य पर लागू है।
- जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों को प्राप्त हैं, सिवाय इसके कि वह 'अन्य प्रयोजन' के लिए रिट जारी नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता (केवल अनुच्छेद 135 और 139 को छोड़कर) उस राज्य पर है।
- अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत निवारक एवं निरोधक अधिकार अधिनियम बनाने का अधिकार केवल राज्य विधान सभा को दिया गया है। सामान्य रूप से यह केन्द्र का अधिकार है।
- पाकिस्तान जाने वालों को नागरिक अधिकार के निषेध संबंधी भाग-II का प्रावधान जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से रहने वाले उन लोगों पर लागू नहीं होता जो पाकिस्तान जाकर पुनः राज्य में विस्थापित हुए हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाता है।

## अनुच्छेद 35A हटाने के औचित्य और 370 के अप्रभावी होने के मायने

- वर्तमान उपबंधों के अनुसार यदि जम्मू-कश्मीर की लड़कियाँ किसी गैर जम्मू-कश्मीर राज्य के लड़के से शादी कर लेती हैं, तो उन्हें भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होता है और उनके बच्चों को भी सभी प्रकार के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद-35A महिला अधिकारों और समानता के अधिकार का भी हनन करता है।
- भारत की आजादी के समय दलित समुदाय के लोग पश्चिमी पाकिस्तान से आकर यहाँ बस गये थे और उन्हें वहाँ की सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाता था, इसलिए उन्हें हाथ से मैला ढोने का काम करना पड़ता था। इस प्रकार अनुच्छेद 35A दलित अधिकारों का भी हनन करता है। अनुच्छेद 35A के हटने से वहाँ दलित समुदायों को भी सरकारी नौकरियों में स्थान मिल सकेगा।
- भारत के अन्य राज्यों से जो लोग काफी समय से जम्मू-कश्मीर में अपना रोजगार कर रहे हैं और वहीं रह रहे हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अतः अनुच्छेद 35A के हटने से उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिल जाएगा।
- अनुच्छेद 35A के लागू रहने से जम्मू-कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों को संपत्ति खरीदने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उससे निवेश प्रभावित होता था। इस अनुच्छेद के हटाये जाने से अब वहाँ पर्याप्त संख्या में निवेशक आएँगे और निवेश करेंगे, जिससे

रोजगार के अवसर खुलेंगे और जम्मू-कश्मीर का विकास होगा।

- अनुच्छेद 35A के हटाये जाने से अब देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार (Equal Rights) मिल गया है। साथ ही अब जाकर सही अर्थों में भारत का एकीकरण (True Integration) हुआ है।
- अनुच्छेद 35A के हटाये जाने से अब सुरक्षा स्थितियों को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा।
- जम्मू-कश्मीर में लगभग पिछले 70 वर्षों से हिंसा की घटनाएँ देखने को मिल रही थीं, जिससे विकास के कार्य अवरूद्ध हो जाते थे। इस अनुच्छेद को हटाये जाने से हिंसा पर लगाम लगाने और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

### अनुच्छेद 35A को हटाने और 370 को अप्रभावी करने के विपक्ष में तर्क

- विधि विशेषज्ञों का कहना है कि 'संविधान सभा' को विधान सभा के समतुल्य नहीं माना जा सकता है, जैसा कि सरकार ने किया है। यह तर्कसंगत नहीं है।
- साथ ही उनका कहना है कि सरकार ने खुद ही सहमति ले ली है क्योंकि राज्यपाल तो केन्द्र के ही प्रतिनिधि होते हैं, ना कि वहाँ की जनता के।
- इस कदम से कश्मीर के युवाओं में उग्रवाद एवं अलगाववाद की भावना और पनपेगी।
- आज के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 370 के द्वारा दी गयी 'विशेष दर्जे' को काफी हद तक मन्द (Dilute) किया गया है, क्योंकि संविधान के कुल अनुच्छेद 395 में से लगभग 260 अनुच्छेद, कुल 12 अनुसूचियों में से 7 अनुसूचियाँ और संघ सूची (97 विषय) में से 94 विषय वहाँ पर लागू होते हैं। वहीं विधि विशेषज्ञों का कहना है कि जब इस हद तक अनुच्छेद 370 को मन्द किया जा चुका है, तो सरकार को चाहिए था कि एकाएक अनुच्छेद 370 को अप्रभावी करने के बजाय अगर धीरे-धीरे अनुच्छेद 370 को मंद किया जाता तो यह एक बेहतर तरीका साबित हो सकता था।

### अनुच्छेद-370 के अप्रभावी होने से होने वाले परिवर्तन

- अब जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी जमीन खरीद सकेंगे।
- जम्मू-कश्मीर का अब अलग झंडा नहीं होगा। वहां अब तिरंगा झंडा लहराएगा। जम्मू-कश्मीर में अब तिरंगे का अपमान या उसे जलाना या नुकसान पहुँचाना संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा।
- अब वहाँ भी भारत का संविधान लागू होगा।
- जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वे समाप्त हो जाएंगे।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।
- अब अनुच्छेद-370 का खंड-1 केवल लागू रहेगा। शेष खंड समाप्त कर दिए गए हैं। खंड-1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इसे भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के खंड-1 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।
- जम्मू-कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लोगों से भी शादी करने की स्वतंत्रता होगी। दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। जैसा कि अब तक होता रहा है।
- जम्मू-कश्मीर सरकार का कार्यकाल अब छह साल का नहीं, बल्कि पांच वर्ष का ही होगा।
- भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी कर सकेगा। अब तक जम्मू-कश्मीर में केवल स्थानीय लोगों को ही सरकारी नौकरी का अधिकार था।
- इस कदम से भाग-VI (राज्य नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित) तथा भाग-VI क (मूल कर्तव्यों से संबंधित) हिन्दू विवाह (1955), सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) एवं अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम (1989) राज्य पर लागू होंगे।
- रणबीस दंड संहिता के स्थान पर भारतीय दंड संहिता प्रभावी होगी तथा नए कानून या कानूनों में बदलाव स्वत: जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे।

### आगे की राह

वर्तमान में जम्मू-कश्मीर की स्थिति काफी चिंताजनक है और वहाँ धारा-144 लगी हुई है। अगर वहाँ के आम नागरिकों द्वारा हिंसात्मक प्रतिरोध किया जाता है, तो प्रशासनिक स्तर पर सही ढंग से नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिससे कि जान-माल का नुकसान न हो सके। साथ ही सरकार और सुरक्षा बलों को सर्तक रहने की भी आवश्यकता है क्योंकि पाकिस्तान इस स्थिति का गलत फायदा उठा सकता है। जैसा कि 1965 में और 1999 में पाकिस्तान ने स्थिति का लाभ उठाकर वहाँ के नागरिकों के मन में भारत विरोधी भावना को भड़काने का प्रयास किया था। केन्द्र सरकार को जम्मू-कश्मीर के लोगों की जो वास्तविक समस्याएँ हैं, उन्हें समझना चाहिए और उसके लिए ठोस कदम उठाने की भी आवश्यकता है। सरकार को वहाँ के नागरिकों को यह आश्वस्त करना होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सरकार के इस कदम से वहाँ की पहचान को कोई खतरा नहीं होगा। गौरतलब है कि सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वहाँ निवेशक को निवेश हेतु प्रोत्साहित करे और विकास की गति को तीव्रता प्रदान करे जिससे वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके और आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सके। एक बेहतर शासन व्यवस्था लाये जाने की भी जरूरत है जिससे वहाँ की जो समस्याएँ (आतंकवाद, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा आदि) हैं, उसे निजात मिल सके और अनुच्छेद 35A को जिस उद्देश्य के लिए हटाया गया है, वह सही साबित हो सके।

सरकार को पूरे देश में धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुलकर रहते हैं, जिसकी तारीफ पश्चिमी देश भी समय-समय पर किया करते हैं।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ।

■

# 2. तीन तलाक पर पाबंदी : मुस्लिम महिलाओं को विधिक संरक्षण

## चर्चा का कारण

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है। इस कानून में मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक बार में तीन तलाक देने को अपराध माना गया है और इसके लिए तीन साल की कैद का प्रावधान भी किया गया है।

## तीन तलाक क्या है

तीन तलाक को तलाक-ए-बिद्दत भी कहते हैं। तीन तलाक (Teen Talaq) मुस्लिम समाज में तलाक की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे कोई भी पति अपनी पत्नी को सिर्फ तीन बार तलाक कहकर अपनी शादी को तोड़ सकता है। गौरतलब है कि इस्लाम में तलाक की एक प्रकिया बताई गई है और इस प्रकिया से होने वाले तलाक स्थिर होते हैं, जिसके बाद शादी का रिश्ता टूट जाता है।

इस्लाम में बताया गया कि तलाक एक-एक करके दी जानी चाहिए, जिसके बीच कुछ समय का अंतर होगा और इस प्रक्रिया को अपनाकर ही इस्लाम के अनुसार तलाक हो सकता है।

गौरतलब है कि शरीयत में तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन नाम से विवाह विच्छेद के दो और प्रावधान हैं, जिसमें एक निश्चित समय के अंतराल के बाद तलाक कहने का प्रावधान है और सुलह की गुंजाइश रखी गई है।

## पृष्ठभूमि

इस्लाम के आगमन से पहले अरब में महिलाओं की दशा बहुत खराब थी। वे गुलामों की तरह खरीदी बेची जाती थीं। तलाक भी कई तरह के हुआ करते थे, जिसमें महिलाओं के अधिकार न के बराबर थे। इस दयनीय स्थिति में हजरत मोहम्मद न इन्हें खत्म करकर तलाक-ए-अहसन को बढ़ावा दिया।

तलाक-ए-अहसन तलाक का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। यह तीन महीने के अंतराल में दिया जाता है। इसमें तीन बार तलाक बोला जाना जरूरी नहीं है। एक बार तलाक कह कर तीन महीने का इंतजार किया जाता है। तीन महीने के अंदर अगर मियां-बीवी एक साथ नहीं आते हैं तो तलाक हो जाएगा। इस तरीके में महिला की गरिमा बनी रहती है और वह न निभा पाने वाले शादी के बंधन से आजाद हो जाती है।

गौरतलब है कि तीन तलाक का उल्लेख न तो कुरान में कहीं किया गया है और न ही हदीस में, अर्थात् तीन तलाक इस्लाम का मूल भाग है ही नहीं।

## भारत में स्थिति

एक आँकड़े के अनुसार भारत में कुल तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत 23.3 है। 2011 के जनगणना पर एनजीओ 'इंडियास्पेंड' के विश्लेषण के मुताबिक, भारत में तलाकशुदा महिलाओं में 68% हिन्दू और 23.3% मुस्लिम हैं। मुसलमानों में तलाक का तरीका सिर्फ तीन तलाक को ही समझ लिया गया है, हालांकि तीन तलाक से होने वाले तलाक का प्रतिशत बहुत कम है। मुसलमानों में तलाक, तलाक-ए-अहसन, तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-मुबारत के प्रचलित तरीके हैं और इनके माध्यम से ही अधिकतर तलाक होते हैं।

**शाह बानो प्रकरण**

उल्लेखनीय है कि इंदौर की रहने वाली शाहबानो प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर देशभर में राजनीतिक बवाल मच गया था। तत्कालीन राजीव गाँधी सरकार ने एक साल के भीतर मुस्लिम महिला (तलाक में संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, (1986) पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। शाहबानो को उसके पति मोहम्मद खान ने 1978 में तलाक दे दिया था।

पाँच बच्चों की माँ 62 वर्षीय शाहबानो ने गुजारा भत्ता पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और पति के खिलाफ गुजारे भत्ते का केस जीत भी लिया था। दुर्भाग्य से केस जीतने के बाद भी शाहबानो को पति से हर्जाना नहीं मिल सका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर विरोध किया था।

## वैश्विक स्थिति

भारत के अलावा दुनिया के ऐसे 22 देश हैं, जहाँ तीन तलाक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सबसे पहले मित्र में तीन तलाक को प्रतिबंधित किया गया था। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी तीन तलाक 1956 से ही प्रतिबंधित है। कुछ अन्य देश भी हैं, जहां तीन तलाक पूर्णतया प्रतिबंधित हैं, जैसे- सूडान, साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और संयुक्त अरब अमीरात आदि।

## इस अधिनियम में प्रावधान

- इस अधिनियम में तीन तलाक के मामले को सिविल मामलों की श्रेणी से निकाल कर आपराधिक श्रेणी में डाला गया है।
- तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को गैर कानूनी घोषित किया गया है।
- तीन तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान किया गया है अर्थात् पुलिस बिना किसी वारंट के संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।
- इस अधिनियम में तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
- यह संज्ञेय तभी होगा जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा-संबंधी शिकायत दर्ज करे।
- मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। जमानत तभी दी जाएगी, जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा।
- पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है।
- मजिस्ट्रेट को सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार दिया गया है।
- पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा।
- पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है। इसके बारे में फैसला मजिस्ट्रेट ही तय करेगा।
- यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक देता है तो उसकी ऐसी कोई भी उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी।
- पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता है।
- यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। लेकिन हाल ही में संसद द्वारा पास किया गया राज्य पुर्नगठन अधिनियम यदि कानून बन जाता है तो यह जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा।
- यह कानून सिर्फ तलाक ए बिद्दत यानी एक साथ तीन बार तलाक बोलने पर ही लागू होगा।

## तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को गैरकानूनी करार देकर लाखों मुस्लिम महिलाओं की मर्यादा की रक्षा की थी। गौरतलब है कि तीन तलाक से पीड़ित पाँच महिलाओं ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तीन तलाक की सुनवाई के लिये 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। 5 जजों की पीठ ने 2 के मुकाबले 3 मतों से यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है।

तीन तलाक को खत्म करते हुए शीर्ष अदालत ने 2002 के शमीम आरा मामले का हवाला देते हुए कहा कि कुरान में इसका उल्लेख नहीं है साथ ही जो बात धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, उसे वैध कैसे कहा जा सकता है? शमीम आरा मामले में भी 'तीन तलाक' को नहीं माना गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम (Dissolution of Muslim Marriage Act), 1939 को भी यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को बहुविवाह से बचाने में नाकामयाब रहा है।

## सरकार का पक्ष

- यह अधिनियम सियासत, धर्म, सम्प्रदाय का प्रश्न नहीं है बल्कि नारी के सम्मान और नारी-न्याय का सवाल है।
- यह अधिनियम भारत की मुस्लिम बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामला से संबद्ध है।
- इस अधिनियम को किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए एक फैसले में इस प्रथा पर रोक लगाने के बावजूद तीन तलाक की प्रथा जारी थी, इसलिए इस कुप्रथा को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया है।
- यह महिलाओं के सम्मान की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न रूकेगा। उन्हें मध्यकालीन प्रथा से आजादी मिलेगी।
- कई इस्लामिक देशों में तीन तलाक पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है और अब भारत में भी इस पर प्रतिबंध लगाने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा।
- तीन तलाक की कुप्रथा उन सामाजिक बुराईयों में से एक है जो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करती है। क्या ऐसी कोई प्रथा धर्मसम्मत कही जा सकती है जो पति को पत्नी को एक झटके में छोड़ने का अधिकार देती हो।
- तीन तलाक की बुराई के चलन में होने के कारण मुस्लिम महिलाएँ अपने वैवाहिक भविष्य को लेकर आशंका से घिरी रहती थीं। इससे भी खराब बात यह थी कि जब उन्हें एक झटके में तीन तलाक दे दिया जाता था तो वे एक तरह से असहाय हो जाती थीं। इस हालत में उन्हें मुश्किल से ही कोई मदद मिलती थी।

## विपक्ष का तर्क

- तलाक देने वाले पति को तीन साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा तो वह पत्नी एवं बच्चे को गुजारा भत्ता कैसे देगा।
- इस्लाम में शादी को एक दिवानी समझौता बताया गया है, तलाक का मतलब इस करार को समाप्त करना है। इस कानून के तहत तलाक का अपराधीकरण किया जा रहा है।
- जब उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया है तो ऐसे में इस संबंध में कानून बनाने का क्या औचित्य है।
- जब तीन तलाक को निरस्त मान लिया गया है तो फिर तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान कैसे कर सकते हैं? विपक्ष ने कहा कि इस सजा के प्रावधान से दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना समाप्त हो जाएगी।
- संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का हनन है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जो कानून संगत नहीं हैं।
- इस अधिनियम में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की बात की गई है, लेकिन उस गुजारे भत्ते के निर्धारण का तौर तरीका नहीं बताया गया है। 1986 के मुस्लिम महिला संबंधी एक कानून के तहत तलाक पाने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल रहा है। इस कानून के आ जाने से पुराने कानून के जरिए मिलने वाला भत्ता बंद हो सकता है।
- इस कानून के लागू होने के बाद इसका दुरुपयोग मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ होने की आशंका है क्योंकि विधेयक में तीन तलाक साबित करने की जिम्मेदारी केवल महिला पर है। महिलाओं के साथ अगर पुरुषों को भी इसको साबित करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो कानून ज्यादा सख्त होगा।

## विश्लेषण

जिस तरह कई बार दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के झूठे मामले सामने आते रहे हैं, वैसे ही अब इस कानून के जरिए भी झूठे मामले सामने आ सकते हैं।

यह सच है कि इस विधेयक को लेकर या इससे बनने वाले कानून को लेकर कई आशंकाएँ थीं। संसद की बहस और देश की बाकी चर्चाओं में इसके कई मुद्दे लगातार उठते भी रहे। खासकर विवाद इसे आपराधिक मामला बनाए जाने को लेकर था। इन तर्कों को पूरी तरह से शायद खारिज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ इसी को आधार बनाकर एक महत्वपूर्ण कानून का रास्ता रोकना शायद सही नहीं कहा जा सकता। हालाँकि ऐसे मामलों में आदर्श स्थिति यही होती है कि जिस समाज के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, वह खुद आगे आए और वक्त के अनुसार बदलाव का बीड़ा उठाए। परंतु ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। सबसे अच्छी स्थिति तो यही होती है कि समाज ही कानून को बदले, लेकिन कई बार कानून के जरिए समाज को बदलने की चुनौती भी आती है। इस मामले में सबसे अच्छा उदाहरण सती प्रथा का दिया जाता है या फिर पिछले दिनों केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया, वह भी इसी तरह का मामला कहा जा सकता है।

सामाजिक स्तर पर ऐसे बदलाव रातोंरात नहीं होते, इसके लिए लंबे धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। सरकारें अकसर कानून पास करके कर्तव्य पूरा मान लेती हैं, जबकि सामाजिक स्तर पर कानून का अमल ज्यादा दिखने में नहीं आता और न ही वह बदलाव आ पाता है, जिसकी कल्पना कानून बनाते समय की गई थी। उदाहरण के लिए, दो कानूनों को देखा जा सकता है- दहेज प्रथा के खिलाफ देश में कड़े कानून बनाए गए हैं। इसके कुछ तरह के असर भी देखने को मिले हैं, परंतु वह दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई, जिसके लिए यह कानून बना था। यही हश्र बाल श्रम के खिलाफ बने कानूनों का हुआ है। अब जब यह विधेयक पास हो चुका है, राजनीतिक हार-जीत से अलग सामाजिक स्तर पर इसके बारे में सोचना शुरू करना होगा।

### निष्कर्ष

यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने अपने समाज की महिलाओं के साथ खड़े होने के बजाय तीन तलाक का समर्थन किया है। इस रवैये को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया जाए। इसकी जरूरत इसलिए और बढ़ गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीन तलाक को अमान्य करार दिए जाने के बाद भी इस तरह के तलाक का सिलसिला कायम था। यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को दी जाने वाली सीधी चुनौती ही थी।

एक झटके में तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के खिलाफ तरह-तरह के तर्क देने वाले जानबूझकर इसकी अनदेखी ही कर रहे थे कि दहेज की माँग करना भी दंडनीय अपराध है। जब समाज सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में सहयोग देने से इन्कार करे तब फिर कानूनी उपायों का सहारा लेना जरूरी हो जाता है।

यह उम्मीद की जाती है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून लागू हो जाने के बाद तीन तलाक के मामले कम हो जाएँगे। इसके लिए मुस्लिम युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि कोई समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसकी महिलाओं को मान-सम्मान मिलता है। अब जब मुस्लिम महिलाएँ भी अधिकार संपन्न होने जा रही हैं, तब फिर यह जरूरी हो जाता है कि समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ा जाए।

गौरतलब है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणतंत्र में तीन तलाक का जारी रहना एक विचारणीय प्रश्न था। तीन तलाक के खिलाफ जब कानून बन गया है, तो इससे निश्चय ही मुस्लिम महिलाओं की गरिमा की हिफाजत होगी, उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिलेगा। साथ ही उनके पास तीन तलाक के खिलाफ एक कानूनी हथियार होगा। जिससे उनके अधिकार और सशक्त होंगे और वे सशक्तिकरण की दौर में तजे गति से आगे बढ़ेगी।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

# 3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक, 2019 : एक अवलोकन

### चर्चा का कारण

हाल ही में लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 (National Medical Commission Bill, 2019) पास कर दिया गया। इसके तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर एक नई संस्था 'राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग' (National Medical Commission) का गठन किया जाएगा। सरकार ने इस विधेयक को देश में मेडिकल एजुकेशन की दिशा में सबसे बड़ा सुधार करार दिया है। इस विधेयक के तहत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 को हटा दिया जाएगा।

### राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 क्या है

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) विधेयक, 2019 के कानून बनने से निजी मेडिकल कॉलेजों की मनचाही फीस वसूलने पर रोक लग जाएगी। दरअसल कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो मैनेजमेंट कोटे की सीटों को एक-एक करोड़ रुपये में अयोग्य छात्रों को बेच देते थे। ये कॉलेज साढ़े चार वर्षीय एमबीबीएस के लिए हर साल करीब 15 से 25 लाख रुपये तक सालाना की फीस वसूलते हैं। लेकिन विधेयक के पास होने के बाद कॉलेजों की इस मनमानी पर काफी हद तक रोक लग जाएगी।

दरअसल इस विधेयक के कानून बनने के बाद निजी कॉलेजों की 20 हजार सीटों पर फीस सरकार तय करेगी। फिलहाल देश में मेडिकल की 80 हजार सीटें हैं। इनमें आधी यानी 40 हजार सीटें सरकार के पास हैं और बाकी 40 हजार सीटें निजी कॉलेजों के पास हैं। यदि ये कानून बनता है तो निजी कॉलेजों की 40 हजार सीटों की 50 फीसदी सीटों पर भी सरकार फीस तय कर सकेगी। इस तरह सरकार 60 हजार सीटों पर फीस तय कर सकेगी।

इसके अलावा निजी कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी नीट (NEET) पास करना होगा। केवल डोनेशन के आधार पर छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। इससे अयोग्य छात्रों को प्रवेश मिलने पर रोक लगेगी और केवल वही छात्र प्रवेश पा सकेंगे जो सही अर्थों में योग्य हैं।

इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में राज्य चिकित्सा संस्थान शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में अपनी समस्याएँ और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) का भी गठन करेगी जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मेडिकल शिक्षा से संबंधित सुझाव देगी।

### राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC)

- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) मेडिकल शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में राज्यों को अपनी समस्याएँ और सुझाव रखने का मौका देगी। ये परिषद चिकित्सा आयोग को सुझाव देगी कि मेडिकल शिक्षा को कैसे और अच्छा बनाया जाए।
- 25 सदस्यों में से 11 सदस्य विभिन्न राज्यों से होंगे। इनमें से 21 सदस्य डॉक्टर होंगे, जो डॉक्टरों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करेंगे।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की धारा 58 के अनुसार, इस कानून के प्रभावी होते ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त हो जाएंगी। इसके एवज में उन्हें तीन महीने का वेतन और भत्ते मिलेंगे।
- नए विधेयक के लागू होते ही देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए केवल एक परीक्षा ही ली जाएगी। इस परीक्षा का नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) होगा।
- इस विधेयक में मेडिकल रिसर्च को बढ़ाने का प्रावधान है। स्नातक और परास्नातक स्तर पर डॉक्टरों को दक्ष बनाने के लिए मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इस विधेयक में किए गए प्रावधान के अनुसार एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र इस परीक्षा को पास करके पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश पा सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई ग्रेजुएट किसी विदेशी विश्वविद्यालय से भारत आते हैं तो उन्हें यहां प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग समय-समय पर सभी चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन भी

करेगा। आयोग भारत के लिए एक मेडिकल रजिस्टर के रख-रखाव की सुविधा प्रदान करेगा तथा मेडिकल सेवा के सभी पहलुओं में नैतिक मानदंड को भी लागू करवाएगा।

- इस विधेयक के धारा 49 के अनुसार एक ब्रिज कोर्स करने के बाद आयुर्वेद, होम्योपैथी के डॉक्टर भी एलोपैथी इलाज करने के योग्य हो जाएंगे।

**क्या है 'ब्रिज कोर्स'**

इस विधेयक में यह सबसे विवादास्पद प्रावधान है, जिस पर सत्ताधारी दल के सांसदों ने भी आपत्ति जतायी है। ब्रिज कोर्स पर समिति (2018) ने कहा था कि 'ब्रिज कोर्स को अनिवार्य प्रावधान नहीं बनाया जा सकता, हालांकि समिति ने हेल्थकेयर सेक्टर में मानव संसाधन की सक्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया था, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

समिति का मानना है कि प्रत्येक राज्य के समक्ष स्वास्थ्य से जुड़े अपने मसले हैं। इस पर समिति अनुशंसा करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के क्षमता निर्माण में अपने मानकों को तय कर सकती हैं। इसमें आयुष चिकित्सक, बीएससी (नर्सिंग), बीडीएस, बीफार्मा आदि शामिल हैं।

## उद्देश्य

- इस विधेयक का मकसद है देश में मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाना। देश में एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) की प्रणाली बनाई जाए जो विश्व स्तर की हो।
- प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा शिक्षा के स्नातक और परास्नातक दोनों स्तरों पर उच्च कोटि के डॉक्टर मुहैया कराये जाएँ।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग चिकित्सा प्रोफेशनल्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे अपने क्षेत्र के नवीनतम मेडिकल रिसर्च को अपने काम में सम्मिलित करें और ऐसे रिसर्च में अपना योगदान करें। आयोग समय-समय पर सभी चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन भी करेगा।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 का मकसद चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है।

उल्लेखनीय है कि एनएमसी की देखरेख में स्वायत्त बोर्ड का गठन होगा। प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में एक प्रेसिडेंट और चार सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। इन स्वायत्त बोर्ड के तहत अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड व पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल एसेसमेंट व रेटिंग बोर्ड और एथिक्स व मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड शामिल होंगे। इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

**अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड व पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी व पीजीएमईबी):** यह बोर्ड अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर पर मानक, पाठ्यक्रम व दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

**मेडिकल एसेसमेंट व रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी):** न्यूनतम मानकों को बनाये रखने में विफल चिकित्सा संस्थानों पर आर्थिक दंड लगाने की शक्ति इस बोर्ड के पास होगी। नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना, किसी भी पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम को शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति भी एमआरबी ही देगा।

**एथिक्स व मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (इएमआरबी):** यह बोर्ड सभी लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिसनर के लिए एक नेशनल रजिस्टर बनायेगा और उनके पेशेवर आचरण की निगरानी करेगा। रजिस्टर में शामिल होने वाले मेडिकल प्रैक्टिसनर को ही मेडिसिन प्रैक्टिस की अनुमति होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए अलग नेशनल रजिस्टर बनेगा।

**सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता:** एनएमसी, कुछ मध्य स्तर के चिकित्सकों को मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए सीमित लाइसेंस दे सकती है. ये चिकित्सक प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल में निर्दिष्ट दवा लिख सकते हैं। इन चिकित्सकों को केवल पंजीकृत चिकित्सकों की देखरेख में ही दवा लिखने की अनुमति होगी।

## आवश्यकता क्यों

विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि आयुर्विज्ञान शिक्षा किसी भी देश में अच्छी स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसद की एक स्थायी समिति ने अपनी 92वीं रिपोर्ट में आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय की विनियामक पद्धति का पुनर्गठन और सुधार करने के लिये डा. रंजीत राय चौधरी की अध्यक्षता वाले विशेष समूह द्वारा सुझाए गए विनियामक ढाँचे के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में सुधार करने के लिये कदम उठाने की सिफारिश की थी।

उच्चतम न्यायालय ने 2009 में मॉडर्न डेंटल कॉलेज रिसर्च सेंटर तथा अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में 2 मई 2016 को अपने निर्णय में केंद्रीय सरकार को राय चौधरी समिति की सिफारिशों पर विचार करने और समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में 29 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 पुनःस्थापित किया गया था, इसे बाद में विचारार्थ संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। स्थायी समिति ने बाद में उक्त विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 28 मार्च 2018 को लोकसभा में लंबित विधेयक के संबंध में आवश्यक शासकीय संशोधन प्रस्तुत किया था लेकिन इसे विचार एवं पारित किये जाने के लिये नहीं लाया जा सका। 16वीं लोकसभा के विघटन के बाद यह समाप्त हो गया। परिणामस्वरूप यह बिल पास नहीं हो सका।

देश में मौजूद स्वास्थ्य संकट की मुख्य वजहों में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, गरीबी और खाद्य असुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार हैं। इसके अलावा डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी, स्वास्थ्य पर कम खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण होने से स्वास्थ्य सेवाएँ काफी महंगी हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन एक डॉक्टर पर करीब 11 हजार की जनसंख्या निर्भर है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के तय मानकों के मुताबिक 1 डॉक्टर पर सिर्फ 1 हजार जनसंख्या होनी चाहिए।

भारत में नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन का अधिकार बताया है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 47 भी राज्यों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार, पोषण स्तर में बढ़ावा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी देता है।

भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में लगातार बढ़ोत्तरी कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत साल 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को GDP का 2.5 प्रतिशत तक बढाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा देश के हर क्षेत्र में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अब समय आ गया है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़ने के लिए संरचना में बदलाव जरूरी है। मौजूदा वक्त में यदि कानून द्वारा व्यवस्था नहीं बदली जाती है तो डब्ल्यूएचओ (WHO) के मानकों के आधार पर तय लक्ष्यों को हासिल कर पाना भारत के लिए मुश्किल

होगा। इसलिए अब समय आ गया है कि देश में डॉक्टरों की संख्या, बेहतर प्रशिक्षण और हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धता को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। इसलिए इस बिल का कानून बनना अति आवश्यक हो गया है। इन सब के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं और उन पर होने वाले खर्चों की सही तरीके से निगरानी हो इसलिए भी यह विधेयक आवश्यक हो गया था।

### इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दलील

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बिल का विरोध करने की वजह बताते हुए कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1956 में आधुनिक चिकित्सा सेवा को पंजीकृत करने और दिशा निर्देशित करने के लिए किया गया था। इसके अलावा यह चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को भी देखता है। आईएमए का कहना है कि इस बिल से मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा महंगी हो जाएगी। जबकि इस बिल में मौजूद धारा-32 के तहत करीब 3.5 लाख गैर-चिकित्सा शिक्षा प्राप्त लोगों को एलोपैथी में इलाज करने का लाइसेंस मिलेगा जिससे मरीजों को खतरा हो सकता है।

इस विधेयक के अनुसार आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टर ब्रिज कोर्स करके एलोपैथिक इलाज कर सकेंगे, जिससे नीम-हकीम और झोलाछाप डॉक्टरों को बढ़ावा मिलेगा।

आईएमए ने कहा कि बिल में कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर शब्द को सही से परिभाषित नहीं किया गया है। जिससे नर्स, फार्मासिस्ट और पैरामेडिक्स आधुनिक दवाइयों के साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके अलावा निजी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अपने हिस्से की सीटों को मनमर्जी के दाम में बेचने लगेंगे।

डॉक्टर्स नीट से पहले नेक्सट को अनिवार्य किए जाने के भी खिलाफ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मेडिकल क्षेत्र में आने की संभावना कम हो सकती है। साथ ही नये प्रावधान के अनुसार पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रैक्टिस शुरू करने के लिए डॉक्टरों को एक टेस्ट पास करना होगा। डॉक्टरों का कहना है कि इस टेस्ट में एक बार नाकाम रहने के बाद दोबारा टेस्ट देने का विकल्प नहीं दिया गया है।

**नेशनल एक्जिट टेस्ट (NEXT) क्या है?**

इस बिल के पास होने के बाद अब एमबीबीएस (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) पास करने के बाद प्रैक्टिस के लिए नेशनल एक्जिट टेस्ट (NEXT) देना होगा। नेशनल एक्जिट टेस्ट अभी केवल विदेश से मेडिकल पढ़कर आने वाले छात्र देते हैं। डॉक्टरों को एमबीबीएस कोर्स के बाद मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस हेतु अब नेशनल एक्जिट टेस्ट की परीक्षा में पास होना होगा। उन्हें इस टेस्ट को पास करने के बाद ही मेडिकल प्रैक्टिस हेतु लाइसेंस मिलेगा।

### निष्कर्ष

परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है इसलिए समाज और नागरिक हित में परिवर्तन होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत एक विकासशील देश है और इसके सामने स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियाँ हैं, इसलिए उन चुनौतियों से निपटने के लिए जो भी सुधारवादी कदम हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में डॉक्टर एक अहम हिस्सा है, इसलिए उनकी समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा और देखना होगा कि इस विधेयक के कानून बन जाने से कहीं उनकी कार्यप्रणाली तो प्रभावित नहीं होगी।

इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि यह विधेयक कानून बनकर सिर्फ फाइलों की शोभा न बढ़ाये बल्कि इसके उचित और पारदर्शी क्रियान्वयन पर भी जोर देना होगा ताकि इसके उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए और समाज के सभी वर्गों से राय माँग कर ही कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए ताकि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सार्थकता सिद्ध हो सके।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3**

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

## 4. मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक परिचय

### चर्चा का कारण

हाल ही में मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद द्वारा पास कर दिया गया है। गौरतलब है कि 16वीं लोकसभा में इस बिल को पास किया गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने के बाद नई सरकार ने इसे कुछ अन्य संशोधनों के साथ पुराने स्वरूप में ही 17वीं लोकसभा में पेश करने का फैसला किया था।

### परिचय

भारत में सड़क सुरक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह विधेयक कितना महत्वपूर्ण है यह समझने के लिये कुछ हाल के आंकड़ों पर गौर करने की आवश्यकता है। सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2017 में भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवाई। वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के बीच 11836 लोगों की मृत्यु एवं लगभग 36000 लोग सड़क में गड्ढों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

इन सड़क हादसों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जताई है। संगठन का कहना है अगर इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गए तो 2020 तक सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 19 लाख से ज्यादा होगी। संगठन का दावा है कि 78 फीसदी सड़क हादसों में गलती वाहन चालकों की होती है।

वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएँ भारत में होती हैं। यहां तक कि सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन भी इस मामले में भारत से पीछे है।

इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि सड़क सुरक्षा कानूनों को सही नीयत से लागू कर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2017 की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बेमौत मारे जाते हैं।

भारत में सड़क सुरक्षा की राज्यवार स्थिति देखने से पता चलता है कि क्रमशः मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र सड़क दुर्घटनाओं में शीर्ष स्थान पर हैं। यहाँ सड़कों

की खराब हालत, गड्ढे सड़कों के रखरखाव की खराब स्थिति, खराब सिग्नल व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन न होना इन दुर्घटनाओं के लिये प्रमुखत: जिम्मेदार हैं। यही नहीं भारत में मानसून के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि देखी जाती है।

इतनी बड़ी संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नि:संदेह हमें सख्त कानूनी प्रावधान करने की जरूरत है। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में अनाड़ी या नौसिखिए ड्राइवर, लापरवाही या शराब पी कर गाड़ी चलाना, घटिया सड़कें और गाड़ी में खराबी शामिल हैं। इस विधेयक में सरकार ने इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर कठोर प्रावधान किए हैं।

## मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019 के प्रावधान

**सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा:** केंद्र सरकार 'गोल्डन आवर' (स्वर्णिम घंटे) के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित करेगी। विधेयक के अनुसार 'गोल्डन आवर' घातक चोट के बाद की एक घंटे की समयावधि होती है जब तुरंत मेडिकल देखभाल से मौत को मात देने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने के लिए एक योजना भी बना सकती है। बिल हिट और रन मामलों में न्यूनतम मुआवजे को इस प्रकार बढ़ाता है: (i) मृत्यु की स्थिति में, 25,000 से बढ़ाकर दो लाख रुपए और (ii) गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए।

**अनिवार्य बीमा:** बिल में केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने की बात की है। यह कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। इसे निम्नलिखित स्थितियों के लिए उपयोग किया जाएगा: (i) गोल्डन आवर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का उपचार, (ii) हिट और रन मामलों में मौत का शिकार होने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देना, (iii) हिट और रन मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुआवजा देना और (iv) केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों को मुआवजा देना। इस कोष में निम्नलिखित के माध्यम से धन जमा कराया जाएगा: (i) उस प्रकृति का भुगतान जिसे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, (ii) केंद्र सरकार द्वारा अनुदान या ऋण, (iii) क्षतिपूर्ति कोष में शेष राशि (हिट और रन मामलों में मुआवजा देने के लिए एक्ट के अंतर्गत गठित मौजूदा कोष), या (iv) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कोई स्रोत।

**नेक व्यक्ति (गुड समैरिटन):** बिल के अनुसार, नेक व्यक्ति (गुड समैरिटन) वह व्यक्ति है, जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है। यह मदद (i) सद्भावना पूर्वक, (ii) स्वैच्छिक और (iii) किसी पुरस्कार की अपेक्षा के बिना होनी चाहिए। अगर सहायता प्रदान करने में लापरवाही के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नेक व्यक्ति किसी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

**वाहनों का रीकॉल:** विधेयक केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रीकॉल (वापस लेने) करने का आदेश देने की अनुमति देता है, जिसमें कोई ऐसी खराबी है जोकि पर्यावरण या ड्राइवर या सड़क का प्रयोग करने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में, कंपनी को (i) खरीरदार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी, या (ii) खराब वाहन को दूसरे वाहन से, जोकि समान या बेहतर विशेषताओं वाला हो, बदलना होगा।

**राष्ट्रीय परिवहन नीति:** केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सलाह से राष्ट्रीय परिवहन नीति बना सकती है। इस नीति में: (i) सड़क परिवहन के लिए एक योजनागत संरचना बनाई जाएगी, (ii) परमिट देने के लिए फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा, और (iii) परिवहन प्रणाली की प्राथमिकताएँ विनिर्दिष्ट की जाएंगी, इत्यादि।

**सड़क सुरक्षा बोर्ड:** विधेयक में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए बनाया जाएगा। बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा। इनमें निम्नलिखित से संबंधित सलाह शामिल हैं: (i) मोटर वाहनों के स्टैंडर्ड, (ii) वाहनों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, (iii) सड़क सुरक्षा के मानदंड और (iv) नए वाहनों की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

**अपराध और दंड:** विधेयक के अनुसार विभिन्न सड़क अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए शराब या ड्रग्स के नशे में वाहन चलाने के लिए अधिकतम दंड 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। अगर मोटर वाहन निर्माता कंपनी मोटर वाहनों के निर्माण या रखरखाव के मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का दंड या एक वर्ष तक का कारावास या दोनों दिए जा सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर सड़क के डिजाइन के मानदंडों का अनुपालन नहीं करता तो उसे एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार एक्ट में उल्लिखित जुर्माने को हर साल 10% तक बढ़ा सकती है।

**टैक्सी एग्रेगेटर:** बिल एग्रीगेटर को डिजिटल इंटरमीडियरी या मार्केट प्लेस के रूप में पारिभाषित करता है जिसे परिवहन के उद्देश्य से (टैक्सी सेवाओं के लिए) ड्राइवर से कनेक्ट होने के लिए यात्री इस्तेमाल कर सकता है। राज्य सरकारों द्वारा इन एग्रीगेटरों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एग्रीगेटरों को इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 का अनुपालन करना होगा।

### अन्य प्रावधान

- नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
- बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य घोषित हो जाएगा। बगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना।
- नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा।
- रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना और टिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है।
- अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गयाा है। लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है।
- लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है।
- ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर 1000 और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना।

- स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार रुपए जुर्माना भरने होंगे। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए।
- एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल। बिना इंश्योरेंस के 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए।
- मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा। इसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। हादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा।
- लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य। कॉमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे।
- लाइसेंस रिन्यूवल अब खत्म होने के एक साल के अंदर कराया जा सकेगा। ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर करेगा।

### महत्त्व

वर्तमान की यातायात चुनौतियों व सड़क सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए एक सशक्त मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकता थी। यह संशोधन विधेयक सड़क के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए उत्तरदायित्व को तय करता है। यह अवयस्कों को वाहन दिए जाने पर उनके अभिभावकों का उत्तरदायित्व स्थापित करता है साथ ही मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का प्रावधान करता है। इससे सड़कों पर अवयस्कों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। यह विधेयक पहली बार सड़कों की खराब इंजीनियरिंग, डिजाइन, रखरखाव आदि के दोषों के लिये सड़क प्राधिकरणों, कॉन्ट्रेक्टरों एवं ठेकेदारों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। अभी तक पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के लिए अकसर पीड़ितों अथवा ड्राइवरों की लापरवाही को प्रमुख कारण माना जाता था। सड़क निर्माताओं या रखरखाव प्राधिकरणों को शायद ही कभी खराब सड़क के कारण दुर्घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया गया हो। विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन किये जाने पर दंड की राशि को अधिक तर्कसंगत किया गया है। इससे यातायात नियमों के उल्लंघन में कमी आयेगी।

### चुनौतियाँ

- भारत में कड़े कानून तो बन जाते हैं परन्तु उनका कार्यान्वयन धरातल पर हो ऐसा कम ही हो पाता है। ऐसे में काफी आशंका है कि नये विधेयक के कड़े प्रावधान व उच्च जुर्माना दरें जमीनी स्तर पर लागू हो पायें।
- भारत में आमजन की आर्थिक स्थिति व बढ़ी हुई जुर्माना दरों में काफी अन्तर है। ऐसे में आमजनों पर काफी ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ेगा।
- सरकारी मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार एक प्रमुख चुनौती है।
- यह कहा जा रहा है कि इस विधेयक के माध्यम से परिवहन के ऊपर केन्द्र राज्यों के अधिकार को कम कर रहा है। इस कानून से केन्द्र व राज्यों के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद गहराएँगे। आलोचकों का कहना है कि ओला, ऊबर जैसी यातायात सेवा प्रदाता कम्पनियों को लेकर नियम बनाने के राज्यों के अधिकार का हनन केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।
- विकलांगों के अनुकूल वाहन बनाने के लिये वाहन निर्माताओं पर जिम्मेदारी दी गई है परन्तु इसका कार्यान्वयन न किए जाने पर अथवा केवल सांकेतिक क्रियान्वयन किए जाने पर वाहन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी यह एक चुनौती है।
- उच्च स्तरीय सड़कों की कमी, यातायात अवसंरचनाओं को सुधारने के लिये वित्त की कमी, सड़कों के मरम्मत व सुधार के लिये तकनीकी एवं मानवबल की कमी एक प्रमुख चुनौती है।

### आगे की राह

आमतौर पर सड़क दुर्घटनाएँ सड़कों में हुए गड्ढों की वजह से होती हैं। अत: सड़क निर्माण के समय अच्छी जल निकास प्रणाली, सड़कों के निर्माण के समय मानकों का पालन और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हाल में परिवहन मंत्रालय ने आम लोगों की मदद से राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिये ब्लैक स्पॉट्स पहचानने की कोशिश की है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के अन्य नवाचारी उपाय खोजे जाने चाहिए।

सड़क सुरक्षा पर अपनाये गये "गुवाहाटी घोषणापत्र" (देश के 11 राज्यों ने सड़क पर गुवाहाटी में आयोजित बैठक के दौरान 11 अप्रैल, 2018 को 'गुवाहाटी घोषणापत्र' पर सहमति व्यक्त की और इसे अपने-अपने राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया। जिन 11 राज्यों ने इस बैठक में हिस्सेदारी की, वे हैं, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, मेघालय, झारखंड एवं राजस्थान) व "ब्रासीलिया घोषणापत्र" (ब्रासीलिया घोषणापत्र पर किए गए हस्ताक्षर के अनुसार, भारत ने 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में 50 फीसदी कमी करने का संकल्प लिया है।) आदि के दिशा-निर्देशों को अपनाए जाने की जरूरत है। इसके अन्तर्गत सभी राज्य सड़क दुर्घटना आंकड़ों का विश्लेषण कर सड़क दुर्घटना कम करने के उपाय करेंगे। इसके लिए साल भर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जायेगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति एवं संहिता तैयार करने के लिये समिति का गठन किया जाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की जाए, इसमें मानवीय हस्तक्षेप के बजाय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वाहनों की जाँच के लिये जगह-जगह तकनीकी केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।

केवल मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को कानून बनाने से सड़कें दुर्घटना मुक्त हो जायेंगी यह सोचना जल्दबाजी है। सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण उनका संकरा हो जाना है। देश की अधिकांश सड़कें गलियाँ बन चुकी हैं। नगर निकायों का भ्रष्टाचार सड़कों पर स्कूल खुलवा चुका है, धर्मस्थल बनवा चुका है और फुटपाथों को व्यापारियों के हवाले कर चुका है। बहुत जगह तो फुटपाथ गायब हो चुके हैं। अदालतें आदेश पर आदेश दे रही हैं लेकिन नगर निगम न उन्हें सुन रहा है और न अवारा पशुओं और मंडियों को शहर से बाहर कर पा रहा है। अत: हमें यह समझना होगा कि यह विधेयक सभी समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन यह विधेयक यदि कानून बनता है तो यह सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लायेगा।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3**

- बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

# 5. शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए स्तनपान का महत्त्व

## चर्चा का कारण

विश्वभर में 1 अगस्त से 7 अगस्त, 2019 के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह (डब्ल्यूबीडब्ल्यू) मनाया गया है। इस वर्ष का विषय है- 'माता-पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना'। इस वर्ष स्तनपान के संरक्षण, प्रचार और समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

## क्यों मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस

बदलती जीवनशैली और कामकाज में महिलाएँ इतनी व्यस्त रहती हैं कि उन्हें अपने बच्चों को स्तनपान करवाने का समय ही नहीं मिलता। स्तनपान संबंधी जानकारी और इसके फायदे समझाने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। स्तनपान दिवस केवल घरों में ही नहीं बल्कि कार्यालयों में भी इस प्रकार का माहौल बनाने पर बल देता है जिससे कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

## विश्व स्तनपान सप्ताह के उद्देश्य

- माता-पिता को स्तनपान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- माता-पिता में स्तनपान को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- स्तनपान के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करना और पर्याप्त एवं उचित पूरक आहार के बारे में बताना।
- स्तनपान के महत्व से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना।

## विश्व स्तनपान सप्ताह का महत्व

- इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में बताया जाता है कि माँ का दूध बच्चे और माँ दोनों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
- सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में बताया जाता है कि यह प्रारंभिक अवस्था में दस्त और तीव्र श्वसन संक्रमण जैसे, संक्रमणों को रोकता है और इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है।
- स्तनपान माँ में स्तन कैंसर, अंडाशय के कैंसर, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग विकसित होने के खतरे को कम करता है।
- स्तनपान सप्ताह में बताया जाता है कि यह नवजात को मोटापे और डायबिटीज से बचाता है तथा इससे बौद्धिक क्षमता (आईक्यू) में वृद्धि होती है।

## पृष्ठभूमि

यह सर्वविदित है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। यह न सिर्फ शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, बल्कि इससे माँ को भी मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होता है। महिलाओं को भी कई गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस से दूर रखता है। इससे पूरी दुनिया में लगभग आठ हजार जिंदगियाँ बचती हैं। इसके बावजूद स्तनपान को लेकर अभी भी लोगों में काफी भ्रांतियाँ फैली हैं। आज भी लोगों में स्तनपान की जरूरतों के प्रति जागरूकता की कमी है।

प्रसव के बाद शुरूआती एक घंटे के दौरान स्तनपान शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हालांकि चार में से केवल एक शिशु को ही प्रसव के बाद शुरूआती एक घंटे में माँ का दूध नसीब हो पाता है। इतना ही नहीं, 10 में से केवल 4 बच्चे ही छह महीने तक नियमित स्तनपान कर पाते हैं। उन्हें तीन से चार महीने के भीतर ही पानी, जूस, ऊपर का दूध और खाना देना शुरू कर दिया जाता है। इससे उनका पोषण बाधित होता है।

गौरतलब है कि जन्म के बाद माँ का दूध ही शिशु को संक्रामक रोगों से बचाता है। प्रसव के बाद पहले कुछ दिनों तक आने वाला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, पीने से शिशु की इम्यूनिटी बनी रहती है और उन्हें कोई रोग प्रभावित नहीं कर पाता है।

## वर्तमान परिदृश्य

स्तनपान के वर्तमान स्थिति को देखें तो पूरे विश्व में लगभग 62 फीसदी शिशु माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं। नवजात बच्चों को माँ के दूध की उपलब्धता को लेकर यूनिसेफ (UNICEF) की एक रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाले आँकड़े दर्ज किये गए हैं।

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के लगभग 77 करोड़ नवजात या हर दो में से एक शिशु को माँ का दूध पहले घंटे में नहीं मिल पाता है। यह आँकड़ा शिशु मृत्यु दर के लिए एक प्रमुख कारण है। गौरतलब है कि दो से 23 घंटे तक माँ का दूध न मिलने से बच्चे के जन्म से 28 दिनों के भीतर मृत्यु दर का यह आँकड़ा 40 फीसदी होता है, जबकि 24 घंटे के बाद भी दूध न मिलने से मृत्यु दर का यहीं आँकड़ा बढ़कर 80 प्रतिशत तक हो जाता है।

यूनिसेफ के अनुसार, अगर जन्म से छह महीने तक शिशु को स्तनपान कराया जाय तो लगभग आठ लाख शिशुओं को मौत के मुँह में जाने से बचाया जा सकता है। यह शोध पिछले 15 वर्षों के अध्ययन के आधार पर तय की गई है।

विश्व में मात्र 38 प्रतिशत बच्चों को छह माह तक केवल स्तनपान कराया जाता है। विश्व में केवल 23 राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत शिशुओं को सिर्फ स्तनपान कराया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, अगर विश्वभर में सभी शिशुओं को छह माह तक केवल स्तनपान कराया जाए तो भविष्य में पाँच वर्ष तक की आयु वाले लगभग पाँच लाख बीस हजार बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। ऐसा करने पर अगले दस वर्षों में विश्व को लगभग दो सौ खरब रुपयों का आर्थिक लाभ होगा।

वर्तमान में अमेरिकी माताएँ मिल्क डोनेशन में सबसे अव्वल हैं। 1569.79 लीटर मिल्क डोनेशन का गिनीज रिकॉर्ड है। यह आँकड़ा जनवरी वर्ष 2011 से मार्च 2014 तक का है।

एशिया का पहला मिल्क बैंक भारत में नवंबर 1989 में मुंबई के लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल में खुला था। जबकि विश्व का पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक 1911 में विएना में खुला था। वहीं यदि भारत की स्थिति को देखें तो भारत में वर्ष 2000 में 16 फीसदी ऐसे शिशु थे जिन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता था, जबकि वर्ष 2015 में यह आँकड़ा बढ़कर 45 फीसदी तक हो गया।

भारत में 6 माह तक बच्चों को स्तनपान कराने के आँकड़ों पर गौर करें तो यह आँकड़ा पिछले दस वर्षों में 46 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। बावजूद इसके यह एक संतोषजनक स्थिति नहीं है।

## सरकारी पहल

विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ स्तनपान कराने वाली माताओं और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए

एक संगोष्ठी की तरह हैं। ताकि आँगनबाड़ी केंद्रों से लगे क्षेत्रों के लाभार्थियों को एकत्र कर, पौष्टिक आहार और क्विज प्रतियोगिताओं की प्रतिस्पर्धा के जरिये उनमें स्तनपान, आँगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के अन्न प्रासन्न के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा की जा सके। इसलिए सरकार हर वर्ष इस तरह का आयोजन करती है।

इसके अलावा, पोषण, शिशुओं एवं छोटे बच्चों के लिए कम कीमत वाले पोषक आहार को लेकर जमीनी स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्यकर भोजन, स्वच्छता बनाए रखने और सफाई को लेकर भी जागरूकता पैदा की जाती है। साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए इनके महत्व को भी बताया जाता है। इसके अतिरिक्त, कठपुतली शो, स्किट्स, नृत्य एवं नाटकों, फिल्मों, स्लाइड शो, एवी स्पॉट्स और रैलियों के जरिये ग्रामीण स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

पोषण को लेकर इस तरह के महत्वपूर्ण प्रयासों से कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ने और सरकार को राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों एवं सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, स्तनपान को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पास ले जाने से प्रत्येक वर्ष 8,00,000 से ज्यादा जीवन बचाने में मदद मिलेगी। इसमें बड़ी संख्या 6 महीने से कम आयु के बच्चों की है।

**माँ के दूध का बैंक:** दिल्ली में 2016 में माँ के दूध का पहला बैंक खोला गया था, जिसका नाम 'अमारा' रखा गया। यहाँ महज दो महीनों में ही करीब 80 लीटर से ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क इकट्ठा किया गया। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर जिले में 'दिव्य मदर मिल्क बैंक' की स्थापना की गई थी। इसी तरह दिव्य मदर मिल्क बैंक की तर्ज पर ही जयपुर में ही 'जीवनधारा' नामक मदर मिल्क बैंक खोला गया है जो राज्य का पहला सरकारी और उत्तर भारत का दूसरा मदर मिल्क बैंक है।

### स्तनपान कराने के तरीके

- जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान की शुरूआत करना।
- जन्म के बाद पहले छह महीने तक बच्चे को केवल स्तनपान कराना। अन्य प्रकार के दूध, आहार, पेय अथवा पानी नहीं देना।
- स्तनपान को जारी रखते हुए छह महीने की आयु से उचित और पर्याप्त पूरक आहार प्रदान करना।
- दो वर्ष की आयु अथवा इससे अधिक समय तक स्तनपान कराना।

### स्तनपान से माँ को होने वाले लाभ

- यह प्रसव के बाद होने वाले रक्त स्राव को रोकता है तथा माँ में खून की कमी होने के खतरे को कम करता है।
- स्तनपान कराने वाली ज्यादातर माताओं में मोटापे की शिकायत नहीं होती।
- यह शिशुओं के जन्म में अंतर रखने में भी सहायक होता है।
- स्तन और अंडाशय के कैंसर के खतरे को कम करता है।
- यह हड्डियों की कमजोरी से बचाता है।

### स्तनपान से शिशु को होने वाले लाभ

- बच्चे में डायरिया जैसे रोग की संभावना कम हो जाती है।
- माँ के दूध में मौजूद तत्व बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।
- स्तनपान कराने से माँ एवं बच्चे के मध्य भावनात्मक लगाव बढ़ता है।
- माँ का दूध न मिलने पर बच्चे में कुपोषण व सूखा रोग की संभावना बढ़ जाती है।
- यह बच्चे के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### स्तनपान नहीं कराने से नुकसान

स्तनपान नहीं कराने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है–

**शिशु मृत्यु की बढ़ती दर:** विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, जहाँ शिशु मृत्यु दर का वैश्विक औसत प्रति एक हजार पर 49.4 है, वहीं भारत का औसत 38 है। नवजात शिशु मृत्युदर (प्रति एक हजार पर 39) और जन्म के पहले पाँच सालों में होने वाली मौतों (प्रति एक हजार पर 48) के मामले में भी भारत की स्थिति अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण है। शिशु मृत्यु पर रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय न्यूनतम विकास लक्ष्य अभी भारत की पहुँच से काफी दूर है।

**कुपोषित बच्चे:** देश में नवजात शिशुओं की मौत की सबसे बड़ी वजह माँ का दूध नहीं पिलाया जाना भी है। इसलिए बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में 5 साल से कम आयु के 42.5 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं और 69.5 प्रतिशत बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। दुनिया के 10 अविकसित बच्चों में से चार भारतीय होते हैं और पाँच साल से कम उम्र के लगभग 15 लाख बच्चे हर साल भारत में अपनी जान गँवाते हैं, जोकि भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती है।

**माँ के दूध का संरक्षण:** माँ का दूध तो शिशु का सर्वोत्तम आहार है ही लेकिन कई बार उच्च रक्तचाप, अधिक रक्तस्राव या तेज बुखार के चलते माँ शिशु को दूध नहीं पिला पाती है। उस स्थिति में किसी दूसरी माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, लेकिन यह सीधा शिशु को नहीं दिया जा सकता है। उससे पहले कुछ सेफ्टी टेस्ट करने पड़ते हैं और सावधानियाँ भी बरतनी होती हैं। डोनर मदर का भी स्वस्थ होना जरूरी है।

### चुनौतियाँ

स्तनपान बच्चों के लिए अमृत तो माना जाता है लेकिन वर्तमान में देखें तो माताएँ अपने बच्चों को समुचित स्तनपान नहीं करा पा रही हैं क्योंकि उनके सामने कई चुनौतियाँ हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है–

- भारत में आज भी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है अर्थात् उनके पास पोषणयुक्त भोजन नहीं है। परिणामस्वरूप महिलाएं स्वस्थ नहीं हैं और जब माताएँ ही स्वस्थ नहीं हैं तो बच्चों को वो कैसे स्वस्थ रख सकती हैं क्योंकि उनके अंदर दूध का स्राव होता ही नहीं है जिससे वे बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती हैं।
- आज की इस आर्थिक और भौतिकवादी दुनिया में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं जिससे महिला और पुरुष दोनों मिलकर पुरा कर रहे हैं। चूंकि अपने कार्यों को करने के लिए महिलाओं को घर से बाहर रहना पड़ता है और कार्य स्थल पर स्तनपान कराने का कोई समुचित व्यवस्था नहीं होता है इसलिए महिलायें चाहकर भी स्तनपान नहीं करा पाती हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यस्थल हो या निजी कहीं पर भी छोटे बच्चों को रखने की उचित व्यवस्था नहीं होती है इसलिए महिलाओं को अपने शिशुओं को घर पर रखन पड़ता है और वे शिशु स्तनपान से वंचित रह जाते हैं।
- वर्तमान में बदलते सामाजिक सोच भी स्तनपान की राहों में एक बड़ी चुनौती है। इस सोच को आगे बढ़ाने में कई निजी कंपनियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि वे अपने उत्पाद को छोटे बच्चों अर्थात् शिशुओं

के लिए पोषणयुक्त बताती हैं जिससे कि कई महिलाएं जो स्तनपान कराने में समर्थ है वे भी उन बाहरी उत्पादों का सेवन अपने शिशुओं को कराती हैं।

- महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है अपने को फिट और स्वस्थ रखना। उनके कई व्यवसाय या रोजगार में उनकी फिटनेश को ही प्राथमिकता दी जाती है। समाज में कुछ भ्रांतियाँ इस प्रकार फैल गई हैं कि यदि महिलाएं स्तनपान कराती हैं तो उनका शारीरिक ढाँचा प्रभावित होता है एवं वह अपने को फिट नहीं रख पाती हैं परिणामस्वरूप वे स्तनपान कराने से कतराती हैं।

### आगे की राह

स्तनपान सप्ताह के दौरान माँ के दूध के महत्त्व की जानकारी दी जानी चाहिए। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। शिशुओं को जन्म से छह माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्तनपान को बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य की आधारशिला माना जाता है। बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर माँ का पीला एवं गाढ़ा दूध एवं जन्म से 6 महीने तक बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। स्तनपान बच्चे के शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर बच्चे को रोगों से बचाए रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्तनपान कराने वाली माताएँ स्तनपान नहीं कराने वाली माताओं से ज्यादा स्वस्थ रहती हैं।

गर्भावस्था से लेकर बच्चे के दो साल तक का समय यानी 1000 दिन का सदुपयोग ही बच्चे के सम्पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है। गर्भावस्था के दौरान माता का संतुलित एवं पोषक आहार बच्चे के पूर्ण मानसिक विकास में सहयोगी होता है। साथ ही बच्चे को जन्म के बाद होने वाले कुपोषण से भी बचाव करता है। बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जन्म के एक घण्टे के भीतर माँ का गाढ़ा पीला दूध, 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध एवं 2 साल तक स्तनपान कराना माता की जागरूकता का परिचायक है। एक जागरूक और स्वस्थ्य माँ ही अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकती है।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1**

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

■

# 6. भारत-अफ्रीका संबंधों का बदलता परिदृश्य

### चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अफ्रीकी देशों- बेनिन, गाम्बिया और गिनी की यात्रा संपन्न की है। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अफ्रीकी देशों- मापुटो और मोजाम्बिक की यात्रा संपन्न की है। गौरतलब है कि अफ्रीका के साथ भारत का संबंध ऐतिहासिक रहा है और हाल के वर्षों में इन संबंधों में और मजबूती आयी है।

### क्यों अहम है राष्ट्रपति की यह यात्रा

अफ्रीका और खासकर पश्चिम अफ्रीकी प्रांत में भारत के संबंध अभी तक उतने बेहतर नहीं है जितना कि अपेक्षा की जाती है। हालांकि भारत इन देशों में कई क्षेत्रों में निवेश के लिए इच्छुक रहा है। दूसरी ओर, चीन की पकड़ इन इलाकों में भारत से ज्यादा अच्छी है। ऐसे में राष्ट्रपति का ये दौरा भारत के लिए काफी मायने रखता है।

राष्ट्रपति की इस यात्रा का उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीका के विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। इन दोनों ही देशों का अटलांटिक क्षेत्र में कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है। अटलांटिक क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने के साथ ही समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए भी भारत के लिए यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा बेनिन का भारत अभी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चारों तरफ से लैंड लॉक सब-सहारन क्षेत्र में बेनिन ही भारत का प्रवेश द्वार है। गाम्बिया में संसद का निर्माण भी भारत की ओर से ही किया गया है और कई वरिष्ठ अधिकारियों को ट्रेनिंग भारत में ही प्रदान की जाती है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत कूटनीतिक संबंधों पर लगातार जोर दे रहा है।

अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ भारत की आर्थिक और सैन्य समझौतों में चीन जैसी महत्वाकांक्षा नहीं है। हालांकि, भारत खास तौर पर अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने में जुटा है। मोजाम्बिक के साथ ही भारत बोत्सवाना, मिस्र, केन्या, लिसोथो, मोरक्को, नामीबिया, रवांडा, तंजानिया, यूगांडा और जाम्बिया जैसे देशों के साथ सैन्य समझौतों को मजबूत कर रहा है।

इसके अलावा अफ्रीका के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- **भारी निवेशः** अफ्रीका में भारतीय मूल के करीब 30 लाख लोग लोग रहते हैं। भारतीय कारोबारियों ने भी अफ्रीका में भारी रकम का निवेश कर रखा है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वहाँ के एनर्जी सेक्टर में सक्रिय है।
- **एनर्जी रिसोर्सः** पेट्रोलियम पदार्थों के लिए खाड़ी के देशों पर निर्भरता कम करने के मकसद से भारत ने अफ्रीकी देशों का रुख किया है। फिलहाल भारत के कच्चे तेल के आयात का करीब एक चौथाई हिस्सा अफ्रीका से आता है।
- **दालों की खेतीः** भारत में करीब 240 लाख टन दालों की माँग है, जबकि आपूर्ति 170 लाख टन के करीब ही हो पाती है। यही वजह है कि भारत में दालों की कीमत ऊँची है। इन हालात में अफ्रीकी देशों में दालों की कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खेती की प्लानिंग हो रही है।
- **समुद्री मार्गः** विश्व व्यापार के लिए बेहद अहम अफ्रीका से सटे समुद्री इलाकों में समुद्री डाकुओं का काफी आतंक रहा है। भारतीय नौसेना ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराके इस आतंक से काफी हद तक मुक्ति दिलाई है।
- **मेडिकल टूरिज्मः** भारत को मेडिकल टूरिज्म से 2020 तक 8 अरब डॉलर की आय का अनुमान है। यहाँ इलाज के लिए आने वाले लोगों में अफ्रीकी देशों के लोगों की अच्छी खासी संख्या होती है।
- **एजुकेशन हबः** भारत में पढ़ रहे 40 हजार से ज्यादा विदेशी छात्रों में 10 फीसदी संख्या सिर्फ नाइजीरिया और सूडान के छात्र-छात्राओं

की है। नाइजीरिया से भारत आने वाले लोगों में 10 फीसदी यहाँ पढ़ने आते हैं।

### वर्तमान परिदृश्य

भारत और अफ्रीका के समक्ष विकास से संबंधित समान चुनौतियाँ मौजूद हैं। ऐसे में अफ्रीका के भविष्य का आर्थिक अनुमान और भारत का विकास दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हमारे व्यापार और निवेश संबंधों में प्रगति हो रही है। वर्ष 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार 62 बिलियन डॉलर से अधिक रहा। 54 बिलियन डॉलर से अधिक के संचयी निवेश के साथ भारत, अफ्रीका का पाँचवां सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। अफ्रीकी प्राथमिकताओं और टिकाऊ साझेदारियों पर आधारित हमारा विकास संबंधी सहयोग इस महाद्वीप के साथ हमारे संबंधों की एक प्रमुख विशेषता है। दक्षिण एशिया के बाद, अफ्रीका महाद्वीप विदेशों में भारत की ओर से दी जाने वाली सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। 41 देशों को 11 बिलियन डॉलर की कुल राशि तक की 181 ऋण सहायता प्रदान की गई हैं। भारतीय परियोजनाओं की बदौलत अफ्रीका महाद्वीप के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी बदलाव आया है।

### भारत-गाम्बिया

भारत, गाम्बिया के साथ अपनी गौरवपूर्ण विकास साझेदारी को अहमियत देता है। भारत ने गाम्बिया की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, ढाँचागत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उसकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहायता प्रदान की है।

भारत ने गाम्बिया में ग्रामीण विकास, कृषि, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा और वास्तविक बुनियादी ढाँचे की स्थापना संबंधी कार्यक्रमों के लिए 78.5 मिलियन डॉलर की रियायती ऋण सहायता प्रदान की है। 92 मिलियन डॉलर की एक अन्य ऋण सहायता का विस्तार किया गया है। हर साल गाम्बिया से युवा शिक्षा, कौशल और डिजिटल क्षेत्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत आते हैं। भारत वहाँ के संस्थानों के निर्माण और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता करते हुए गाम्बिया को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए भारत सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू, परेशानी मुक्त और कुशल बनाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत ने पासपोर्ट, कांसुलर दस्तावेज और ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के लिए आसान उपाय किए हैं। जरूरतमंद लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, भारत ने त्वरित और लक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया, एप और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया है।

भारतीय समुदाय सदैव स्थानीय सरकार की मदद के लिए तत्पर रहा है। इस क्षेत्र में इबोला संकट के दौरान, भारतीय समुदाय ने गाम्बिया की सरकार के आपातकालीन सहायता के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब भी गाम्बिया के नेशनल हॉस्पिटल में दवाओं या सामग्रियों की कमी हुई है, समुदाय ने एकजुट होकर उसे सहायता प्रदान की है।

### भारत-गिनी

भारत, गिनी के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और बढ़ाने के लिए उत्सुक है। गिनी के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की अहमियत को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस साल जनवरी में कॉनक्री में भारतीय दूतावास खोला है। भारत, गिनी की राष्ट्रीय विकास योजना के समर्थन में गिनी के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने क्षेत्रीय अस्पतालों, ऊर्जा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों में गिनी द्वारा चिह्नित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत ने कॉनक्री जलापूर्ति परियोजना के लिए 170 मिलियन डॉलर की नई ऋण सहायता की भी पेशकश की है।

भारत, गिनी के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत की वृद्धि और गिनी की प्राकृतिक ताकत एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय कंपनियां विशेष रूप से खनन, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और औषधि निर्माण क्षेत्रों में गिनी में निवेश करने को इच्छुक हैं।

भारत, विशेषकर पश्चिम अफ्रीकी देशों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों से निपटने सहित अफ्रीकी संघ के मामलों में गिनी की अग्रणी भूमिका की सराहना करता है।

भारत और गिनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, जवाबदेह, पारदर्शी, समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए उसके सुधारवादी बहुपक्षवाद और व्यापक सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी का परिणाम है कि गिनी के राष्ट्रपति श्री कॉनडे ने 2021-2022 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी के प्रति समर्थन व्यक्त किया है।

### भारत-बेनिन

आज, भारत वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। अगले सात वर्षों में, हमारा लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। इसलिए दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव कई गुना बढ़ गया है। अफ्रीका के साथ हमारी साझेदारी इस शृंखला में एक केंद्रीय स्थान ले लेगी। भारत ने अफ्रीका में 18 नए दूतावास खोलने का फैसला किया है, जिनमें से 7 पश्चिम अफ्रीका में होंगे। इस संदर्भ में, बेनिन जैसे देशों के साथ हमारे संबंधों का समेकन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत बेनिन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लगभग 100 भारतीय या भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं।

बेनिन में भारतीय दूतावास की अनुपस्थिति में, ये संघ हमारे समुदाय के सदस्यों और अबूजा (नाइजीरिया) में स्थित भारतीय मिशन के बीच एक महत्वपूर्ण पुल बन गया है। चाहे वह किसी भी संकटग्रस्त भारतीय की मदद करना हो या दूतावास सेवाएं देनी हो, भारतीय संघ हमेशा सबसे आगे रहा है।

भारत और बेनिन ने आर्थिक संबंधों पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, निर्यात ऋण और निवेश बीमा में सहयोग, ई-वीबीएबी (ई-विधा-भारती तथा ई-आरोग्य भारती) नेटवर्क परियोजना, भारतीय राजनयिक/अधिकारी पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने बेनिन में विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की नई ऋण सुविधा की पेशकश की है। दोनों देश आतंकवाद और समुद्री डकैती के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। भारत ने समुद्री डकैती रोधी क्षमता का विस्तार करने के लिए बेनिन को और प्रशिक्षण सहायता की पेशकश की। भारत और बेनिन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए साथ काम करने को भी सहमत हुए हैं। बेनिन में 103 गांवों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करने की परियोजना पर भारत काम कर रहा है। बीते 10 वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार 35 करोड़ डॉलर से बढ़कर 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गया है। इसी के साथ भारत बेनिन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया है।

### भारत की अफ्रीका नीति में बदलाव

पिछले कुछ दशकों में भारत की अफ्रीका नीति बहुत हद तक निराशा और अनिच्छा से प्रकट की गई प्रतिक्रियाओं के बीच झूलती रही है। कई मंचों पर तो इस महाद्वीप की ओर रणनीतिक

उदासीनता भी दिखाई पड़ी है। भारत की विदेश नीति के व्यापक ढाँचे में अफ्रीका महाद्वीप के देशों को अब तक कोई खास महत्त्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति में बदलाव आने लगा है। भारत के नेता अफ्रीकी देशों की यात्रा भी बहुत कम करते थे और बहुत कम ही ऐसा होता था कि भारत की विदेश नीति से संबंधित महत्वाकांक्षाओं में उस पर कोई चर्चा भी की जाती हो। अफ्रीका के साथ भारत के समकालीन संबंधों का वर्णन अब तक पूरी तरह से हमारी सदियों पुरानी व्यापारिक भागीदारी, समृद्ध प्रवासी भारतीयों द्वारा विकसित सामाजिक-सांस्कृतिक संपर्क सूत्रों और नेहरु युग के दौरान चलाए गए उन राष्ट्रीय आंदोलनों के ऐतिहासिक संवादों पर ही केंद्रित रहता था, जिसमें साम्राज्यवादी शासन के विरोध में चलाए गए संघर्षों के समर्थन और गुट-निरपेक्ष आंदोलन के बदलते भू-राजनैतिक उथल-पुथल का ही उल्लेख रहता था। आखिर वे कौन-से तत्व थे, जिनके कारण ये रिश्ते फिर भी आगे बढ़ते रहे।

2018 तक इस महाद्वीप की 3.2 प्रतिशत की दर से आर्थिक उन्नति इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसमें विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली छह अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार इस साल इथोपिया 8.2 प्रतिशत, घाना 8.3 प्रतिशत, कोटे डी आइवर 7.2 प्रतिशत, जिबूती 7 प्रतिशत, सेनेगल 6.9 प्रतिशत और तंजानिया 6.8 प्रतिशत की दर से आर्थिक उन्नति करेगा। इसके अलावा, अनेक अफ्रीकी देश विदेशी निवेशकों और विकास में भागीदारों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देते रहे हैं और भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद (UNSC) में सीट पाने के लिए सक्रिय होकर प्रयास कर रही है। इसके अलावा, इस महाद्वीप के शक्तिशाली देशों का, विशेषकर चीन की अति सक्रिय भूमिका के कारण प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसी बात ने भारत को इस पर पुनर्विचार करने को बाध्य किया।

भारत की इस नई दिलचस्पी का एक कारण यह भी हो सकता है कि अफ्रीकी महाद्वीप इस समय अपने संक्रमण के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और उसकी विकास-यात्रा में भारत अनेक भूमिकाओं का निर्वाह कर सकता है। वर्तमान दौर में भारत ने जो खास काम इस महाद्वीप में किया है, वह है विकास के लिए अनेक प्रकार की पहल करना। इन पहलों में से कुछ हैं, भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग (ITEC), टीम 9 (पश्चिमी अफ्रीका के आठ देश और भारत) और अखिल अफ्रीकी ई-नेटवर्क, जिनका उद्देश्य है, संस्थागत और मानवीय क्षमता का निर्माण और कौशल व ज्ञान-अंतरण को सुगम बनाना। दिलचस्प बात तो यह है कि हाल ही में दिए गए वक्तव्यों और संयुक्त बयानों की नजदीकी जाँच-पड़ताल से पता चलता है कि अफ्रीका के प्रति भारत के नजरिये की व्याख्या "win-win cooperation" अर्थात् दोनों पक्षों में परस्पर सहयोग और जीत की भावना से की जा सकती है और यह "विकास के वैकल्पिक मॉडल" को दर्शाने के लिए एक सुविचारित नैतिक प्रयास है।

इस रिश्ते की नई प्रवृत्तियों के पीछे उन उप-राष्ट्रीय संगठनों और राज्य सरकारों की भूमिका भी रही है, जो अफ्रीकी देशों के अपने समकक्षों के साथ स्वतंत्र रिश्ते बनाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। उदाहरण के लिए, केरल अपने उन प्रोसेसिंग संयंत्रों के लिए, जो कच्चे माल की तंगी से जूझ रहे हैं, अफ्रीकी देशों से काजू आयात करने की योजना बना रहा है। इसी प्रकार इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका केरल सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वावलंबी संगठन "कुडुम्बश्री" के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य गरीबी मिटाना और महिलाओं का सशक्तिकरण है ताकि वे अपने-अपने देशों में इस मॉडल को स्थानीय स्वरूप प्रदान करते हुए अनुकूलित कर सकें।

भारतीयों के साथ परस्पर संवादों की एक अनूठी विशेषता यह रही है कि उनके साथ भारतीय मूल के लोगों की वास्तविक सद्भावना भी जुड़ी रही है। इनका बॉलीवुड की फिल्मों और गीतों के माध्यम से भारत के साथ अपनेपन का और सांस्कृतिक रिश्ता भी बना हुआ है। बॉलीवुड की फिल्में और गीत भारत के साथ रिश्ता बनाये रखने के लिए अकसर सेतु का काम करते हैं।

भारतीय कॉर्पोरेट ने ही इस प्राचीन रिश्ते को न केवल खड़ा किया है, बल्कि उसे निभाया भी है। भारतीय कारोबारी अफ्रीका के भौगोलिक रिक्त स्थानों और क्षेत्रों में सक्रिय हैं। कृषि-व्यवसाय, इंजीनियरिंग, निर्माण, फिल्म वितरण, सीमेंट, प्लास्टिक्स और सिरेमिक्स निर्माण, विज्ञापन, विपणन, फार्मास्युटिकल्स और दूरसंचार जैसे केवल कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें भारतीय लोग सक्रिय हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में भारतीय कॉर्पोरेट जगत की उपस्थिति को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित कारोबार; राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियाँ या निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs) और कारोबार के अवसरों की तलाश में नए लघु व मझौले उपक्रमों (SMEs) की स्थापना।

## चुनौतियाँ

- चीन एशिया ही नहीं अफ्रीकी देशों के बीच भी अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश में जुटा है। चीन अपने महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परीयोजना के साथ ही अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ अपने संबंध विस्तार में जुटा है। चीन अपने 'न्यू ग्रेट ग्रेम' के तहत अफ्रीका में अपनी धमक बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अफ्रीका खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर महाद्वीप है और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों पर नजर जमाए हुए है। इस संदर्भ में भारत को अफ्रीका को साधने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- चीन भी अपने यहाँ खाद्य सुरक्षा के लिए अफ्रीका में काफी खेती करा रहा है साथ ही चीन वहाँ अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है।
- चीन के साथ अफ्रीकी व्यापार 300 अरब डॉलर का है, जबकि भारत के साथ उसका व्यापार करीब 70 अरब डॉलर का। अफ्रीका में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए चीन भारी रकम खर्च कर रहा है, जबकि भारत इस मामले में चीन से पीछे है।
- भारत सरकार और अफ्रीका में होने वाले उनके कारोबार के बीच बहुत कम समन्वय रहता है और भारतीय कॉर्पोरेट की भूमिका तो मात्र नीतियों के प्रारूप बनाने तक ही सीमित रहती है।
- सरकारी संस्थाओं और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले व्यापारियों के साथ मिलकर भारत ने अफ्रीका के संबंध में न तो कोई समन्वित नीति बनाई है और न ही कोई ऐसा रास्ता निकाला है जिससे दोनों देशों के लोग मिलकर काम कर सकें।
- सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का उद्देश्य अफ्रीका की ऐसी युवा जनसांख्यिकी को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना है जो एक ऐसा मॉडल प्रदान कर सके जिसका अनुकरण करते हुए भारतीय कंपनियाँ प्रौद्योगिकी और मानव पूँजी का सुगमता से अंतरण कर सकें, जो पहले से ही उनकी विशेषता रही है।

उदाहरण के तौर पर इसी प्रकार इथियोपिया के गम्बेल क्षेत्र में भारतीय किसानों ने बहुत ही सस्ती दरों पर जमीन पट्टे पर ले रखी है, लेकिन बुनियादी ढाँचे के विकास और कनेक्टिविटी पर ही काफी खर्च करके उनका काम बंद हो गया है।

### आगे की राह

जैसे-जैसे भारत अफ्रीका के देशों में नये सिरे से अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है, एक ऐसा गतिशील वातावरण बनने लगा है जिसमें तेजी से होते हुए परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ने लगी है। अफ्रीकी सरकारें भी केवल मूक दर्शक नहीं बनी बैठी हैं, बल्कि वे भी आगे बढ़कर सक्रिय होकर इस महाद्वीप की नियति को सँवारने में जुट गई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनसे परामर्श करते हुए ही भारत इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाए। यह अब इसलिए भी आवश्यक होने लगा है कि इस क्षेत्र में सिंगापुर, मलेशिया, जापान, कोरिया और चीन जैसी गैर-पश्चिमी ताकतें भी अपनी गतिविधियाँ बढ़ाने में लगी हैं। अब जब चीन जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित करने जा रहा है, इस महाद्वीप के साथ रिश्तों के रणनीतिक मायने भी बदल जाएँगे। भारत के लिए भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से इतने विविध महाद्वीप के लिए समान नीति बनाने का प्रयास करना असंभव भी है और अनावश्यक भी, लेकिन अफ्रीका के विकास में सक्रिय भागीदारी और व्यापक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण यह तय है कि भारत इससे काफी लाभान्वित होगा।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2**

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

## 7. भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष : एक विश्लेषण

### चर्चा का कारण

19 जुलाई का दिन भारत में बैंकिंग के इतिहास में बेहद अहम है। आज से ठीक 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इस संदर्भ में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा आम हो गई है।

### भारत में बैंकिंग का इतिहास

भारत में बैंकिंग का इतिहास काफी पुराना है। भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंकिंग कंपनी अवध कॉमर्शियल बैंक (1881) थी। 1940 के दशक में 588 बैंकों की असफलता के कारण कड़े नियमों की जरूरत महसूस की गई। फलस्वरूप बैंकिंग कंपनी अधिनियम फरवरी 1949 में पारित हुआ, जो बाद में बैंकिंग नियमन अधिनियम के नाम से संशोधित हुआ।

19 जुलाई, 1969 को 14 प्रमुख बैंकों (जिनमें जमा राशि 50 करोड़ रु. से अधिक थी) का राष्ट्रीयकरण किया गया। बाद में अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद के तीन दशकों में देश में बैंकिंग प्रणाली का असाधारण गति से विस्तार हुआ- भौगोलिक लिहाज से भी और वित्तीय विस्तार की दृष्टि से भी। 14 अगस्त, 1991 को एक उच्च-स्तरीय समिति वित्तीय प्रणाली के ढांचे, संगठन, कामकाज और प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई। एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में बनी इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1992-93 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 साल पूरे होने पर सरकारी बैंकों के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पांच साल में बैंकों को दो लाख 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी देकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह आर्थिक-सामाजिक बदलावों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी बैंकों को मजबूत करेगी। यूपीए सरकार के आंकड़ों को भी जोड़ लें तो वित्त वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक बैंकों को 3.8 लाख करोड़ रुपये की मदद मुहैया कराई जा चुकी है।

### क्या होता है राष्ट्रीयकरण

राष्ट्रीयकरण को सरल भाषा में सरकारीकरण भी कह सकते हैं। जब किसी संस्था या व्यापारिक इकाई का स्वामित्व सरकार के अधीन होता है, तो उसे राष्ट्रीयकृत संस्था या इकाई कहा जाता है। ऐसी संस्थाओं पर सरकार का स्वामित्व तब ही माना जाता है जब उसकी पूंजी का न्यूनतम 51 फीसदी हिस्सा सरकार के पास हो।

### बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण

राष्ट्रीयकरण की मुख्य वजह बड़े व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली "क्लास बैंकिंग" नीति थी। बैंक केवल धनपतियों को ही ऋण व अन्य बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाते थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्लास बैंकिंग; "मास बैंकिंग" में बदल गयी साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ।

भारत का बैंकिंग क्षेत्र स्वतंत्रता के पश्चात् प्रमुख रूप से निजी हाथों में था। जहाँ एक ओर इन बैंकों की सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग की कोई रुचि नहीं थी, वहीं दूसरी ओर इनका प्रशासन एवं विनियमन भी खराब स्थिति में था। वर्ष 1947-1955 के बीच लगभग छोटे-बड़े 300 से भी अधिक बैंक बंद हो चुके थे, साथ ही इन बैंकों में लोगों की जमा पूँजी भी डूब चुकी थी। ये बैंक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की पहुँच से दूर थे तथा इन बैंकों के माध्यम से कुछ उद्योग कालाबाजारी तथा जमाखोरी में भी लिप्त थे।

उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त तत्कालीन समय में सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये विभिन्न प्रयास कर रही थी, भारत में समावेश को बढ़ावा देने के लिये तथा लोगों विशेषकर ग्रामीण आबादी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिये सरकार बैंकों का समर्थन चाहती थी किंतु बैंकों पर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के बगैर यह मुमकिन नहीं था। अतः सरकार द्वारा वर्ष 1969 में और बाद में वर्ष 1980 में बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण को कुछ निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- बैंकों से केवल कुछ अमीर घरानों का प्रभुत्व हटाना।

2. कृषि, लघु व मध्यम उद्योगों, छोटे व्यापारियों को सरल शर्तों पर वित्तीय सुविधा देने व आम जन को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना।

- बैंक प्रबंधन को पेशेवर बनाना।
- देश में आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण रोकने के लिए उद्यमियों के नए वर्गों को प्रोत्साहन देना।

## राष्ट्रीयकरण के परिणाम

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों की खराब स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। वर्ष 1969 से पूर्व बैंकों की सिर्फ 8 हजार शाखाएँ थीं जो वर्ष 1994 में बढ़कर 60 हजार तथा वर्ष 2014 में इनकी संख्या 1 लाख 15 हजार के करीब पहुँच गईं। इससे पहले सभी बैंक सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही स्थित थे लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 43 हजार बैंक स्थापित हो चुके हैं। पहले बैंक निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते थे जिससे इनकी रुचि सामाजिक कल्याण के बजाय निजी लाभ में होती थी लेकिन भारत जैसे देश में बैंकिंग व्यवस्था विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के लिये आवश्यक है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक भारत में समावेशी विकास एवं विभिन्न कल्याण योजनाओं की धुरी बन गए। वर्तमान में प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) जैसे कार्यक्रम जिसके अंतर्गत वर्ष 2018 तक लगभग 31 करोड़ बैंक खाते खोले गए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ही संभव हो सकता था। ऐसी योजनाओं ने न सिर्फ समाज के अंतिम वर्ग तक बैंकों की पहुँच सुनिश्चित की बल्कि विभिन्न योजनाओं के लिये आधार का कार्य भी किया। भारत में बजट का बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में खर्च किया जाता है। विभिन्न चैनलों के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी में भ्रष्टाचार एवं रिसाव (Leakage) की समस्या होती थी, इससे एक बड़ी राशि लक्षित समूह तक नहीं पहुँच पाती थी। बैंकों के समावेशीकरण के बाद ऐसी सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के माध्यम से देना संभव हो सका। वर्तमान में गैस सब्सिडी, मनरेगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सबके लिये आवास योजना आदि कार्यक्रमों की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में देना मुमकिन हो सका है।

## आलोचनात्मक विश्लेषण

उल्लेखनीय है कि कुछ लोग अभी भी यह दावा करते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस मकसद से किया गया था, वह हासिल हुआ। बैंकों को शहरों में खोले जानी वाली हर एक ब्राँच के बदले ग्रामीण क्षेत्रों में चार शाखाएँ खोलने का निर्देश दिया गया। इस वर्ग का कहना है कि इससे कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्ज में बढ़ोतरी हुई क्योंकि बैंकों से कहा गया था कि उन्हें 18 प्रतिशत कर्ज खेती और उससे जुड़े कामकाज के लिए देना होगा। लेकिन क्या इससे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को फायदा हुआ? हावर्ड बिजनेस स्कूल के अर्थशास्त्री शॉन कोल ने पता लगाया कि 'बैंकों के राष्ट्रीयकरण से वित्तीय विकास में तेजी आई। इससे कृषि क्षेत्र को अप्रत्याशित कर्ज मिला, लेकिन इसके लिए कर्ज देने की शर्तों से समझौता किया गया। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्ज में दोगुनी बढ़ोतरी के बावजूद निवेश में खास बढ़ोतरी नहीं हुई। यहाँ तक कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद शुरू में कृषि कर्ज में जो बढ़ोतरी हुई थी, वह भी टिकाऊ साबित नहीं हुई।' दूसरी तरफ, औद्योगिक क्षेत्र पर इसका बुरा असर साफ दिख रहा था। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक जोखिम से बचने लगे और शायद ही वे कभी नई कंपनियों को कर्ज देते थे। हाल यह था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को कभी जरूरत के मुताबिक फंड नहीं मिल पाता था। बैंक अधिकारियों ने अब मुनाफे में चलने वाली कंपनियों की तलाश बंद कर दी थी। उन्हें ऐसी कंपनियों के मूल्यांकन में सिर खपाने की जरूरत नहीं दिख रही थी। इसके बजाय, चाहे जिस भी वजह से, उन्होंने राजनीति से जुड़े नेताओं की चुनी हुई कंपनियों को कर्ज देना शुरू कर दिया।

इसका अंजाम समय-समय पर डूबे हुए कर्ज (बैड लोन) के रूप में सामने आता रहा और बैंकों को टैक्स चुकाने वालों की मदद की जरूरत पड़ती रही। यह किस्सा आज तक चल रहा है। इस साल 5 जुलाई के बजट में भी पब्लिक सेक्टर के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई। 2017 के बाद से इन बैंकों को 2.7 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद बैंक डूबे हुए कर्ज से त्रस्त हैं और लोन बांटने से कतरा रहे हैं।

बहुत से लोगों ने उम्मीद की थी कि नए और सक्षम निजी बैंकों के उभरने से पुराने सरकारी बैंक धीरे-धीरे कमजोर होते जाएंगे और आखिर में पूँजी की कमी के कारण उनका अस्तित्व मिट जाएगा।

प्रधानमंत्री की गरीबी मिटाओ मुहिम में सरकारी बैंक फिर से केंद्रीय भूमिका में आ गए हैं। केन्द्र सरकार सरकारी बैंकों पर बेहद छोटे उद्यमियों को कर्ज देने के लिए जोर दे रही है, वह भी बेहद मामूली जमानत (कर्ज के लिए गिरवी रखने जाने वाली संपत्ति) के साथ। रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि इनमें से 10 से 15 प्रतिशत कर्ज कुछ ही साल में डूब गए हैं। सरकार गरीबों के लिए बड़ी संख्या में खोले गए जीरो बैलेंस वाले बैंक खातों को उपलब्धि मानती है। वह इनका इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान के लिए करना चाहती है। सरकारी आदेश से इन लोगों के लिए बीमा योजनाएं भी शुरू की गई हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि इससे जितना पैसा उनके पास आएगा, उससे कहीं अधिक उन्हें देना पड़ेगा। इस बीच, सरकारी बैंकों की तरफ से कंपनियों को कम कर्ज मिल रहा है। इसलिए, निजी बैंकों पर इसका जिम्मा बढ़ गया है यानी पिछले 50 साल में इस मामले में कुछ भी नहीं बदला है। बैंकिंग क्षेत्र का काम ग्रोथ और निवेश को बढ़ावा देना होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक अक्षम बने हुए हैं और उनमें पैसों की बर्बादी हो रही है।

उपर्युक्त स्थिति के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अभी भी मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। बाजार की कुल बैंक उधारी (Credits) एवं कुल जमा (Deposits) अभी भी क्रमशः 63.2 प्रतिशत एवं 66.9 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही मौजूद है। हालाँकि एनपीए (NPA) बैंकों के लिये बड़ी समस्या बनकर उभरा है। किंतु इसमें भी सुधार देखा जा रहा है, साथ ही सरकार, आरबीआई एवं संबंधित बैंक अपने फँसे हुए ऋण की वसूली के लिये प्रयास कर रहे हैं।

कुछ विशेषज्ञ बैंकों की कमजोर हो रही स्थिति को देखते हुए इनके निजीकरण का विचार प्रस्तुत करते रहे हैं। भारत जैसे देश में जहाँ गंभीर आर्थिक असमानताएँ मौजूद हैं तथा लोगों की स्थिति में सुधार के लिये बैंकिंग व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे में निजीकरण का विचार किसी भी रूप में उचित नहीं समझा जा सकता है। निजीकरण के स्थान पर सरकार को बैंकों की स्थिति में सुधार के लिये आगे आना होगा, साथ ही बैंकों के गवर्नेंस को सुधारने के लिये भी प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे इनकी कार्यपद्धति में बदलाव लाया जा सके। आरबीआई को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट पर कड़ी नजर रखे ताकि स्थिति के बिगड़ने से पूर्व ही उसे ठीक किया जा सके।

डिजिटलीकरण के दौर में निजी क्षेत्र ने तेजी से अपनी कार्यपद्धति में बदलाव किया है तथा नवीन तकनीकों को स्वीकार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी नवीन तकनीक को उत्साहपूर्वक अपनाना होगा ताकि निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्द्धा की जा सके, साथ ही बैंक सरकार पर बोझ बनने के बजाय सरकार की योजनाओं में सहयोग प्रदान कर सकें। यदि कुछ बैंकों की स्थिति को ठीक करना मुमकिन न हो, तो ऐसे बैंकों के निजीकरण के बजाय उनके विलय पर भी विचार किया जा सकता है, कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा कुछ बैंकों का विलय भी किया गया है। बैंकों के विलय से न सिर्फ

बैंकों के कार्यकरण में सुधार होगा बल्कि इनके आकार में भी वृद्धि हो सकेगी जिससे ये विश्व के बड़े बैंकों में शामिल हो सकेंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दे सकेंगे।

## बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क

- समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है।
- केन्द्रीय तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच एकता के लिये वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था।
- बैंक साख का उचित उपयोग सम्भव हो सकेगा तथा कृषि, लघु उद्योग तथा यातायात के क्षेत्र में पर्याप्त साख की व्यवस्था हो सकेगी।
- बैंक के कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी।
- निजी स्वामित्व की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत बैंक अधिक कार्यकुशल होते हैं।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का संचालन सरकार के हाथ में रहेगा, जिससे बैंकों के फेल होने का भय नहीं रहेगा। जमाकर्ताओं के निक्षेप अब सुरक्षित रहेंगे।
- बैंकों पर सरकारी स्वामित्व होने के कारण ये बैंक देश की आर्थिक नीतियों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को वित्तीय सहायता दे सकेंगे। बैंक के उपलब्ध साधनों का उपयोग विकास कार्य में होगा।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंक एकाधिकारी प्रवृत्ति से दूर होंगे। उद्योगपतियों का बैंकों पर नियन्त्रण समाप्त हो जायेगा।
- अब बैंक के संचालक अवांछनीय कार्य नहीं कर सकेंगे जैसे सट्टेबाजी में पैसा लगाना, बैंक के धन से मुनाफाखोरी करना, काला बाजारी करना, बैंक ऋण से संग्रहित करना आदि।
- अब बैंकों की शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोली जा सकेंगी।

गरीबों के जीवन में बदलाव के लिए आधार के जरिये लोगों को सीधे मदद की मुहिम के तहत बैंकों के जरिये सरकार ने सामाजिक योजनाओं को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, किसानों को पेंशन की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना को बैंकों ने बखूबी जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। हर तरह की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में डालने में उनकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं की जा सकती।

## राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का देश में विरोध भी हुआ। आलोचकों का कहना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आर्थिक विचारधारा से प्रभावित न होकर राजनैतिक विचारधारा से प्रभावित है। इसका प्रमाण यह है कि बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण लगा था। इसके परिणाम आने के पूर्व ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक चौंकाने वाली घटना है।

- आलोचकों का कहना है कि भारत में अब तक किया गया राष्ट्रीयकरण असफल रहा है। बैंक भी अब राष्ट्रीयकृत व्यवसाय की श्रेणी में आ गये हैं।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों को काफी नुकसान होगा।
- राष्ट्रीयकरण के बाद गरीब लोगों को, कृषकों से तथा लघु उद्योगपतियों को इससे विशेष लाभ नहीं होगा।
- राष्ट्रीयकृत उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था कुशल नहीं होगी।

## आगे की राह

बैकों का राष्ट्रीयकरण करना कितना नुकसानदायक और लाभदायक रहा यह आज भी एक यक्ष प्रश्न की तरह है क्योंकि बहुत से विद्वानों में इसे लेकर मतभिन्नता बरकरार है। हालाँकि परिवर्तन किसी भी देश की प्रगति का वाहक होता है बशर्ते वह सही दिशा में हो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी सरकार द्वारा उठाया गया एक कठोर कदम था जो न सिर्फ बैंकों बल्कि समाज के गरीब तबके और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का एक दृढ़ प्रयास था। इससे न सिर्फ शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्र भी बैंकिंग सेवा के क्षेत्र में सुदृढ़ हुए। सरकार समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है न कि निजी लाभ के लिए इसलिए माना जाता है कि वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा समाज के अधिकतम लाभ के कार्य कर सकती है।

हालांकि इसका एक दूसरा पहलू यह है कि वर्तमान में कई कार्य निजीकरण के द्वारा या निजी सरकारी सहयोग (PPP मॉडल) द्वारा बखूबी किये जा रहे हैं इसलिए यदि आवश्यक हो तो सरकार अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए बैंकों को निजीकरण के तहत भी संचालित कर सकती है।

कुल मिलाकर देशहित में जो अच्छा हो उसे सरकार को करना चाहिए न कि अपने राजनीतिक हित या व्यक्तिगत हित के लिए। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि भूतकाल में किये गये कार्यों का यदि सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाय तो उसका सुखद परिणाम वर्तमान और भविष्य दोनों में मिलता है। अतः यदि सरकार सही नियति से कार्य करें तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को एक नई ऊँचाई तक पहुँचाया जा सकता है।

**सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3**

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

# सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

## 1. अनुच्छेद 370 में बदलाव : कश्मीर मुद्दे का कहाँ तक हल है?

**प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर का विकास हो सकेगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।**

**उत्तर:**

### चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित कर दिया है, जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड 1 के सिवाय इस अनुच्छेद के सारे खण्डों को हटा दिया गया है और राज्य का विभाजन कर दो केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) एवं लद्दाख (बिना विधानसभा) का गठन कर दिया गया।

### अनुच्छेद 370 की भूमिका

- जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है और इसे भारत के संविधान के भाग-I तथा अनुसूची 1 में रखा गया है। किंतु इसका नाम, क्षेत्रफल या सीमा को केंद्र द्वारा बिना इसके विधान सभा की सहमति से नहीं बदला जा सकता है।
- जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान है तथा इसी संविधान द्वारा इस पर प्रशासन चलाया जाता है। अत: भारत के संविधान का भाग-VI (राज्य सरकार से संबंधित) इस राज्य पर लागू नहीं है। इस भाग के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में जम्मू एवं कश्मीर शामिल नहीं है।
- आंतरिक असंतुलन की स्थिति में घोषित आपातकाल राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना नहीं लागू होगी।

### अनुच्छेद 35A हटाने के औचित्य और 370 के अप्रभावी होने के मायने

- वर्तमान उपबंधों के अनुसार यदि जम्मू-कश्मीर की लड़कियाँ किसी गैर जम्मू-कश्मीर राज्य के लड़के से शादी कर लेती हैं, तो उन्हें भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होता है और उनके बच्चों को भी सभी प्रकार के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद-35A महिला अधिकारों और समानता के अधिकार का भी हनन करता है।
- जम्मू-कश्मीर में लगभग पिछले 70 वर्षों से हिंसा की घटनाएँ देखने को मिल रही थीं, जिससे विकास के कार्य अवरूद्ध हो जाते थे। इस अनुच्छेद को हटाये जाने से हिंसा पर लगाम लगाने और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

### अनुच्छेद 35A को हटाने और 370 को अप्रभावी करने के विपक्ष में तर्क

- विधि विशेषज्ञों का कहना है कि 'संविधान सभा' को विधान सभा के समतुल्य नहीं माना जा सकता है, जैसा कि सरकार ने किया है। यह तर्कसंगत नहीं है।
- साथ ही उनका कहना है कि सरकार ने खुद ही सहमति ले ली है क्योंकि राज्यपाल तो केन्द्र के ही प्रतिनिधि होते हैं, ना कि वहाँ की जनता के।

### अनुच्छेद-370 के अप्रभावी होने से होने वाले परिवर्तन

- अब जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी जमीन खरीद सकेंगे।
- जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वे समाप्त हो जाएंगे।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।

### आगे की राह

- वर्तमान में जम्मू-कश्मीर की स्थिति काफी चिंताजनक है और वहाँ धारा-144 लगी हुई है। अगर वहाँ के आम नागरिकों द्वारा हिंसात्मक प्रतिरोध किया जाता है, तो प्रशासनिक स्तर पर सही ढंग से नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिससे कि जान-माल का नुकसान न हो सके। ■

## 2. तीन तलाक पर पाबंदी : मुस्लिम महिलाओं को विधिक संरक्षण

**प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 मुस्लिम महिलाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में अंकित हुआ है? समग्र विश्लेषण कीजिए।**

**उत्तर:**

### चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है।

### तीन तलाक क्या है

- तीन तलाक को तलाक-ए-बिद्दत भी कहते हैं। तीन तलाक (Teen Talaq) मुस्लिम समाज में तलाक की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे कोई भी पति अपनी पत्नी को सिर्फ तीन बार तलाक कहकर अपनी शादी को तोड़

सकता है। गौरतलब है कि इस्लाम में तलाक की एक प्रकिया बताई गई है और इस प्रकिया से होने वाले तलाक स्थिर होते हैं, जिसके बाद शादी का रिश्ता टूट जाता है।

### इस अधिनियम में प्रावधान

- इस अधिनियम में तीन तलाक के मामले को सिविल मामलों की श्रेणी से निकाल कर आपराधिक श्रेणी में डाला गया है।
- तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को गैर कानूनी घोषित किया गया है।
- तीन तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान किया गया है अर्थात् पुलिस बिना किसी वारंट के संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।

### सरकार का पक्ष

- यह अधिनियम सियासत, धर्म, सम्प्रदाय का प्रश्न नहीं है बल्कि नारी के सम्मान और नारी-न्याय का सवाल है।
- यह अधिनियम भारत की मुस्लिम बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामला से संबद्ध है।
- इस अधिनियम को किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये।

### विपक्ष का तर्क

- तलाक देने वाले पति को तीन साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा तो वह पत्नी एवं बच्चे को गुजारा भत्ता कैसे देगा।
- इस्लाम में शादी को एक दिवानी समझौता बताया गया है, तलाक का मतलब इस करार को समाप्त करना है। इस कानून के तहत तलाक का अपराधीकरण किया जा रहा है।
- जब उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया है तो ऐसे में इस संबंध में कानून बनाने का क्या औचित्य है।

### निष्कर्ष

- यह उम्मीद की जाती है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून लागू हो जाने के बाद तीन तलाक के मामले कम हो जाएँगे। इसके लिए मुस्लिम युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि कोई समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसकी महिलाओं को मान-सम्मान मिलता है। अब जब मुस्लिम महिलाएँ भी अधिकार संपन्न होने जा रही हैं, तब फिर यह जरूरी हो जाता है कि समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ा जाए। ■

## 3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक, 2019 : एक अवलोकन

**प्र. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन के संदर्भ में हाल ही में संसद से पास किये गये विधेयक की चर्चा करें। साथ ही यह भी बतायें कि यह विधेयक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को अधिक प्रभावशाली व कारगर बनाने में किस प्रकार सहायक होगा?**

**उत्तर:**

### चर्चा का कारण

- हाल ही में लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 (National Medical Commission Bill, 2019) पास कर दिया गया। इसके तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर एक नई संस्था 'राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग' (National Medical Commission) का गठन किया जाएगा।

### राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 क्या है

- इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में राज्य चिकित्सा संस्थान शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में अपनी समस्याएँ और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) का भी गठन करेगी जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मेडिकल शिक्षा से संबंधित सुझाव देगी।

### राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC)

- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) मेडिकल शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में राज्यों को अपनी समस्याएँ और सुझाव रखने का मौका देगी। ये परिषद चिकित्सा आयोग को सुझाव देगी कि मेडिकल शिक्षा को कैसे और अच्छा बनाया जाए।
- 25 सदस्यों में से 11 सदस्य विभिन्न राज्यों से होंगे। इनमें से 21 सदस्य डॉक्टर होंगे, जो डॉक्टरों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करेंगे।

### उद्देश्य

- इस विधेयक का मकसद है देश में मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाना। देश में एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) की प्रणाली बनाई जाए जो विश्व स्तर की हो।

### आवश्यकता क्यों

- विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि आयुर्विज्ञान शिक्षा किसी भी देश में अच्छी स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसद की एक स्थायी समिति ने अपनी 92वीं रिपोर्ट में आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय की विनियामक पद्धति का पुनर्गठन और सुधार करने के लिये डा. रंजीत राय चौधरी की अध्यक्षता वाले विशेष समूह द्वारा सुझाए गए विनियामक ढाँचे के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में सुधार करने के लिये कदम उठाने की सिफारिश की थी।

### निष्कर्ष

- परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है इसलिए समाज और नागरिक हित में परिवर्तन होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। ■

## 4. मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019 : एक परिचय

**प्र. हाल ही में संसद ने मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019 को पास कर दिया है। इसके प्रावधानों की चर्चा करते हुए बताएँ कि यह विधेयक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में किस हद तक सफल होगा?**

**उत्तर:**

### चर्चा का कारण

- हाल ही में मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद द्वारा पास कर दिया गया है।

### मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक, 2019 के प्रावधान

- सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा, अनिवार्य बीमा, नेक व्यक्ति (गुड समैरिटन), वाहनों का रीकॉल, राष्ट्रीय परिवहन नीति, सड़क सुरक्षा बोर्ड, अपराध और दंड, टैक्सी एग्रेगेटर इत्यादि।

### अन्य प्रावधान

- नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
- बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य घोषित हो जाएगा। बगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना।

### महत्त्व

- वर्तमान की यातायात चुनौतियों व सड़क सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए एक सशक्त मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकता थी। यह संशोधन विधेयक सड़क के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए उत्तरदायित्व को तय करता है।

### चुनौतियाँ

- भारत में कड़े कानून तो बन जाते हैं परन्तु उनका कार्यान्वयन धरातल पर हो ऐसा कम ही हो पाता है। ऐसे में काफी आशंका है कि नये विधेयक के कड़े प्रावधान व उच्च जुर्माना दरें जमीनी स्तर पर लागू हो पायें।
- भारत में आमजन की आर्थिक स्थिति व बढ़ी हुई जुर्माना दरों में काफी अन्तर है। ऐसे में आमजनों पर काफी ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ेगा।

### आगे की राह

- केवल मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को कानून बनाने से सड़कें दुर्घटना मुक्त हो जायेंगी यह सोचना जल्दबाजी है। सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण उनका संकरा हो जाना है। देश की अधिकांश सड़कें गलियाँ बन चुकी हैं। नगर निकायों का भ्रष्टाचार सड़कों पर स्कूल खुलवा चुका है, धर्मस्थल बनवा चुका है और फुटपाथों को व्यापारियों के हवाले कर चुका है। ■

## 5. शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए स्तनपान का महत्त्व

**प्र. शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए स्तनपान के महत्त्व का वर्णन करते हुए बताएँ कि सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है?**

**उत्तरः**

### चर्चा का कारण

- विश्वभर में 1 अगस्त से 7 अगस्त, 2019 के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह (डब्ल्यूबीडब्ल्यू) मनाया गया है। इस वर्ष का विषय है- 'माता-पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना'।

### विश्व स्तनपान सप्ताह के उद्देश्य

- माता-पिता में स्तनपान को लेकर जागरूकता पैदा करना।
- स्तनपान के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करना और पर्याप्त एवं उचित पूरक आहार के बारे में बताना।

### विश्व स्तनपान सप्ताह का महत्व

- इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों में बताया जाता है कि माँ का दूध बच्चे और माँ दोनों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
- सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में बताया जाता है कि यह प्रारंभिक अवस्था में दस्त और तीव्र श्वसन संक्रमण जैसे, संक्रमणों को रोकता है और इससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है।

### वर्तमान परिदृश्य

- स्तनपान के वर्तमान स्थिति को देखें तो पूरे विश्व में लगभग 62 फीसदी शिशु माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं। नवजात बच्चों को माँ के दूध की उपलब्धता को लेकर यूनिसेफ (UNICEF) की एक रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाले आँकड़े दर्ज किये गए हैं।

### सरकारी पहल

- विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ स्तनपान कराने वाली माताओं और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक संगोष्ठी की तरह हैं। ताकि आँगनबाड़ी केंद्रों से लगे क्षेत्रों के लाभार्थियों को एकत्र कर, पौष्टिक आहार और क्विज प्रतियोगिताओं की प्रतिस्पर्धा के जरिये उनमें स्तनपान, आँगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के अन्न प्रासन्न के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा की जा सके। इसलिए सरकार हर वर्ष इस तरह का आयोजन करती है।

### चुनौतियाँ

- भारत में आज भी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है अर्थात् उनके पास पोषणयुक्त भोजन नहीं है। परिणामस्वरूप महिलाएं स्वस्थ नहीं हैं और जब माताएँ ही स्वस्थ नहीं हैं तो बच्चों को वो कैसे स्वस्थ रख सकती हैं क्योंकि उनके अंदर दूध का स्राव होता ही नहीं है जिससे वे बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती हैं।

### आगे की राह

- स्तनपान सप्ताह के दौरान माँ के दूध के महत्त्व की जानकारी दी जानी चाहिए। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। शिशुओं को जन्म से छह माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ■

## 6. भारत-अफ्रीका संबंधों का बदलता परिदृश्य

**प्र. हाल के कुछ वर्षों में भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य संबंध बेहतर हुए हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए भारत को अफ्रीका को साधने की आवश्यकता है?**

**उत्तरः**

### चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अफ्रीकी देशों- बेनिन, गाम्बिया और गिनी की यात्रा संपन्न की है।

### क्यों अहम है राष्ट्रपति की यह यात्रा

- अफ्रीका और खासकर पश्चिम अफ्रीकी प्रांत में भारत के संबंध अभी

तक उतने बेहतर नहीं है जितना कि अपेक्षा की जाती है। हालांकि भारत इन देशों में कई क्षेत्रों में निवेश के लिए इच्छुक रहा है। दूसरी ओर, चीन की पकड़ इन इलाकों में भारत से ज्यादा अच्छी है। ऐसे में राष्ट्रपति का ये दौरा भारत के लिए काफी मायने रखता है।

### वर्तमान परिदृश्य

- भारत और अफ्रीका के समक्ष विकास से संबंधित समान चुनौतियाँ मौजूद हैं। ऐसे में अफ्रीका के भविष्य का आर्थिक अनुमान और भारत का विकास दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हमारे व्यापार और निवेश संबंधों में प्रगति हो रही है। वर्ष 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार 62 बिलियन डॉलर से अधिक रहा। 54 बिलियन डॉलर से अधिक के संचयी निवेश के साथ भारत, अफ्रीका का पाँचवां सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है।

### भारत की अफ्रीका नीति में बदलाव

- अफ्रीका के साथ भारत के समकालीन संबंधों का वर्णन अब तक पूरी तरह से हमारी सदियों पुरानी व्यापारिक भागीदारी, समृद्ध प्रवासी भारतीयों द्वारा विकसित सामाजिक-सांस्कृतिक संपर्क सूत्रों और नेहरु युग के दौरान चलाए गए उन राष्ट्रीय आंदोलनों के ऐतिहासिक संवादों पर ही केंद्रित रहता था, जिसमें साम्राज्यवादी शासन के विरोध में चलाए गए संघर्षों के समर्थन और गुट-निरपेक्ष आंदोलन के बदलते भू-राजनैतिक उथल-पुथल का ही उल्लेख रहता था। आखिर वे कौन-से तत्व थे, जिनके कारण ये रिश्ते फिर भी आगे बढ़ते रहे।

### चुनौतियाँ

- चीन एशिया ही नहीं अफ्रीकी देशों के बीच भी अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश में जुटा है। चीन अपने महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परीयोजना के साथ ही अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ अपने संबंध विस्तार में जुटा है। चीन अपने 'न्यू ग्रेट ग्रेम' के तहत अफ्रीका में अपनी धमक बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अफ्रीका खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर महाद्वीप है और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों पर नजर जमाए हुए है। इस संदर्भ में भारत को अफ्रीका को साधने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

### आगे की राह

- जैसे-जैसे भारत अफ्रीका के देशों में नये सिरे से अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है, एक ऐसा गतिशील वातावरण बनने लगा है जिसमें तेजी से होते हुए परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ने लगी है। अफ्रीकी सरकारें भी केवल मूक दर्शक नहीं बनी बैठी हैं, बल्कि वे भी आगे बढ़कर सक्रिय होकर इस महाद्वीप की नियति को सँवारने में जुट गई हैं। ■

## 7. भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष : एक विश्लेषण

**प्र. हाल ही में बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा शुरू हो गई है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार सहायक है? इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।**

**उत्तर:**

### चर्चा का कारण

- 19 जुलाई का दिन भारत में बैंकिंग के इतिहास में बेहद अहम है। आज से ठीक 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था।

### बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण

- राष्ट्रीयकरण की मुख्य वजह बड़े व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली "क्लास बैंकिंग" नीति थी। बैंक केवल धनपतियों को ही ऋण व अन्य बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाते थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्लास बैंकिंग; "मास बैंकिंग" में बदल गयी साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ।

### राष्ट्रीयकरण के परिणाम

- राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों की खराब स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। वर्ष 1969 से पूर्व बैंकों की सिर्फ 8 हजार शाखाएँ थीं जो वर्ष 1994 में बढ़कर 60 हजार तथा वर्ष 2014 में इनकी संख्या 1 लाख 15 हजार के करीब पहुँच गईं। इससे पहले सभी बैंक सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही स्थित थे लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 43 हजार बैंक स्थापित हो चुके हैं।

### बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क

- समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है।
- केन्द्रीय तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच एकता के लिये वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था।
- बैंक साख का उचित उपयोग सम्भव हो सकेगा तथा कृषि, लघु उद्योग तथा यातायात के क्षेत्र में पर्याप्त साख की व्यवस्था हो सकेगी।

### राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क

- आलोचकों का कहना है कि भारत में अब तक किया गया राष्ट्रीयकरण असफल रहा है। बैंक भी अब राष्ट्रीयकृत व्यवसाय की श्रेणी में आ गये हैं।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों को काफी नुकसान होगा।

### आगे की राह

- बैकों का राष्ट्रीयकरण करना कितना नुकसानदायक और लाभदायक रहा यह आज भी एक यक्ष प्रश्न की तरह है क्योंकि बहुत से विद्वानों में इसे लेकर मतभिन्नता बरकरार है। हालाँकि परिवर्तन किसी भी देश की प्रगति का वाहक होता है बशर्ते वह सही दिशा में हो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी सरकार द्वारा उठाया गया एक कठोर कदम था जो न सिर्फ बैंकों बल्कि समाज के गरीब तबके और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का एक दृढ़ प्रयास था। ■

# सात ब्रेन बूस्टर्स

## यूएपीए संशोधन विधेयक, 2019

### चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में संसद ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक (यूएपीए) को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने तथा आतंकवाद की जांच के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने सहित कई अधिकार दिये गये हैं।

### यूएपीए क्या है

**2.1** गैर कानूनी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम, 2004 के अंतर्गत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है।

**2.2** यूएपीए एक्ट का उद्देश्य देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

### विधेयक से संबंधित बातें

**3.1** यूएपीए विधेयक के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन या व्यक्ति को आतंकी घोषित कर सकती है अगर निम्न 4 में से किसी एक में उसे शामिल पाया जाता है-

**3.1.1** आतंक से जुड़े किसी भी मामले में उसकी सहभागिता या किसी तरह का कोई कमिटमेंट पाया जाता है

**3.1.2** आतंकवाद की तैयारी

**3.1.3** आतंकवाद को बढ़ावा देना

**3.1.4** आतंकी गतिविधियों में किसी अन्य तरह की संलिप्तता

### एनआईए की शक्तियों में होगा इजाफा

**4.1** विधेयक राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) को भी असीमित अधिकार देता है। अब तक के नियम के मुताबिक एक जाँच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़े किसी भी मामले में संपत्ति सीज करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब यह विधेयक इस बात की अनुमति देता है कि अगर आतंकवाद से जुड़े किसी मामले की जाँच एनआईए का कोई अफसर करता है तो उसे इसके लिए सिर्फ एनआईए के महानिदेशक से अनुमति लेनी होगी।

**4.2** अब एनआईए के महानिदेशक को ऐसी संपत्तियों को कब्जे में लेने और उनकी कुर्की करने का अधिकार मिल जाएगा जिनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया।

**4.3** यूएपीए में नए बदलाव के तहत एनआईए के पास असीमित अधिकार आ जाएंगे। वह आतंकी गतिविधियों में शक के आधार पर लोगों को उठा सकेगी, साथ ही संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर उन पर कार्रवाई कर सकती है।

**4.4** साथ ही जांच के संदर्भ में एनआईए को पहले संबंधित राज्य की पुलिस से अनुमति लेना पड़ती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

### क्यों है विपक्ष को आपत्ति

**5.1** दरअसल विपक्ष को डर है कि यूएपीए (UAPA) में इस नए संशोधन के बाद एनआईए (NIA) की मनमानी बढ़ सकती है इसके तहत वो लोगों को आतंकी गतिविधियों के शक के आधार पर भी उठा सकेगी।

**5.2** विपक्ष को डर है कि यूएपीए (UAPA) में इस नए संशोधन से अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी बढ़ सकती है।

**5.3** इस विधेयक से अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा। किसी को भी केवल सरकार की भावना या संदेह के आधार पर आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। इस बिल में न्यायिक समीक्षा का अभाव है।

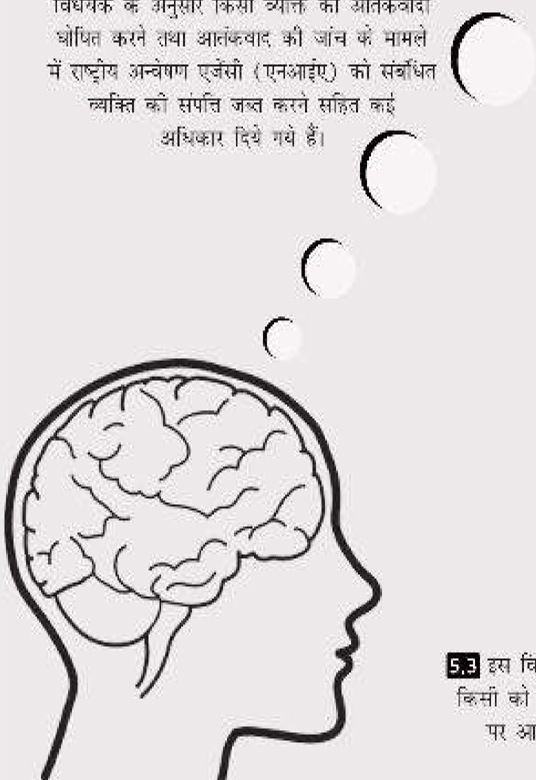

# अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

## चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 को मंज़ूरी दी है।

## पृष्ठभूमि

**2.1** नदी जल विवादों को निपटाने की दिशा में अहम अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल को लोकसभा में पारित कर दिया गया है।

**2.2** इस बिल में सभी अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है।

**2.3** इस विधेयक को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल और कारगर बनाने के लिए लाया गया है।

**2.4** इससे अलग-अलग राज्यों के नदी जल-विवाद के लिए अलग-अलग प्राधिकरण बनाने की व्यवस्था को खत्म किया जा सकेगा और एक ही समेकित और स्थायी प्राधिकरण के जरिये सभी संबद्ध पक्षों के मध्य सुलह की कोशिश होगी।

## आवश्यकता क्यों

**3.1** यह अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को और सरल तथा कारगर बनाएगा।

**3.2** यह विधेयक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के लिए लाया जा रहा है।

**3.3** ऐसा अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल और कारगर बनाने के दृष्टिकोण और मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है।

## प्रभाव

**4.1** न्यायिक निर्णय के लिए कड़ी समय सीमा निर्धारण और विभिन्न बेंचों के साथ एकल प्राधिकरण के गठन से अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों का तेजी से समाधान करने में मदद मिलेगी।

**4.2** इस विधेयक में संशोधनों से प्राधिकरण को सौंपे गए जल विवादों के न्यायिक निर्णय में तेजी आएगी।

## विवाद निवारण समिति

**5.1** इसके तहत जब राज्य सरकार की ओर से जल विवाद से संबंधित कोई शिकायत केंद्र सरकार को मिलती है तो केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों से विवाद को हल निकालने के लिए बातचीत करने का आग्रह कर सकती है।

**5.2** अगर बातचीत से इस विवाद का हल नहीं निकलता तो केंद्र सरकार को ऐसी किसी शिकायत के मिलने के एक वर्ष के भीतर जल विवाद प्राधिकरण का गठन करना होता है।

**5.3** केंद्र सरकार विवाद निवारण समिति (डीआरसी) का गठन करेगी ताकि दोस्ताना तरीके से राज्यों के बीच के जल विवादों को सुलझाया जा सके।

**5.4** डीआरसी को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक वर्ष का समय मिलेगा जिसे अधिकतम छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

**5.5** डीआरसी के सदस्य: डीआरसी में संबंधित क्षेत्रों के ऐसे लोगों को सदस्य के रूप में चुना जाएगा, जिन्हें केंद्र सरकार विवाद का निवारण करने के लिए उपयुक्त समझे।

## प्राधिकरण की संरचना

**6.1** प्राधिकरण में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अधिकतम छह नामित सदस्य होंगे (सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाएगा।

**6.2** केंद्र सरकार कार्यवाही के दौरान खंडपीठ को सलाह देने के लिए सेंट्रल वॉटर इंजीनियरिंग सर्विस के दो विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है।

**6.3** प्राधिकरण का फैसला: इसके तहत, प्राधिकरण का फैसला केंद्र के सरकारी गजट में प्रकाशित होना चाहिए। प्रकाशन के बाद इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समान ही लागू माना जाएगा।

**6.4** इसमें यह भी कहा गया है कि प्राधिकरण की खंडपीठ का फैसला अंतिम और विवाद में शामिल सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

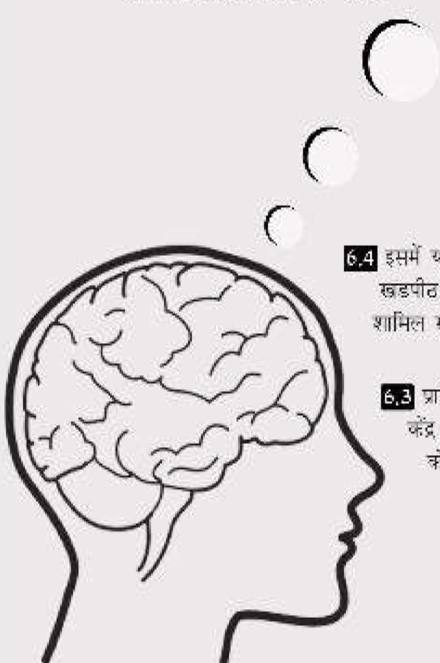

# फाइटोप्लैंकटन

## संदर्भ

**1.1** महासागरीय फाइटोप्लैंकटन (पादप प्लवक) दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय समुद्री पारितंत्र को वैश्विक जैव-रसायन से जोड़ने तथा जलवायु परिवर्तन को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## पृष्ठभूमि

**2.1** दक्षिणी महासागर में फाइटोप्लैंकटन ब्लूम की रिपोर्ट पहली बार हार्ट (1942) द्वारा की गई थी और इसके बाद इसकी दृश्यात्मकता, ग्रहणशीलता और बहुवर्णक्रमीय विशेषताओं की वजह से उपग्रह रिमोट सेंसिंग छवियों के द्वारा प्रभावी ढंग से निगरानी की गई थी।

## फाइटोप्लैंकटन क्या हैं?

**3.1** फाइटोप्लैंकटन महासागरीय खाद्य जल का आधार हैं जो कि समुद्री पर्यावरण में सभी जीवों को आर्गेनिक पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। वैश्विक वायुमंडल में 50 प्रतिशत ऑक्सीजन का श्रेय इन्हीं को जाता है।

**3.2** हालांकि महासागरीय फाइटोप्लैंकटन पृथ्वी पर मौजूद प्रकाश संश्लेषक बायोमास के 1 प्रतिशत से भी कम के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी वे दुनिया के कुल प्राथमिक उत्पादन (समुद्र और जमीन को मिलाकर) में लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं।

**3.3** ऐसा वे अपनी कोशिकाओं में 45 से 50 अरब टन अकार्बनिक कार्बन का रूपांतरण के द्वारा करते हैं जो मृत्यु और क्षय होने के उपरांत तलछट के रूप में जमा होने के लिए सागर के गर्त में समा जाते हैं।

**3.4** यह प्रक्रिया 'जैविक पंप' (Biological Pump) के रूप में जाना जाता है। सौर प्रकाशित जोन में फाइटोप्लैंकटन और अन्य जीव हर साल गहरे महासागर में संश्लेषित जैविक सामग्री का लगभग 15 प्रतिशत पंप करते हैं।

**3.5** एक बार यह गहरे महासागर तक पहुँचने के बाद इसका 0.1 प्रतिशत तलछट में फंस जाता है जो कई मिलियन वर्षों के पश्चात जीवाश्म ईंधन का स्रोत बन जाता है।

**3.6** यदि ऊपरी महासागरीय जैविक पंप महासागर के अंदर कार्बन पंप करना रोक देता है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड का वायुमंडलीय स्तर में 200 पीपीएम की और वृद्धि होगी जिससे वैश्विक तापवृद्धि में और तेजी आएगी।

## फाइटोप्लैंकटन का दक्षिणी महासागर में विकास कैसे?

**4.1** दक्षिणी महासागर में फाइटोप्लैंकटन खिलने की परिघटना में धूल भी बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अटलांटिक क्षेत्र में फाइटोप्लैंकटन को व्यापक रूप से देखा जाना, पास के पेटागोनिया रेगिस्तान से लौह समृद्ध धूल, द्वीपों व पास के पठार से लौह का अवसादी स्रोत की उपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

**4.2** एंडीज पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति के कारण, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर पेटागोनिया रेगिस्तान की अवस्थिति पश्चिम उन्मुख पवन से प्रभावित होता है।

## पर्यावरण में योगदान

**5.1** फाइटोप्लैंकटन ब्लूम का मासिक विकास 1.1 से 18.1 मिलियन वर्ग किमी के बीच होता है।

**5.2** दिसंबर और जनवरी (ऑस्ट्रेलिया ग्रीष्म) के दौरान दक्षिणी महासागर में फाइटोप्लैंकटन ब्लूम वैश्विक महासागरों में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान देता है।

## दक्षिणी महासागर का महत्त्व

**6.1** दक्षिणी महासागर दुनिया के महासागरों में सबसे बड़े उच्च पोषक तत्व निम्न-क्लोरोफिल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो वायुमंडलीय कार्बन डाई ऑक्साइड के लिए एक सोख्ता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**6.2** कई शोधों से पता चला है कि दक्षिणी महासागर में फाइटोप्लैंकटन बायोमास और सामुदायिक संरचना का सूक्ष्म पोषक लौह का मजबूत प्रभाव सामने आया।

**6.3** खनिज धूलकणों से लौह सूक्ष्म पोषक का प्रत्यक्ष जमाव दक्षिणी महासागर में कम है। द्वीपों के आस-पास के इलाके में ऐसे स्थान हैं जहाँ द्वीपीय द्रव्यमान प्रभाव (Island Mass Effect-IME) के कारण द्वीपों और आसपास के उथले पठार से लौह, फाइटोप्लैंकटन बायोमास को बढ़ाता है।

**6.4** यह द्वीपों में तथा उसके आसपास उत्पादकता और मत्स्य संसाधनों के साथ-साथ वैश्विक कार्बन डाई ऑक्साइड बजट में भी योगदान दे सकता है।

**6.5** उपग्रहीय सुदूर संवेदन क्षेत्रीय पैमाने पर दक्षिणी महासागर के फाइटोप्लैंकटन ब्लूम को समझाने के लिए एक व्यापक दायरा प्रदान करता है।

# बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

## चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पेश किया गया, जिसमें बांधों की निगरानी, निरीक्षण, चौकसी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी प्रावधान किया गया है।

## आवश्यकता क्यों

**2.1** देश में 293 बांध ऐसे हैं जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। बांधों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी बांध में दरार आने पर जानमाल का बहुत नुकसान हो सकता है।

**2.2** कोई असुरक्षित बांध मानव जीवन, पारिस्थितकी और सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्तियों के लिये संकट का कारण बन सकता है। इसलिये बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व बन जाता है।

**2.3** 1980 के दशक में केरल मुल्लापेरियार बांध में दरार आने पर केंद्रीय जल आयोग के पास शिकायत आई थी जिसके बाद 1982 में केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के मातहत एक स्थायी समिति का गठन हुआ था। समिति ने कहा कि देश में बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोटोकॉल की जरूरत है।

## विधेयक किन बांधों पर लागू होगा

**3.1** विधेयक देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होता है। इन बांधों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, या (ii) 10 से 15 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले केवल वही बांध जिनके डिजाइन और स्ट्रक्चर बिल में निर्दिष्ट विशेषताओं वाले हों।

## विधेयक के प्रमुख प्रावधान

**4.1** विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि बांध महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं हैं जिसका सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और औद्योगिक प्रयोजनों एवं इसके बहुद्देश्यीय उपयोगों के लिये बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है।

**4.2** इस विधेयक में एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी (NCDS) का प्रावधान है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ होंगे। इस कमेटी का काम होगा बांधों की सुरक्षा का स्तर बनाए रखना, बांधों से जुड़ी त्रासदियों का निवारण करना और बांधों की सुरक्षा नीति और जरूरी नियमन की सिफारिश करना। इसके दायरे में भारत के बाहर भूस्खलन या ग्लेशियरों के कारण बन गए बांध भी शामिल होंगे।

**4.3** इस कमेटी के कार्यक्षेत्र में किसी खतरे को लेकर पूर्व चेतावनी और बीमा के जरिये मुआवजे की संभावनाएं तलाशना भी शामिल होगा। विधेयक के मुताबिक, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी (NDSA) नाम की एक रेग्युलेटरी बॉडी होगी जो NCDS की नीतियों और गाइडलाइन को लागू करेगी, राज्यों और अन्य के मध्य के विवाद सुलझाएगी और एक नेशनल डाटा बेस बनाएगी।

**4.4** जो बांध केंद्र सरकार नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे, वह अथॉरिटी उन बांधों के लिए स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी। ऐसे बांध जो दो राज्यों में फैले हैं या ऐसे बांध जो किसी एक राज्य में स्थित हैं लेकिन नियंत्रण किसी दूसरे राज्य का है, ऐसे मामलों में किसी तरह के विवाद का निपटारा भी यही अथॉरिटी करेगी।

**4.5** विधेयक में एक स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी की परिकल्पना की गई है जो राज्य में मौजूद सभी बांधों का विधिवत सर्विलांस, निगरानी, संचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करेगी। यह विधेयक केंद्र, राज्य और अन्य बांध नियंत्रकों पर निगरानी के जरिये बांधों की नियमित सुरक्षा, खतरे का अनुमान, संवेदनशीलता की पहचान, आपात कार्यवाही और आपदा प्रबंधन का भी दायित्व डालता है। एक स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगी जो संसद और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगी।

## विरोध क्यों

**5.1** जानकारों का कहना है कि बांधों की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन यह सुरक्षा कौन करेगा? यह राज्यों का विषय है और उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

**5.2** यह विधेयक राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल करता है इसमें पर्यावरण पर प्रभाव और संबंधित पक्षों की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है।

**5.3** यह विधेयक राज्यों से बिना विचार-विमर्श के लाया गया है और इसमें मुआवजे का उचित प्रावधान नहीं है।

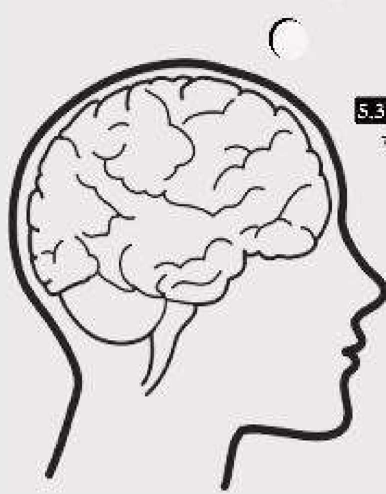

# राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया

## पृष्ठभूमि

**2.1** पश्चिम बंगाल के नाम को बदलकर बांग्ला रखने के लिए अगस्त, 2016 में पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इससे पहले राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला रखने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। परन्तु केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

## नाम बदलने की मांग क्यों

**3.1** पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का नाम W से शुरू होता है। इसलिए जब भी राष्ट्रीय स्तर का कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो A B C D के हिसाब से वेस्ट बंगाल का नाम बाद में आता है और राज्य के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका सबसे बाद में मिलता है।

**3.2** यदि राज्य का नाम "वेस्ट बंगाल" से बदलकर "बंगाल/बांग्ला" कर दिया जाए तो राज्य के बारे में होने वाली चर्चा बहुत शीघ्र निपट जायेगी। वस्तुतः ऐसी स्थिति में राज्य का नंबर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम के बाद चौथा हो जाएगा।

## चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर 'बाग्ला' रखने के लिए प्रस्ताव पास किया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल का बदला हुआ नाम तब लागू होगा जब इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलेगी और संसद द्वारा विधेयक पारित किया जायेगा।

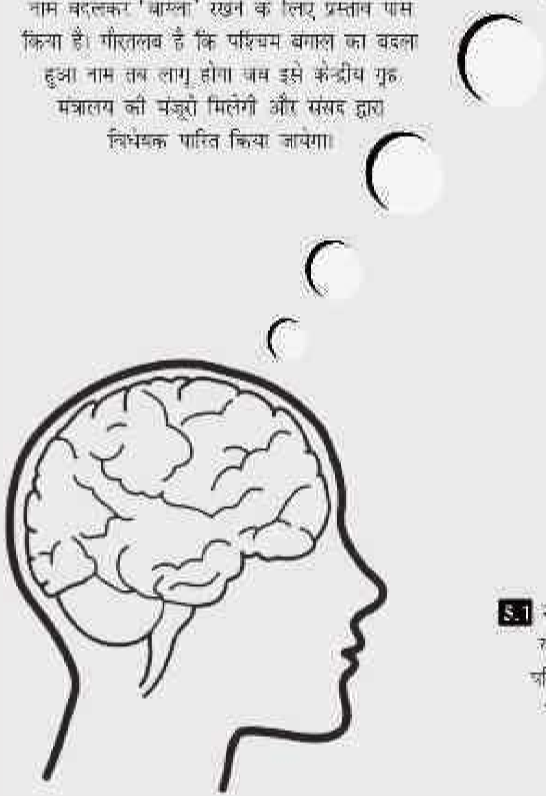

## प्रक्रिया

**4.1** संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्य के प्रस्ताव के बिना भी राज्य के नाम को बदलने की शक्ति है। यदि कोई राज्य अपना नाम बदलना चाहता है तो सबसे पहले वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल के लिए एक टिप्पणी तैयार करेगा जिसमें संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन का प्रस्ताव दिया जाएगा।

**4.2** यदि किसी राज्य की विधान सभा इस प्रकार के प्रस्ताव को अपनी विधान सभा में 2/3 बहुमत से पारित करती है एवं प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजती है तथा संसद इस प्रस्ताव को अपने साधारण बहुमत से अनुमोदित कर देती है तो नया राज्य अस्तित्व में आ जाता है, किन्तु यह संसद का अधिकार है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

**4.3** यदि संघीय कैबिनेट इस प्रकार का प्रस्ताव बनाती है तो इसे संबंधित राज्य की विधान सभा को भेजा जाता है विधान सभा इसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित एक समय सीमा के भीतर उसे पारित कर दे या अस्वीकार कर दे, दोनों ही स्थितियों में यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास वापस आता है और पारित माना जाता है।

**4.4** यदि विधान सभा ने इस पर कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं तब भी राष्ट्रपति विधान सभा के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

**4.5** इसके बाद प्रस्ताव को संसद में रखा जाता है और यदि संसद अपने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो केन्द्र सरकार की अधिसूचना द्वारा नया राज्य गठित कर लिया जाता है।

**4.6** इस प्रकार किसी नये राज्य का निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन अथवा सीमा में परिवर्तन संबंधित संपूर्ण शक्ति संसद में ही निहित है।

## महत्वपूर्ण तथ्य

**5.1** संविधान के (अनुच्छेद 4) में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नये राज्यों का प्रवेश या गठन (अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत) नये राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत) को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिये पारित किया जा सकता है।

# वेतन संहिता विधेयक, 2019

## चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में लोक सभा और राज्य सभा ने पारिश्रमिक संहिता विधेयक, 2019 पारित कर दिया। यह संहिता पुराने अधिनियमों का विलय करके तैयार की गई है, जो निम्न हैं- पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और समान मुआवजा अधिनियम, 1976

1.2 सरकारी कर्मचारियों और मनरेगा कर्मियों को छोड़कर सभी सगठित एवं असगठित क्षेत्रों के कर्मियों पर ये प्रावधान लागू होंगे।

## वर्तमान परिदृश्य

2.1 वर्तमान में अधिकांश राज्यों में न्यूनतम वेतन को लेकर विविधता है। इसके जरिये न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है।

2.2 रोजगार के विभिन्न प्रकारों को अलग करके न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए एक ही मानदंड बनाया गया है। न्यूनतम वेतन निर्धारण मुख्य रूप से स्थान और कौशल पर आधारित होगा।

2.3 इससे देश में 2000 न्यूनतम वेतन दरों में कटौती होगी और न्यूनतम वेतन की दरों की संख्या कम होगी।

2.4 निरीक्षण प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। इनमें वेब आधारित रैंडम कम्प्यूटरीकृत निरीक्षण योजना, अधिकार क्षेत्र मुक्त निरीक्षण, निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी माँगना और जुर्मानों का संयोजन आदि शामिल हैं।

2.5 इन सभी परिवर्तनों से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ श्रम कानूनों को लागू करने में सहायता मिलेगी।

2.6 न्यूनतम वेतन के वैधानिक संरक्षण करने को सुनिश्चित करने तथा देश के 50 करोड़ कामगारों को समय पर वेतन भुगतान मिलने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है।

## मुख्य विशेषताएँ

3.1 वेतन संहिता सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाती है।

3.2 इस विधेयक से हर कामगार के लिए भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित होगा और लगभग 40 से 100 प्रतिशत कार्यबल को न्यूनतम मजदूरी के विधायी संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा।

3.3 यह भी सुनिश्चित होगा कि हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिले, जिससे कामगार की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। न्यूनतम जीवनयापन की स्थितियों के आधार पर वेतन मिलने से देश में गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर को प्रोत्साहन मिलेगा और लगभग 50 करोड़ कामगार इससे लाभान्वित होंगे।

3.4 इस विधेयक में राज्यों द्वारा कामगारों को डिजिटल मोड से वेतन के भुगतान को अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई है।

3.5 विभिन्न श्रम कानूनों में वेतन की 12 परिभाषाएँ हैं, जिन्हें लागू करने में कठिनाईयों के अतिरिक्त मुकदमेबाजी को भी प्रोत्साहन मिलता है। इस परिभाषा को सरलीकृत किया गया है, जिससे मुकदमेबाजी कम होने और एक नियोक्ता के लिए इसका अनुपालन सरल करने की उम्मीद है।

3.6 इससे प्रतिष्ठान भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि रजिस्टरों की संख्या, रिटर्न और फॉर्म आदि न केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जा सकेंगे और उनका रख-रखाव किया जा सकेगा, बल्कि यह भी कल्पना की गई है कि कानूनों के माध्यम से एक से अधिक नमूना निर्धारित नहीं किया जाएगा।

## न्यूनतम पारिश्रमिक के निर्धारण की विधि

4.1 वर्तमान में न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण काम की श्रेणियों के आधार पर होता है, जैसे- कुशल काम, अकुशल काम, अर्ध-कुशल काम और उच्च कुशलता वाले काम।

4.2 इसके अतिरिक्त अभी भौगोलिक क्षेत्र के साथ-साथ काम की प्रकृति का भी ध्यान रखा जाता है जैसे खनन आदि।

4.3 न्यूनतम पारिश्रमिक केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत 45 अनुसूचित आजीविकाओं तथा राज्यों के अंतर्गत 1,709 अनुसूचित आजीविकाओं पर लागू होता है।

## निष्कर्ष

5.1 विधेयक में प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक के निर्धारण की विधि से आशा की जाती है कि पूरे देश में अभी जो लगभग 2,000 न्यूनतम पारिश्रमिक दरें चल रही हैं, उनकी संख्या घटकर 300 रह जायेगी।

# कंपनी संशोधन विधेयक, 2019

## चर्चा का कारण

**1.1** हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने कंपनी कानून में संशोधन का विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के कानून का रूप लेने पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) नियम सख्त हो जाएंगे और जो कंपनियाँ कंपनी कानून के तहत नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

## पृष्ठभूमि

**2.1** भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने CSR खर्च करने की बाध्यता का प्रावधान कंपनी कानून में किया है। कंपनियों को एक साल में CSR का प्रस्ताव बनाना होगा और तीन साल में उस पर धनराशि खर्च करनी होगी।

## उद्देश्य

**3.1** इस विधेयक का उद्देश्य व्यवसाय की प्रक्रिया आसान बनाना और कंपनियों, खासकर छोटी कंपनियों पर नियमों के अनुपालन का बोझ हल्का करना है।

**3.2** मुखौटा कंपनियाँ नियमों में परिभाषित नहीं की गयी हैं लेकिन इनसे आशय उन कंपनियों से है जो निष्क्रिय हैं और जिनका पंजीकृत ऑफिस नहीं है।

**3.3** सरकार ने चार लाख मुखौटा कंपनियों को रजिस्टर से हटा दिया है।

## विशेषताएँ

**4.1** इस तरह के संशोधनों को सरकार अपनी इच्छा से नहीं लाती बल्कि सभी हितधारकों की माँगों के अनुरूप लाया जाता है।

**4.2** कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधान पर सरकार ने कहा कि सीएसआर के लिए कंपनियों को तीन साल की अवधि दी गयी है और पहले साल में उन्हें इसके व्यय के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी करनी है।

**4.3** कम से कम पाँच करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने वाली अथवा एक हजार करोड़ रुपये सालाना कारोबार वाली या 500 करोड़ रुपये शुद्ध परिसम्पत्ति वाली कंपनियाँ सीएसआर के दायरे में होंगी।

**4.4** वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर का प्रावधान सभी कंपनियों पर लागू नहीं होगा। संशोधन के बाद अब कंपनियों को यह बताना होगा कि सीएसआर की राशि कितनी है और कहां खर्च किया गया।

**4.5** इतना ही नहीं, सीएसआर का पैसा खर्च नहीं किये जाने पर वह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष सहित सातवीं अनुसूची में प्रावधानित किसी भी मद में स्थानांतरित कर दी जायेगी। सरकार ने कहा कि जब मूल कानून लाया गया तो उसमें निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का जो प्रावधान किया गया है, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त की अवधारणा शामिल है।

**4.6** संशोधन विधेयक में कंपनी के पंजीकृत पते की भौतिक जाँच करने का अधिकार कंपनी रजिस्ट्रार को दिया गया है। मौजूदा व्यवस्था में कंपनी के पते के नाम पर मात्र पोस्ट बॉक्स नंबर के सहारे ही कुछ कंपनियां चलायी जा रही थीं। कंपनियों के पते के सत्यापन के प्रावधान से फर्जी कंपनियों पर लगाम लगेगी।

**4.7** इसके तहत अधिनियम की 16 धाराओं का संशोधन करने की बात कही गई है जिससे विशेष न्यायालय के भार को कम करने के लिये उक्त धाराओं में यथा उल्लिखित दंड को जुर्माने से बदलकर मौद्रिक दंड में बदला जा सके।

**4.8** संशोधन के फलस्वरूप राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पर काम का बोझ कम होगा, क्योंकि इसकी तमाम जिम्मेदारियों को केन्द्र सरकार को सौंपने का इसमें प्रावधान किया गया है।

## राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)

**5.1** एनसीएलटी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित की गई थी। एनसीएलटी में कुल 11 पीठ हैं, इनमें से 2 नई दिल्ली में जबकि अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई में एक-एक पीठ होंगी।

**5.2** इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या पाँच वर्षों तक इस पद पर रह चुका हो।

# सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
## (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

### 1. यूएपीए संशोधन विधेयक, 2019

**प्र. यूएपीए संशोधन विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इस विधेयक के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) आतंकवाद की जाँच के मामले में संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जब्त नहीं कर सकती है।
2. यूएपीए एक्ट का उद्देश्य देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

**उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तरः (b)**

**व्याख्याः** हाल ही में संसद ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) विधेयक (यूएपीए) को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने तथा आतंकवाद की जांच के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को संबंधित व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने सहित कई अधिकार दिये गये हैं। गैर कानूनी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम, 2004 के अंतर्गत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

### 2. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

**प्र. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इस विधेयक में संशोधनों से प्राधिकरण को सौंपे गए जल विवादों के न्यायिक निर्णय में तेजी आएगी।
2. यह अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को और सरल तथा कारगर बनाएगा।
3. केंद्र सरकार विवाद निवारण समिति (डीआरसी) का गठन करेगी ताकि दोस्ताना तरीके से राज्यों के बीच के जल विवादों को सुलझाया जा सके।

**उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

**उत्तरः (d)**

**व्याख्याः** हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 को मंजूरी दी है। इस विधेयक में सभी अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल और कारगर बनाने के लिए लाया गया है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

### 3. फाइटोप्लैंकटन

**प्र. फाइटोप्लैंकटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है?**

(a) महासागरीय फाइटोप्लैंकटन प्रशांत महासागरीय पारितंत्र को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
(b) फाइटोप्लैंकटन महासागरीय खाद्य जल का आधार हैं जो कि समुद्री पर्यावरण में सभी जीवों को आर्गेनिक पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। वैश्विक वायुमंडल में 50 प्रतिशत ऑक्सीजन का श्रेय इन्हीं को जाता है।
(c) फाइटोप्लैंकटन ब्लूम का मासिक विकास 1.1 से 18.1 मिलियन वर्ग किमी के बीच होता है।
(d) दिसंबर और जनवरी (ऑस्ट्रेलिया ग्रीष्म) के दौरान दक्षिणी महासागर में फाइटोप्लैंकटन ब्लूम वैश्विक महासागरों में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान देता है।

**उत्तरः (a)**

**व्याख्याः** महासागरीय फाइटोप्लैंकटन (पादप प्लवक) दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय समुद्री पारितंत्र को वैश्विक जैव-रसायन से जोड़ने तथा जलवायु परिवर्तन को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिणी महासागर में फाइटोप्लैंकटन ब्लूम की रिपोर्ट पहली बार हार्ट (1942) द्वारा की गई थी और इसके बाद इसकी दृश्यात्मकता, ग्रहणशीलता और बहुवर्णक्रमीय विशेषताओं की वजह से उपग्रह रिमोट सेंसिग छवियों के द्वारा प्रभावी ढंग से निगरानी की गई थी। इस प्रकार कथन (a) गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

### 4. बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

**प्र. बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. यह विधेयक देश के सभी निर्दिष्ट बांधों, जिसकी ऊँचाई 15 मीटर से कम हो, पर लागू होगा।

2. इस विधेयक में एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी का प्रावधान है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल नहीं होंगे।

**उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तरः (d)**

**व्याख्याः** हाल ही में लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पेश किया गया, जिसमें बांधों की निगरानी, निरीक्षण, चौकसी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी प्रावधान किया गया है। विधेयक देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होगा। इन बांधों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, या (ii) 10 से 15 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले केवल वही बांध जिनके डिजाइन और स्ट्रक्चर बिल में निर्दिष्ट विशेषताओं वाले हों। 4.2 इस विधेयक में एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी (NCDS) का प्रावधान है जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ होंगे। इस कमेटी का काम होगा बांधों की सुरक्षा का स्तर बनाए रखना, बांधों से जुड़ी त्रासदियों का निवारण करना और बांधों की सुरक्षा नीति और जरूरी नियमन की सिफारिश करना। इसके दायरे में भारत के बाहर भूस्खलन या ग्लेशियरों के कारण बन गए बांध भी शामिल होंगे। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

## 5. राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया

**प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्य के प्रस्ताव के बिना राज्य के नाम को बदलने की शक्ति नहीं है।
2. किसी नये राज्य का निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन अथवा सीमा में परिवर्तन संबंधित संपूर्ण शक्ति संसद में ही निहित है।

**उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तरः (b)**

**व्याख्याः** संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्य के प्रस्ताव के बिना भी राज्य के नाम को बदलने की शक्ति है। यदि कोई राज्य अपना नाम बदलना चाहता है तो सबसे पहले वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल के लिए एक टिप्पणी तैयार करेगा जिसमें संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन का प्रस्ताव दिया जाएगा। यदि संघीय कैबिनेट इस प्रकार का प्रस्ताव बनाती है तो इसे संबंधित राज्य की विधान सभा को भेजा जाता है विधान सभा इसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित एक समय सीमा के भीतर उसे पारित कर दे या अस्वीकार कर दे, दोनों ही स्थितियों में यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास वापस आता है और पारित माना जाता है। इस प्रकार किसी नये राज्य का निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन अथवा सीमा में परिवर्तन संबंधित संपूर्ण शक्ति संसद में ही निहित है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

## 6. वेतन संहिता विधेयक, 2019

**प्र. वेतन संहिता विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. सरकारी कर्मचारियों और मनरेगा कर्मियों को छोड़कर सभी संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों पर ये प्रावधान लागू होंगे।
2. इस विधेयक से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ श्रम कानूनों को लागू करने में सहायता मिलेगी।

**उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तरः (c)**

**व्याख्याः** हाल ही में लोक सभा और राज्य सभा ने पारिश्रमिक संहिता विधेयक, 2019 पारित कर दिया। यह संहिता पुराने अधिनियमों का विलय करके तैयार की गई है, जो निम्न हैं- पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनयम, 1965 और समान मुआवजा अधिनियम, 1976 । वर्तमान में अधिकांश राज्यों में न्यूनतम वेतन को लेकर विविधता है। इसके जरिये न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

## 7. कंपनी संशोधन विधेयक, 2019

**प्र. कंपनी संशोधन विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इस विधेयक का उद्देश्य व्यवसाय की प्रक्रिया आसान बनाना और कंपनियों, खासकर छोटी कंपनियों पर नियमों के अनुपालन का बोझ हल्का करना है।
2. मुखौटा कंपनियाँ नियमों में परिभाषित नहीं की गयी हैं लेकिन इनसे आशय उन कंपनियों से है जो निष्क्रिय हैं और जिनका पंजीकृत ऑफिस नहीं है।

**उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तरः (c)**

**व्याख्याः** हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने कंपनी कानून में संशोधन का विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के कानून का रूप लेने पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी (CSR) नियम सख्त हो जाएंगे और जो कंपनियाँ कंपनी कानून के तहत नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने CSR खर्च करने की बाध्यता का प्रावधान कंपनी कानून में किया है। कंपनियों को एक साल में CSR का प्रस्ताव बनाना होगा और तीन साल में उस पर धनराशि खर्च करनी होगी। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

# सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में अमेरिका ने किस देश को "करेंसी मैनीपुलेटर" या मुद्रा के साथ छोड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया?

   ***-चीन***

2. हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य के लिए "काबिल" की स्थापना की है?

   ***-सामरिक खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए***

3. हाल ही में किस राज्य सरकार ने "सेव ग्रीन, स्टे क्लीन" नामक अभियान लॉन्च किया है?

   ***-पश्चिम बंगाल***

4. हाल ही में किस केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा भारत में प्रथम "टाइम रिलीज स्टडी" का संचालन किया जा रहा है?

   ***-वित्त मंत्रालय***

5. हाल ही में रंगनाथिट्ट पक्षी अभयारण्य चर्चा में रहा है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?

   ***-कर्नाटक***

6. विश्व भर में प्रसिद्ध किस राज्य में पाए जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत (Global Heritage) सूची में शामिल किया गया है?

   ***-राजस्थान***

7. बाघों की जनगणना रिपोर्ट, 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद हैं?

   ***-मध्य प्रदेश***

# सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? भारत के संदर्भ में इसके लाभों और चुनौतियों का वर्णन करें।

2. मालदीव भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मालदीव में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए?

3. सरोगेसी क्या है? भारत में सरोगेसी के समक्ष सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी चुनौतियों की चर्चा करें।

4. कृषि में एजोला उत्पादन और उसकी उपयोगिता का वर्णन करें।

5. लोकतंत्र में नोटा की सार्थकता का उल्लेख करें।

6. पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता क्या है? पर्यावरण सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख करें।

7. पूर्वोत्तर क्षेत्र को हम मुख्य धारा में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? उपयुक्त सुझाव दें।

# सात महत्वपूर्ण खबरें

## 1. वैश्विक रैंकिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था 7वें स्थान पर

हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वैश्विक रैंकिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था फिसलकर सातवें स्थान पर आ गई है। वित्त वर्ष 2018 के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। साल 2017 में भारत फ्रांस को पछाड़कर आगे पहुंचा था, लेकिन इस बार फिसल गया है।

जीडीपी के मामले में अमेरिकी अर्थव्यवस्था टॉप पर बनी हुई है। कारोबारी साल 2018 में यूएस की जीडीपी 20.5 ट्रिलियन डॉलर रही। अमेरिका के बाद दसरे पायदान पर चीन है। इस दौरान चीन की जीडीपी 13.6 ट्रिलियन डॉलर रही। 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान तीसरे पायदान पर है। ब्रिटेन और फ्रांस 2.8 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इस लिस्ट में पांचवें और छठे पायदान पर हैं, जबकि भारत की जीडीपी 2.7 ट्रिलियन डॉलर दर्ज की गई।

वित्त वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी 2.65 ट्रिलियन डॉलर थी, जिसने एशिया की तीसरी सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था को विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया था। उस दौरान यूके की जीडीपी 2.64 ट्रिलियन डॉलर और फ्रांस की 2.5 ट्रिलियन डॉलर थी।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था के फिसलकर सातवें स्थान पर पहुंचने का मुख्य कारण रुपये के उतार-चढ़ाव और धीमी ग्रोथ है। इंडिया रेटिंग्स एंड रीसर्च में मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा, 2017 में रुपया डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत हुआ था लेकिन 2018 में इसमें कमजोरी दर्ज की गई। लिहाजा, जीडीपी रैंकिंग में फिसलने के पीछे कमजोर रुपया और ग्रोथ में सुस्ती रही। ■

## 2. सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के बढ़ते बोझ को देखते हुए कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। सीजेआई रंजन गोगोई ने हाल ही में कहा था कि जजों की कमी के कारण कानून के सवालों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला लेने के लिए आवश्यक संवैधानिक पीठों का गठन नहीं किया जा रहा है।

### सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या

अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर 33 हो जायेगी। सुप्रीम कोर्ट में अब भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश होंगे। न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या सीजेआई (Chief Justice of India) समेत 34 हो जाएगी।

1956 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 10 (सीजेआई के अलावा) तय की गई थी। कोर्ट में जजों की संख्या संशोधन कानून, 1960 द्वारा जजों की संख्या 10 बढ़ाकर 13 कर दी गई और साल 1977 में 17 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या साल 1986 में सीजेआई के अतिरिक्त बढ़ाकर 25 कर दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट संशोधन कानून, 2009 में यह जजों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी की थी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) कानून, 1956 आखिरी बार साल 2009 में संशोधित किया गया था, जब सीजेआई के अलावा न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 की गई थी। विधि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अभी करीब 59,331 मामले लंबित पड़े हैं। ऐसे में जजों की संख्या में वृद्धि मौजूदा समय की जरुरत है, जिसे सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। ■

## 3. रवीश कुमार को मिला 2019 का 'रेमन मैग्सेसे' पुरस्कार

हाल ही में वरिष्ठ भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित 'रेमन मैग्सेसे' सम्मान हेतु नामित किया गया है। यह सम्मान एशिया में साहसिक एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। रवीश कुमार को यह सम्मान 'बेआवाजों की आवाज' बनने के लिए तथा हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है।

रवीश कुमार हिन्दी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया के सबसे प्रमुख चेहरा हैं। रवीश कुमार के अतिरिक्त 2019 का मैग्सेसे अवॉर्ड म्यांमार के को स्वे विन, थाईलैंड के अंगखाना नीलापाइजित,

फिलीपीन्स के रेमुन्डो पुजांते तथा दक्षिण कोरिया के किम जोंग-की को भी मिला है।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के मामले में रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। इससे पहले यह पुरस्कार अमिताभ चौधरी (साल 1961), बीजी वर्गीज (साल 1975), अरुण शौरी (साल 1982), आरके लक्ष्मण (साल 1984), पी. साईनाथ (साल 2007) को मिल चुका है।

रेमन मैग्सेस अवॉर्ड फाउंडेशन ने रवीश कुमार की पत्रकारिता को सबसे अच्छा, सत्य के प्रति निष्ठा, ईमानदार एवं निष्पक्ष बताया है। फाउंडेशन ने कहा है कि रवीश कुमार ने बेजुबानों को आवाज दी है।

इससे पहले बेहतरीन पत्रकारिता के लिए पी साईनाथ को भी मैग्सेसे सम्मान मिल चुका है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अरुणा रॉय और संजीव चतुर्वेदी समेत कई भारतीयों को भी यह पुरस्कार मिला है।

### रेमन मैगसेसे पुरस्कार

रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमेन मैगसेसे की याद में दिया जाता है।■

## 4. टीबी के दो नए टीकों का परीक्षण

भारतीय मेडिकल अनुसन्धान परिषद् (ICMR) ने हाल ही में ट्यूबरक्लोसिस के दो नए टीकों IMMUVAC और VPM1002 का परीक्षण शुरू कर दिया है। इन दो टीकों के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण के प्रारंभिक फैलाव तथा अवयक्त संक्रमण के री-एक्टिवेट होने पर रोक लगाई जा सकती है। भारत में टीबी के विरुद्ध लड़ाई में यह टीके महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों टीकों का निर्माण भारतीय दवा निर्माता कंपनियों द्वारा किया गया है।

**IMMUVAC:** इसे मायकोबेक्टीरियम इंडिकस प्रानी (MIP) भी कहा जाता है, इसका निर्माण अहमदाबाद स्थित कैडिला फार्मास्युटिकल्स द्वारा किया गया है।

**VPM1002:** इसका निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है।

वर्तमान में विश्व भर में बड़े पैमाने पर Bacille Calmette & Guerin (BCG) नामक टीके का उपयोग किया जाता है, परन्तु यह टीका एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है।

इस परीक्षण में देश के 6 राज्यों के 12,000 से अधिक लोग शामिल होंगे, जो ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित हैं। इस ट्रायल में दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक के लोगों को शामिल किया गया है। इस परीक्षण के आधार पर ICMR केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को अनुशंसा प्रदान करेगा।

### क्षय रोग (टीबी)

क्षय रोग के फैलने का सबसे बड़ा कारण है इस बीमारी के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव। टीबी एक संक्रामक रोग है, जो माइकोबैक्टिरीयम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बीमारी हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे में फैलती है। सबसे आम फेफड़ों की टीबी है लेकिन ये गर्भाशय, मुंह, लिवर, किडनी, गला, ब्रेन, हड्डी जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। टीबी बैक्टीरिया शरीर के जिस भी हिस्से में होता है उसके टिश्यू को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और उससे उस अंग का काम प्रभावित होता है।

### टीबी के लक्ष्ण

खांसते समय बलगम में खून का आना, भूख न लगना, थकान और कमजोरी का एहसास, सीने में दर्द, बार बार खांसना, बुखार, गले में सूजन और पेट में गड़बड़ी का होना आदि। ■

## 5. जानवरों में विकिसित होंगे मानवीय अंग, जापान में रिसर्च को मंजूरी

जापान की सरकार ने हाल ही में मानव और पशुओं की हाइब्रिड बनाने के लिए उपयोग में आने वाली विवादित स्टेम सेल रिसर्च की मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में अब भ्रूण के रूप में मानव और जानवरों की हाइब्रिड प्रजातियों का विकास किया जाएगा। सबसे पहले मानवीय कोशिकाओं को चूहे के भ्रूण में पैदा किया जाएगा और फिर एक सरोगेट जानवर के अंदर लाया जाएगा। जाने-माने जेनेटिक्स हिरोमित्सु नाकाउची जो इस तरह की रिसर्च के पक्षधर हैं, उनके अनुसार यह तकनीक ऑर्गन्स बनाने के मार्ग में पहला कदम है और आने वाले समय में इस तकनीक से ट्रासप्लांट के लिए जरूरी ऑर्गन्स को तैयार करने में काफी मदद मिल सकती है।

हालांकि इस तकनीक के विरोध में लोगों का कहना है कि यह ईश्वर की बनाई हुई संरचना के साथ छेड़छाड़ करना होगा। उनके अनुसार इस तकनीक के इस्तेमाल से जानवर के अंदर मौजूद मानवीय कोशिकाएं ट्रांसप्लांट के लिए संबंधित ऑर्गन से भी ज्यादा कुछ तैयार कर सकती हैं और संभव है कि इससे ऐसी कोई प्रजाति का निर्माण हो जाए जो आधा इंसान और आधा जानवर होगी।

शायद यही वजह है कि इस तरह की रिसर्च को इतने समय तक दुनियाभर में प्रतिबंधित रखा गया था या फिर फाइनेंस नहीं किया गया था। खुद जापान में ही वैज्ञानिकों पर इस तरह की रिसर्च को 14 दिनों की अवधि से ज्यादा समय तक अंजाम देने पर रोक थी, लेकिन मार्च 2019 में इन कानूनों में छूट दी गई जब जापान के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय द्वारा नए निर्देश जारी किए गए।

नए निर्देश जारी होने के बाद हिरोमित्सु नाकाउची की रिसर्च के आवेदन को सबसे पहले मंजूरी दी गई है। उनके अनुसार हम एकदम से मानवीय अंग बानने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन नए निर्देशों से इस कदम तक हम अपनी रिसर्च को पहुंचा सकते हैं। उन्होंने इस रिसर्च को आहिस्ता से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और अगले कुछ सालों तक हाइब्रिड भ्रूण न तैयार करने का फैसला लिया है। बजाए इसके उन्होंने सिर्फ 14 दिनों में तैयार होने वाला और अधिकांश अंगों का निर्माण करने वाले चूहे के हाइब्रिड भ्रूण पर रिसर्च को फोकस करने का फैसला लिया है। ■

# 6. अर्थ ओवरशूट डे

अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल फुट प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक हमने 29 जुलाई तक इस साल यानी 2019 के लिए धरती के समस्त संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया है। साल भर के लिए नियत संसाधन हम सबने इतने कम दिन में ही खत्म कर दिया है। पिछले बीस साल में अर्थ ओवरशूट डे (Earth Overshoot Day) दो महीने आगे आ चुका है। यानी आज से हम उधार के संसाधनों पर जीवित रहेंगे। अंधाधुंध दोहन के कारण एक धरती से हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसे पूरा करने के लिए 1.75 धरती की दरकार है। 2030 यह जरूरत बढ़कर दो पृथ्वी की हो जाएगी।

1969 में धरती एक साल में जितना संसाधन तैयार करती थी, पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल करीब 13 महीने करती थी। दिन बदले, तस्वीर बदली। आज हम धरती के एक साल के लिए तय संसाधन करीब सात महीने में ही समाप्त कर दे रहे हैं।

### क्या है अर्थ ओवरशूट डे

अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क तथा ब्रिटेन के न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा रखी गयी थी। यह प्रत्येक वर्ष के उस दिवस का सूचक है जिस दिन उस वर्ष के लिए आवंटित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग मानव ने कर लिया। पहला ओवरशूट डे 2006 मनाया गया था।

### संसाधनों का दोहन

दुनिया विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रही है। दोनों में संतुलन साधने की बात तमाम विशेषज्ञ करते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल काटते जा रहे हैं। भू-क्षरण जारी है। जैव विविधता घट रही है। वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड का जमाव चरम पर होता जा रहा है। इन सबके असर से ग्लोबल वार्मिंग का दैत्य सामने आया है जिसने पूरी जलवायु बदल कर रख दी है।

### अर्थ ओवरशूट डे की शुरुआत

उल्लेखनीय है कि 1986 से इस दिवस की गणना की जा रही है। तब से हर साल यह दिवस पिछले साल के दिवस से पहले आता जा रहा है। 1993 में यह 21 अक्टूबर को था तो 2003 में 22 सितंबर को और 2017 में 2 अगस्त को तय था। हमें केवल एक पृथ्वी मिली है। यह हमारे अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम विनाशक परिणामों के बिना 1.75 (पृथ्वी) का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ■

# 7. डीआरडीओ ने क्यूआरएसएएम का सफल परीक्षण किया

भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 4 अगस्त 2019 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से सभी मौसम और सभी स्थानों पर काम करने में सक्षम रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (क्यूआरएसएएम) का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई यह अत्याधुनिक मिसाइल सेना के लिए बनाई गई है।

सभी प्रकार के मौसम तथा स्थान पर काम करने में सक्षम इस मिसाइल को ट्रक पर भी तैनात किया जा सकता है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित इस मिसाइल को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की सहायता से बनाया गया है। डीआरडीओ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह मिसाइल किसी भी मौसम मे अपने लक्ष्य पर सटीक वार कर सकती है। डीआरडीओ के मुताबिक क्यूआरएसएएम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम से लैस है, जिससे यह रडार के जैमर होने के बावजूद हमला करने में सक्षम है। क्यूआरएसएएम में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है और इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किमी है।

### क्यूआरएसएएम की विशेषताएं

- यह मिसाइल स्वदेशी तकनीक से बनी है तथा किसी भी दुर्गम स्थान पर तैनात की जा सकती है।
- यह लक्ष्य पर सटीकता के कारण दुश्मन के टैंक, युद्ध विमान और एयरक्राफ्ट को आसानी से मार गिराने में सक्षम है।
- यह मिसाइल अपने लक्ष्य पर पहुँचने तक 360 डिग्री तक घूम सकती है और एक ही समय में कई लक्ष्य भेद सकती है।
- क्यूआरएसएएम को समुद्री जहाज पर भी तैनात किया जा सकता है जिससे यह भारतीय नौसेना की मारक क्षमता एवं सुरक्षा दक्षता को बढ़ाने में सहायता करती है।

उल्लेखनीय है कि क्यूआरएसएएम का इससे पहले भी दो बार सफल परीक्षण किया जा चुका है। यह परीक्षण 16 फरवरी 2016 और 4 जून 2017 को किये जा चुके हैं। दोनों परीक्षणों में मिसाइल को विभिन्न ऊंचाई और स्थितियों पर छोड़ा गया था। परीक्षण उड़ानों के दौरान मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था।

■

# सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

## 1. भारत का बढ़ता ऊर्जा क्षेत्र

- हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय ने कहा है कि भारत का उभरता ऊर्जा क्षेत्र विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।
- ऊर्जा क्षेत्र को सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन निधि, पश्चिमी, एशियाई और मध्य एशियाई देशों के लंबी अवधि वाले रणनीतिक निवेशकों से लगातार फंडिंग प्राप्त हो रही है।
- अर्थव्यवस्था के 7% से ज्यादा की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो और अधिक फंडिंग को आकर्षित करेगा। कई कंपनियों ने ओवरसीज बॉण्ड बाजार के जरिये फंडिंग को सफलतापूर्वक बढ़ाया है और आगे चलकर फंडिंग के इस रास्ते के कई गुना बढ़ने की संभावना है।
- भारत के उभरते क्षेत्रों को महत्व देते हुए सरकार ने उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। ई एंड पी (अन्वेषण एवं उत्पाद) के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई परिवर्तनकारी नीतिगत सुधार किए गए हैं। इससे ज्यादा निवेश के लिए सुगमता होगी तथा घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों में एक जैसी लाइसेंस नीति, ऑपरेटरों को विपणन एवं कीमतों के निर्धारण की स्वतंत्रता, फैसला लेने के लिए निवेशकों को व्यापक डाटा की उपलब्धता और उत्पादन वृद्धि पर जोर देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन शामिल हैं।
- भारत इस वर्ष 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उसका उद्देश्य निकट भविष्य में 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करना है। इसे हासिल करने के लिए भारत को सुरक्षित, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा की जरूरत है, ताकि सतत उच्च वृद्धि हासिल की जा सके और 130 करोड़ लोगों को ऊर्जा तक पहुँच उपलब्ध कराई जा सके।
- ज्ञातव्य है कि स्थायी तरीके से सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराने के अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने एक बड़ा दायित्व उठाया है। सरकार ने उत्सर्जन को वर्ष 2005 के स्तर से जीडीपी के 33-35% तक कम करने की वैश्विक प्रतिबद्धता जाहिर की है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत जो मुख्य रणनीति अपनाने की योजना बना रहा है उसमें वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40% विद्युत उत्पादन की क्षमता हासिल करना है। इसके लिए सरकार तेल विपणन कंपनियों, पेट्रोल पंप डीलरों को सौर छत लगाने के लिए सुलभ कर्ज और सब्सिडी दे रही हैं।
- सिटी गैस नेटवर्क के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि वर्ष 2014 में महज 20% आबादी ही इसके दायरे में थी लेकिन 10वें सीजीडी बिड राउंड की सफलता के साथ ही सीजीडी (सीटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन) नेटवर्क का आबादी के 70%हिस्से तक विस्तार होगा। सीजीडी 228 भौगोलिक क्षेत्रों तक उपलब्ध है। इसमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 402 जिले आते हैं। यह देश के 53% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- सरकार प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए गैस आधारित परिवहन उपायों की ओर ध्यान दे रही है। 1 अप्रैल 2020 से बीएस-6 ईंधन लागू किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में वर्ष 2018 से ही बीएस-6 ईंधन की शुरुआत हो चुकी है। सरकार परिवहन क्षेत्र में सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। सरकार बायो-रिफाइनरियों की स्थापना कर रही है और एथेनॉल के नए स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम तेल विपणन कंपनियों को 10% मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने में सक्षम बनाएगा।

## 2. पश्मीना उत्पादों को बीआईएस प्रमाणपत्र मिला

- भारतीय मानक ब्यूरो ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए उसकी पहचान, निशानी और लेबल लाने की प्रक्रिया को भारतीय मानक के दायरे में रख दिया है। इन मानकों को वर्तमान में लेह में जारी किया गया।

- कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस प्रमाणीकरण से पश्मीना उत्पादों में मिलावट में रोक लगेगी और पश्मीना कच्चा माल तैयार करने वाले घुमंतू कारीगरों तथा स्थानीय दस्तकारों के हितों की रक्षा होगी। इससे उपभोक्ताओं के लिए पश्मीना की शुद्धता भी सुनिश्चित होगी।
- सरकार का कहना है कि पश्मीना के बीआईएस प्रमाणीकरण से नकली या घटिया उत्पादों पर रोक लगेगी। उल्लेखनीय है कि ऐसे उत्पादों को बाजार में असली पश्मीना के नाम पर बेचा जाता है।
- उल्लेखनीय है कि घुमंतू पश्मीना बकरी पालक समुदाय छांगथांग के दुर्गम स्थानों में रहते हैं और आजीविका के लिए पश्मीना पर ही निर्भर हैं। इस समय 2400 परिवार 2.5 लाख बकरियों का पालन कर रहे हैं। पश्मीना के बीआईएस प्रमाणीकरण से इन परिवारों के हितों की रक्षा होगी और युवा पीढ़ी इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित होंगे। इसके अलावा अन्य परिवार भी इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- लद्दाख विश्व में सबसे उन्नत किस्म के पश्मीना का उत्पादन करता है। इस समय वहाँ 50 मीट्रिक टन पश्मीना का उत्पादन होता है। कपड़ा मंत्रालय का लेह में बकरियों के बाल काटने के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत से एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त कदम से लद्दाख के पश्मीना उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।
- छांगथांगी या पश्मीना बकरी लद्दाख के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्हें बेहतरीन ऊन के लिए पाला जाता है। छांगथांगी बकरी के बाल बहुत मोटे होते हैं और इनसे विश्व का बेहतरीन पश्मीना प्राप्त होता है जिसकी मोटाई 12-15 माइक्रॉन के बीच होती है।

## 3. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मॉस्को में इसरो तकनीक संपर्क इकाई को दी मंजूरी

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉस्को, रूस में एक इसरो तकनीक संपर्क इकाई (आईटीएलयू) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
- मॉस्को स्थित आईटीएलयू पर वेतन, कार्यालय खर्च, किराये, कर आदि के मद में औसतन लगभग 1.50 करोड़ रुपये सालाना का व्यय होगा।
- मॉस्को में इसरो तकनीक संपर्क इकाई (आईटीएलयू) इसरो के कार्यक्रम संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न मसलों पर रूस और पड़ोसी देशों के साथ समय-समय पर संवाद के प्रभावी तकनीक समन्वय को आसान बनाएगी।
- इसरो द्वारा आईटीएलयू में नियुक्त संपर्क अधिकारी शोध और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों के बारे में तकनीक जानकारियां और संबंधित देशों के शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों के साथ बैठकों में मिला ब्यौरा उपलब्ध कराएगा। वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के जारी द्विपक्षीय कार्यक्रमों को भी सहयोग देगा और संबंधित मसलों पर इसरो की तरफ से काम करेगा।
- इससे इसरो परस्पर तालमेल कायम करने के लिए रूस और पड़ोसी देशों में अंतरिक्ष एजेंसियों/ उद्योगों के साथ सहयोग में सक्षम हो जाएगा।
- इसरो के गगनयान कार्यक्रम को कुछ प्रमुख तकनीकों के विकास और विशेष सुविधाओं की स्थापना की जरूरत है, जो अंतरिक्ष में जीवन को सहारा देने के लिए आवश्यक हैं।
- गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को हकीकत बनाने के लिए 15 अगस्त, 2022 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ तकनीक भागीदारी कायम करना ही समझदारी है, जो अपने खास क्षेत्रों में तकनीक क्षमताओं का पहले ही प्रदर्शन कर चुकी है। इस दिशा में रूस के साथ भागीदारी की योजना है, जो कई क्षेत्रों के लिहाज से अहम रहेगी।
- आईएलटीयू मॉस्को का प्रबंधन इसरो से समायोजन पर "काउंसलर (अंतरिक्ष)" के तौर पर नियुक्त इसरो वैज्ञानिक/ अभियंता द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा सहयोग दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को स्वीकृति के 6 महीनों के भीतर पूरा किए जाने की योजना है।
- संपर्क अधिकारियों द्वारा शोध और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों के बारे में तकनीक जानकारियां और संबंधित देशों के शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों के साथ बैठकों में मिला ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा। वे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए जारी द्विपक्षीय कार्यक्रमों को भी सहयोग देंगे और संबंधित मसलों पर इसरो की तरफ से काम करेंगे।
- अंतरिक्ष विभाग ने इससे पहले वाशिंगटन, अमेरिका और पेरिस, फ्रांस में इसरो तकनीक संपर्क इकाइयों (आईटीएलयू) की स्थापना की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्रमशः अमेरिका और यूरोप में सरकार व अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ संबंध कायम करना था। भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग संबंध काफी मजबूत है, जो अंतरिक्ष युग की शुरुआत के

समय से ही कायम हैं। वर्तमान में दोनों देश अंतरिक्ष कार्यक्रम के विविध क्षेत्रों में सक्रिय तौर पर संवाद कर रहे हैं। रूस के साथ भागीदारी बढ़ाने के अलावा भारत ने रूस के आसपास के देशों के साथ भी अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीक भागीदारी को बढ़ाने के लए समन्वय और सहयोग को बनाए रखना है।

## 4. अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौता

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में होने वाली मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनआईएसए) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
- इस संधि पर हस्ताक्षर से निवेशकों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेशकों को वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के पालन की भारत की प्रतिबद्धता को लेकर सकारात्मक संदेश दिया जा सकेगा।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के क्रम में मध्यस्थता के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने के लिए सरकार एक वैधानिक संस्था के रूप में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) स्थापित करने जा रही है।
- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन कर दिया गया है और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन के लिए वैधानिक प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इन पहलों का उद्देश्य भारत में मध्यस्थता और सुलह के एडीआर तंत्र के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान को प्रोत्साहन देना है।
- कुछ चुनिंदा श्रेणी के मामलों में पूर्व-संस्थान स्तर पर मध्यस्थता और समाधान को अनिवार्य बनाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में एक नया चैप्टर (3ए) शामिल किया गया है। इस प्रकार 'संधि' के प्रावधान घरेलू कानूनों और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत के प्रयासों के अनुरूप हैं।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2018 को मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को स्वीकार किया था। महासभा को 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में होने वाले एक समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर कराने के लिए अधिकृत किया गया था और इसे "मध्यस्थता पर सिंगापुर संधि" (संधि) के नाम से जाना जाएगा।
- संधि, मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुलह समझौतों को लागू करने के लिए एक समान और कुशल तंत्र उपलब्ध कराती है और विभिन्न पक्षों के लिए ऐसे समझौतों, मध्यस्थता फैसले देने के लिए विदेशी पंचाट फैसलों को मान्यता देने और लागू कराने पर संधि (न्यूयॉर्क संधि 1958) से संबंधित तंत्र के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करती है।
- संधि दो अतिरिक्त आधारों का भी वर्णन करती है, जिनके आधार पर एक अदालत राहत देने से इनकार कर सकती है। ये आधार इस वास्तविकता से संबंधित हैं कि विवाद का मध्यस्थता के द्वारा समाधान नहीं हो पाएगा या यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है।

## 5. मूल्य-आधारित शिक्षा प्रणाली

- हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने एकीकृत मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली के बारे में जोर दिया जिसमें 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए किसी व्यक्ति के सर्वांगीण और समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।
- उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, परम्पराओं, इतिहास और विरासत से संबंधित पाठों को शिक्षा में शामिल करने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में भारत केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो सभी को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराके हमारे देश को एक समान तथा जीवंत ज्ञान से परिपूर्ण समाज में निरंतर परिवर्तन लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे। उपराष्ट्रपति ने बुद्धिजीवियों और अन्य जनों से शिक्षा नीति का अध्ययन करने और अपने सुझाव देने का भी अनुरोध किया।
- उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सूचना प्रोद्योगिकी के नवीनतम क्षेत्रों के बारे में सचेत रहना चाहिए और अपने ज्ञान और कौशल का उन्नयन करना चाहिए। यह देखते हुए कि शिक्षा एक आदमी को सभ्य, सुसंस्कृत, प्रतिष्ठित और कुशल बनाती है।
- शिक्षा केवल रोजगार के लिए ही नहीं है, बल्कि उसे एक व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक भी बनाना चाहिए जो दूसरो के कष्ट को समझे और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो।
- छात्रों को बड़ा सपना देखने और ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह देते हुए उपराष्ट्रपति ने छात्रों को अनुशासन, कठोर परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई जैसे गुणों का समावेश करने तथा सामाजिक जागरूकता विकसित करने के लिए कहा, ताकि जीवन में उच्च पदों तक पहुंचा जा सके।

- मातृभाषा या देशी भारतीय भाषाओं के महत्त्व के बारे में बताते हुए उपराष्ट्रपति ने प्राइमरी स्कूल स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं में शारीरिक फिटनेस की जरूरत पर भी जोर दिया।

## 6. भारत और ट्यूनीशिया के बीच समझौता ज्ञापन

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेंषण और उपयोग में सहयोग के बारे में भारत और ट्यूनीशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।
- यह समझौता ज्ञापन, पृथ्वी की रिमोट सेंसिंग, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह-संबंधी अन्वेषण जैसे क्षेत्रों सहित अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में सहयोग करने में समर्थ बनाएगा
- यह समझौता ज्ञापन अंतरिक्ष विभाग/इसरो भारत तथा नेशनल सेंटर और कार्टोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग, ट्यूनीशिया के सदस्यों को शामिल करके एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने में मदद करेगा, जो समय-सीमा और समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन के तरीकों सहित कार्य-योजना भी तैयार करेगा।
- उल्लेखनीय है कि ट्यूनीशिया के संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री ने जुलाई 2015 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की थी।
- ट्यूनीशिया अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए इसरो के अनुभव से सीखने का इच्छुक है। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में भारत और ट्यूनीशिया, बंगलूरू में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

## 7. कौशल निर्माण प्रणाली के लिए स्किल इंडिया की संकल्प योजना

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने प्रथम प्रोग्राम गवर्नेंस बोर्ड, जो कि इस योजना के शासन के लिए शीर्ष निकाय है, बैठक में मंत्रालय के विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त "आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण एवं अभियान जागरुकता (संकल्प) कार्यक्रम" की समीक्षा की।
- देशभर के सभी 36 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों ने संकल्प में प्रतिभागिता के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत कर दी है और मंत्रालय द्वारा नौ राज्यों (नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, एवं उत्तर प्रदेश) को प्रथम वर्ष के लिए कुल राशि जारी कर दी गई है। इन राज्य अनुदानों के अतिरिक्त अकांक्षापूर्ण कौशल निर्माण अभियान के तहत 117 आकांक्षी जिलों को भी 10 लाख रुपए जारी किए गए। कौशल डेटा के संग्रह एवं कवरेज के लिए संकल्प के तहत "स्किल इंडिया पोर्टल" नामक एक मजबूत आईटी प्रणाली भी विकसित की गई।
- मंत्री ने उल्लेख किया कि जिला कौशल निर्माण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कौशल निर्माण को लेकर युवाओं की अवध ारणा में सुधार लाने की आवश्यकता है और सुझाव दिया कि जिला कौशल समिति (डीएससी) को अपने जिलों में युवाओं को परामर्श देने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सांसदों को जिला कौशल समिति (डीएससी) के प्रदर्शन एवं उनके जिलों में विभिन्न कौशल निर्माण प्रयासों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण इस प्रणाली का एक प्रमुख संघटक है और इसे सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।
- संकल्प कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) का एक परिणाम आधारित केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका विशेष फोकस विकेन्द्रित, विनियोजन एवं गुणवत्ता सुधार पर है। यह केन्द्रीय एवं राज्य दोनों ही एजेंसियों को शामिल करते हुए समग्र कौशल निर्माण प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- संकल्प का उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) के अधिदेश को कार्यान्वित करना है। संकल्प के तहत चार प्रमुख परिणाम क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनके नाम है (i) संस्थागत सुदृढ़ीकरण (राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर); (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों का गुणवत्तापूर्ण आश्वासन; (iii) कौशल विकास में अधिकार विहीन आबादी का समावेश; एवं (iv) सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के जरिए कौशलों को विस्तारित करना।
- इसके अतिरिक्त, यह भी जानकारी दी गई कि मंत्रालय ने जिला स्तर पर कौशल योजना को बढ़ावा देने के लिए "जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) पुरस्कार" नामक एक पुरस्कार का गठन किया है। इसके तहत, पूरे देश में 225 जिलों ने अपना डीएसडीपी प्रस्तुत करने के द्वारा इसमें सहभागिता की है।

# सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

## 1. कृषि और संबंधित क्षेत्र में योजित सकल मूल्य वृद्धि की संवृद्धि दर (2011-12 कीमतें)

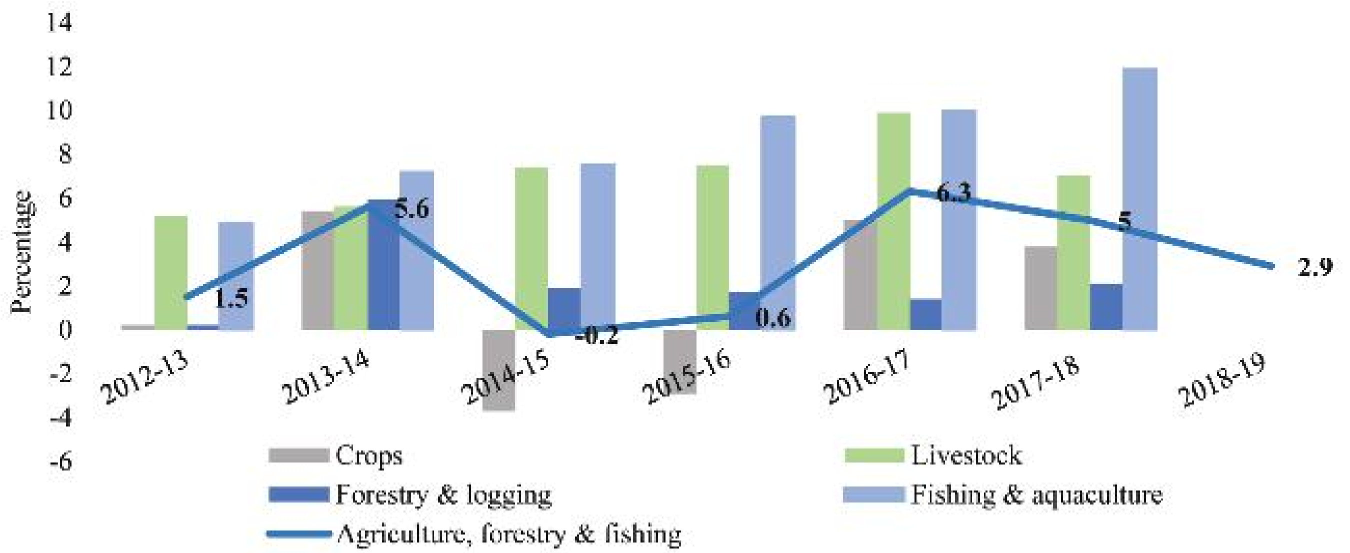


स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

### महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में आबादी के बड़े हिस्से के लिए कृषि सर्वप्रथम व्यवसाय बना हुआ है। इतने वर्षों में इस क्षेत्र के सम्मुख कई नई चुनौतियां आई हैं। कृषि जोत के विभाजनों और जल संसाधनों में आ रही कमी को देखते हुए एक संसाधन दक्ष आईसीटी आधारित जलवायु अनुकूल (क्लाइमेट स्मार्ट) कृषि से कृषि उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ाया जा सकता है।
- कृषि में सकल मूल्य वृद्धि (Gross Value Added) वर्ष 2014-15 में 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक से 2016-17 में 6.3 प्रतिशत धनात्मक रही जोकि 2018-19 में फिर 2.9 प्रतिशत तक शिथिल पड़ गई। जबकि फसलों, पशु और वन क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि के दौरान वृद्धि दरों में घट-बढ़ की स्थिति दिखाई दी थी। मत्स्य पालन क्षेत्र ने वर्ष 2012-13 में 4.9 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 11.9 प्रतिशत की तीव्र बढ़त दर्शाई है।
- वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वास्तविक दृष्टि से औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 2.88 रही है। तथापि विचरण के गुणांक (Cofficient of Variation) द्वारा किए गए मापन अनुसार उत्पादन वृद्धि की अस्थिरता वर्ष 1961-1988 की अवधि में 2.7 से 1989-2004 के दौरान 1.6 और वर्ष 2005 से 2018 के दौरान 0.8 तक घट गई है।
- सकल मूल्य वृद्धि में कृषि, वन, मत्स्य पालन क्षेत्र का अंशदान 2015-16 में 15.3 प्रतिशत से निरंतर घटकर वर्ष 2018-19 में 14.4 प्रतिशत तक हो गया। यह कमी मुख्यत: सकल मूल्य वृद्धि में फसल क्षेत्र के अंश वर्ष 2015-16 के 9.2 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में घटकर 8.7 प्रतिशत हो जाने से हुई है। सकल मूल्य वृद्धि में मत्स्य क्षेत्र का अंशदान 2014-15 में 0.8 प्रतिशत था जो 2017-18 में 0.9 प्रतिशत हो गया है, अर्थात् यह 0.1 प्रतिशत बिंदु तक ही बढ़ा है। सकल मूल्य वृद्धि में पशुपालन क्षेत्र का अंशदान 2012-13 से 2017-18 तक 4 प्रतिशत पर बना रहा जबकि 2017-18 में वानिकी और लठ्ठे बनाने का अंशदान 1.2 प्रतिशत रहा।
- कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सकल मूल्य वृद्धि के प्रतिशत के रूप में सकल पूँजी निर्माण (Gross Capital Formation) में वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत की बढ़त दिखाई दी किंतु तत्पश्चात वर्ष 2017-18 में यह घटकर 15.2 प्रतिशत हो गई।

## 2. राज्यों को अंतरण (जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

**महत्वपूर्ण तथ्य**

- राज्यों को निधियों के अंतरण में अनिवार्य रूप से तीन घटक होते हैं: राज्यों को हस्तांतरित की गई केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, वित्त आयोग अनुदान व केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस) तथा अन्य अंतरण।
- वर्ष, 2013-14 तक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियां दो चैनलों अर्थात राज्यों की समेकित निधियों तथा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण के माध्यम से दी जाती थीं।
- 2014-15 से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरण को बंद कर दिया गया और सीएसएस के लिए निधियां सहित राज्यों को सभी अंतरण राज्यों की समेकित निधियों के माध्यम से दिया जाने लगा।

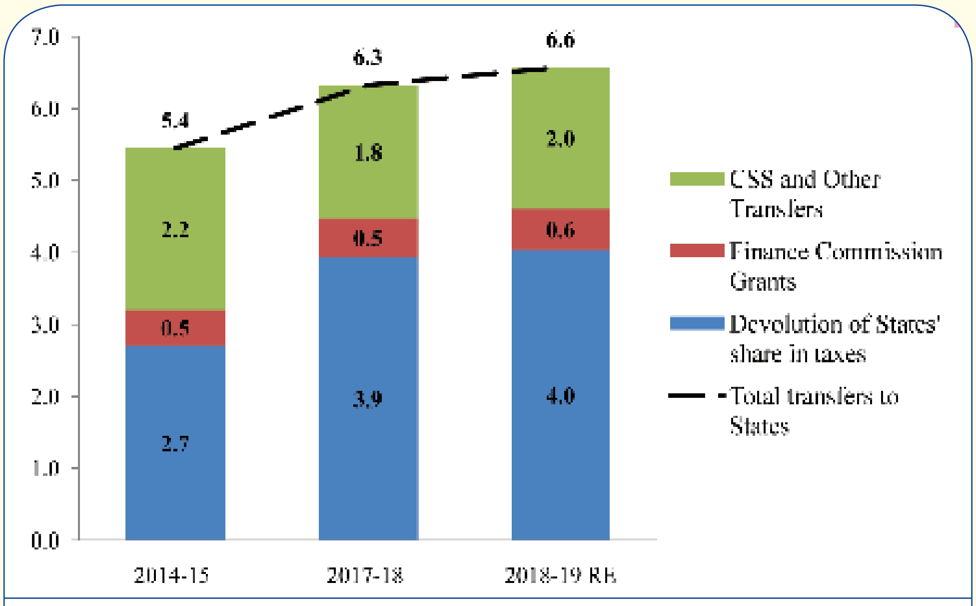


स्रोत: व्यय विभाग
आरई: संशोधित अनुमान (अंतरिम केन्द्रीय बजट के अनुसार)

- चौदहवें वित्त आयोग के सिफारिश पर केन्द्रीय कर राशि में से राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रश्ता से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया (वर्ष 2015 से)।

## 3. खाना बनाने के लिए स्वच्छ साधनों की सुविधा विहीन आबादी का प्रतिशत

**महत्वपूर्ण तथ्य**

- वर्ष 2011-12 में लगभग 34 प्रतिशत परिवारों द्वारा खाना बनाने के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में जलाऊ लकड़ी और टुकड़ों का प्रयोग होता था जबकि इन परिवारों में से केवल 50 प्रतिशत द्वारा ही खाना बनाने के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में एलपीजी का उपयोग किया जाता था।
- एक ओर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच ऊर्जा उपलब्धता की दृष्टि से बड़ा अंतर है तो दूसरी ओर विभिन्न आर्थिक स्तरों पर परिवारों के बीच ऊर्जा उपलब्धता में भी व्यापक विविधता बनी हुई है।

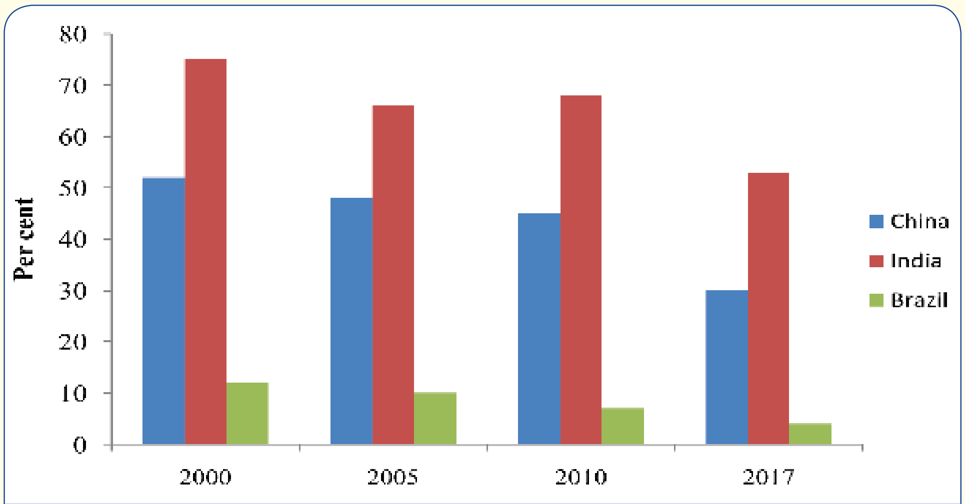


स्रोत: आईईए विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2018 से लिया गया डाटा।

- खाना बनाने हेतु स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता हाल के वर्षों में प्रभावी रूप से बढ़ी है, विशेष रूप से उज्ज्वला योजना जैसे भारत सरकार के प्रयासों के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय ऊजा एजेंसी (आईईए, 2018) के अनुसार वर्ष 2010 में 68 प्रतिशत आबादी को खाना बनाने की स्वच्छ सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जबकि वर्ष 2017 में भारत में 53 प्रतिशत आबादी के पास खाना बनाने की स्वच्छ सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- अन्य उच्च मध्यम आय वाले देशों जैसे चीन में 30 प्रतिशत, ब्राजील में 4 प्रतिशत और मलेशिया में 1 प्रतिशत से कम की तुलना में भारत की स्थिति अभी भी बहुत दयनीय है।
- सरकार प्रत्येक परिवारों तक खाना बनाने हेतु स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना खाना बनाने हेतु स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करा कर महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में शुरू की गयी थी। इसी स्कीम के तहत अप्रैल 2019 तक लगभग सात करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

# 4. भारत के 5-14 वर्ष के आयु वर्ग की 1 मिलियन जनसंख्या पर प्राथमिक स्कूलों की संख्या

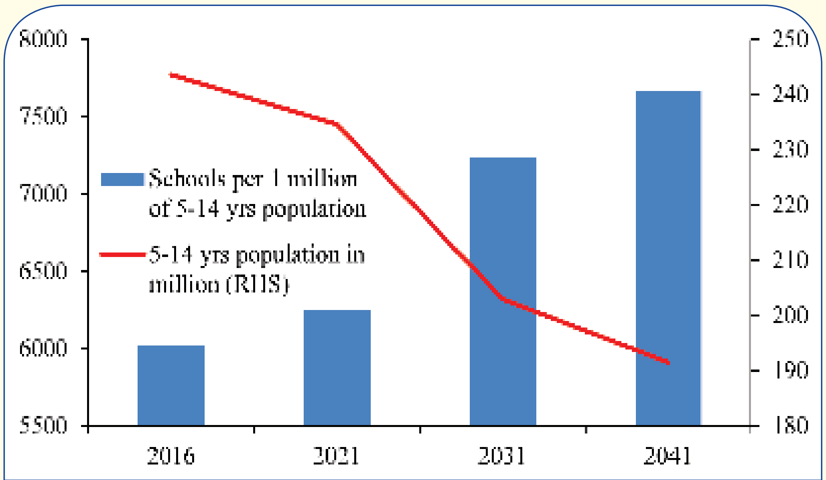


स्रोतः स्कूली शिक्षा पर संयुक्त जिला सूचना, नमूना पंजीकरण प्रणाली, आईआईपीएस
टिप्पणीः गणना, आईआईपीएस 2021-41 के बीच 5-14 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रक्षेपण और 2016 के स्तर पर प्राथमिक स्कूलों की संख्या पर आधारित है।

## महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 2016 की स्थिति के अनुसार 5-14 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या, जो लगभग प्राथमिक स्कूल में जाने वाले बच्चों से संबंधित है, वो भारत और सभी प्रमुख राज्यों में केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पहले ही घटना शुरू हो गई है।
- जनसंख्या पूर्वानुमान दर्शाते हैं कि ये रूझान 2041 तक जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में वर्ष 2041 तक 5-14 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या में तेजी से कमी होगी।
- यह भी ध्यान रखा जाए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य-प्रदेश जैसे राज्यों में भी यह संख्या कम होगी। समग्र रूप से, 2021 और 2041 के बीच भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में 18.4 प्रतिशत तक कमी होगी। इसके बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे।
- प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों की घटती संख्या के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए, भारत और सभी प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति स्कूलों की संख्या काफी बढ़ेगी, बेशक स्कूलों की संख्या में और वृद्धि न भी की जाए तब भी।
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक विद्यालय में 50 से कम विद्यार्थियों का दाखिला है।

# 5. भारत में 1 मिलियन जनसंख्या के प्रति सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या

## महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यदि भारत के अस्पतालों की सुविधाएं वर्तमान स्तर पर ही रहती हैं तो अगले दो दशकों में बढ़ती हुई जनसंख्या (जनसंख्या वृद्धि दर के धीमा होते हुए भी) सीधे तौर पर प्रति व्यक्ति अस्पताल बेड दर की उपलब्धता को पूरे भारत के बड़े राज्यों में तेजी से कम कर देगी।
- पहले से ही भारत अन्य उभरती और विकसित देशों से प्रति व्यक्ति अस्पताल बेड उपलब्धता दर में बहुत अधिक पीछे है।

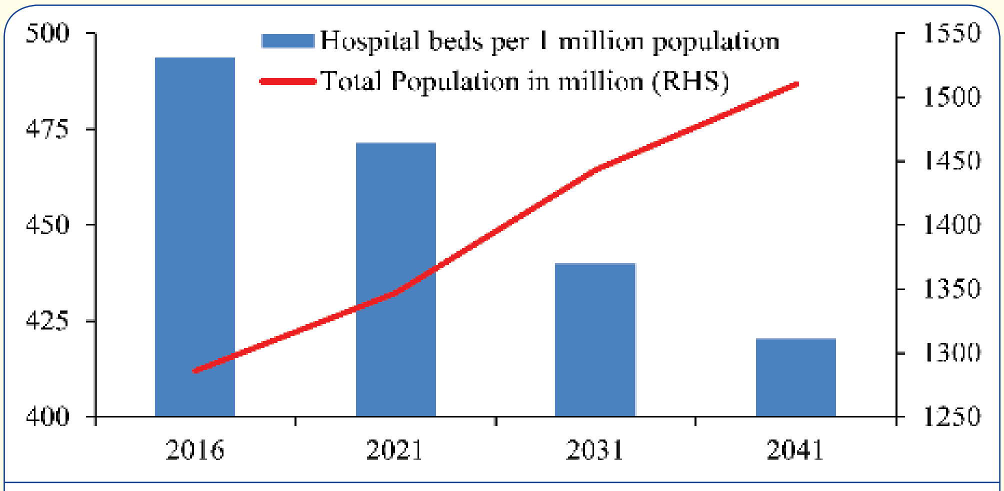


स्रोतः केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, नमूना पंजीकरण, आईआईपीएस।
टिप्पणीः सरकारी अस्पताल बेड 2016 लेवल से और 2021-41 के लिए पूर्व अनुमानित जनसंख्या की गणना आईआईपीएस से।

- अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में अस्पतालों की कम प्रति व्यक्ति उपलब्धता दर है। इसलिए, इन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की अति आवश्यकता है।
- उन राज्यों में जहाँ जनांकिकीय परिवर्तन उच्च स्तर पर है, वहाँ आयु संरचना में जल्द परिवर्तन का मतलब यह होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का अत्यधिक प्रावधान रखना।
- चिकित्सा सुविधाओं में आँकड़ों की कमी खासकर निजी अस्पतालों के लिए, एक बड़ी समस्या है, सरकारी अस्पतालों के उपलब्ध आँकड़ों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है परन्तु यह सामान्य शोध से साफ हो गया है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणात्मक एवं मात्रात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं हैं।

## 6. राज्यों में 2016 में कुल गर्भ धारण दर

**महत्वपूर्ण तथ्य**

- पिछले कुछ समय से जनसंख्या वृद्धि दर धीमी पड़ी है। यह 1971-81 में 2.5 प्रतिशत वार्षिक से घट कर 2011-16 में 1.3 प्रतिशत रह गई है।
- इस अवधि के दौरान सभी प्रमुख राज्यों में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है। यह कमी उन राज्यों में भी आई है जिनमें ऐतिहासिक दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि दर काफी अधिक रही है जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा।
- दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम और हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या 1 प्रतिशत की वृद्धि दर से भी कम पर बढ़ रही है।

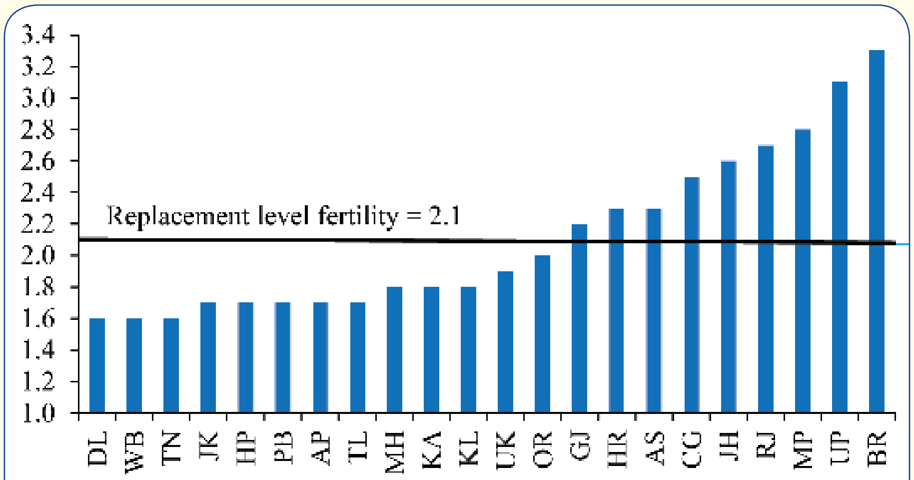


स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली

- इस रुझान का मुख्य कारण यह है कि 1980 के दशक से भारत में कुल गर्भ धारण दर में लगातार गिरावट आई है। यद्यपि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से तो पता चलता है कि भारत में गर्भ धारण दर में यह गिरावट अपेक्षाकृत धीरे है। फिर भी यह दर 1984 के 4.5 से आधी होकर 2016 में 2.3 हो गयी थी।
- जब हम बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि अपनी प्रति व्यक्ति आय के कम होने के बावजूद, भारत की वर्तमान गर्भ धारण दर 2.3 रही है, लेकिन यह अन्य एशियाई देशों के बराबर ही है।

## 7. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रैंकिंग में भारत की प्रगति

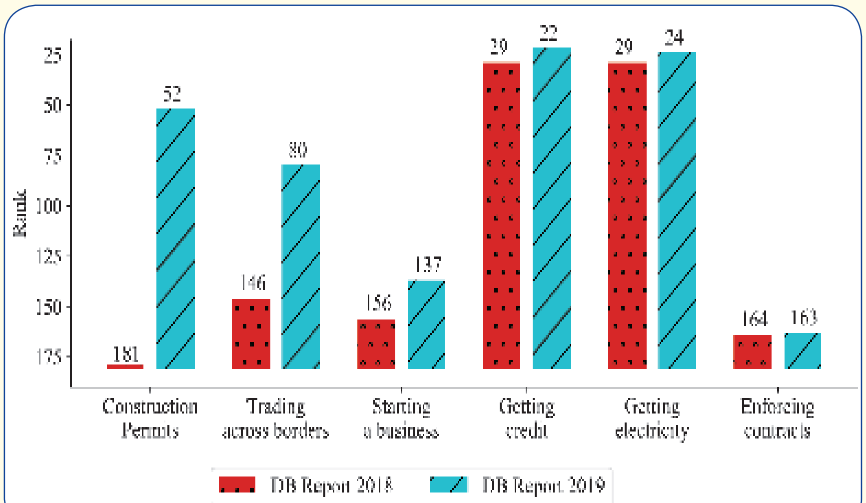


**महत्वपूर्ण तथ्य**

- भारत सरकार ने 2014 से उद्योगों के सुधार संबंधी अनेक कदम उठाए हैं जिनसे समग्र कारोबारी माहौल में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। कारोबारी सुविधा में सुधार हेतु मौजूदा नियमों को सरल और तर्कसंगत बनाने पर तथा शासन को अधिक दक्ष और प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जोर दिया गया है।
- 31 अक्टूबर, 2018 को जारी वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस (डीबी) रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत 190 देशों में अपनी स्थिति को सुधारते हुए 77वें स्थान पर पहुँच गया है और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में अपने 100वें स्थान से 23 स्थान की बढ़त प्राप्त की है।
- वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में 10 संकेतकों को शामिल किया गया है जो किसी एक व्यवसाय के जीवन-चक्र को दर्शाते हैं। भारत ने 10 में से 6 संकेतकों में अपने रैंक में सुधार किया है और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं (दूरी से निकटतम की ओर प्राप्तांक) के करीब पहुँच गया है।
- गौरतलब है कि स्टार्ट-अप आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उद्यमी युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2015 को ''स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया'' पहल की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो स्टार्ट-अप के विकास के लिए अनुकूल हों।
- 1 मार्च, 2019 को, 16,578 नए स्टार्ट-अप को 499 जिलों में मान्यता दी गई। टियर-II और टियर-III शहरों में 47 प्रतिशत स्टार्ट-अप और 46 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में कम से कम एक महिला निदेशक है।

**DHYEYA IAS**®

*most trusted since 2003*

# LEGACY OF SUCCESS CONTINUES ...

## with 122+ selections in CSE 2018

AIR 1 KANISHAK KATARIA

AIR 3 JUNAID AHMED

# ADMISSIONS OPEN FOR *NEW SESSION 2019-20*

**MUKHERJEE NAGAR (DELHI)**
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
16 AUG | 8:30 AM

**OLD RAJENDRA NAGAR (DELHI)**
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
23 AUG | 10:30 AM

**LAXMI NAGAR (DELHI)**
GENERAL STUDIES
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM
UP PCS TARGET FOR PRE
22 AUG | 6 PM

**PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)**
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
19 AUG | 8 AM

**LUCKNOW (ALIGANJ)**
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
19 AUG | 6 PM

**LUCKNOW (GOMTI NAGAR)**
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
19 AUG | 6 PM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 5:30 PM

**LIVE STREAMING**
GENERAL STUDIES
IAS REGULAR BATCH
13 AUG | 10:30 AM
IAS WEEKEND BATCH
17 AUG | 11 AM
PCS BATCH
13 AUG | 7:30 AM

**GREATER NOIDA**
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
13 AUG | 3:30 PM

**COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES**
TARGET 2020
18th AUGUST 2019
TOTAL 37 TESTS

**BHUBANESWAR**
GENERAL STUDIES
Pre-cum-Mains
26 AUG
7:30 AM & 6 PM

**OPTIONAL SUBJECTS**
- Sociology
- History
- Geography
- Political Science

**Face to Face Centres**
**DELHI (MUKHERJEE NAGAR)** : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

**Live Streaming Centres**
**BIHAR** : PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621| **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469| **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099| **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR CALL ON 011 49274400

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

## AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

## DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

## Face to Face Centres

**DELHI (MUKHERJEE NAGAR)** : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

## Live Streaming Centres

**BIHAR**: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

# Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

# Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

**नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |**

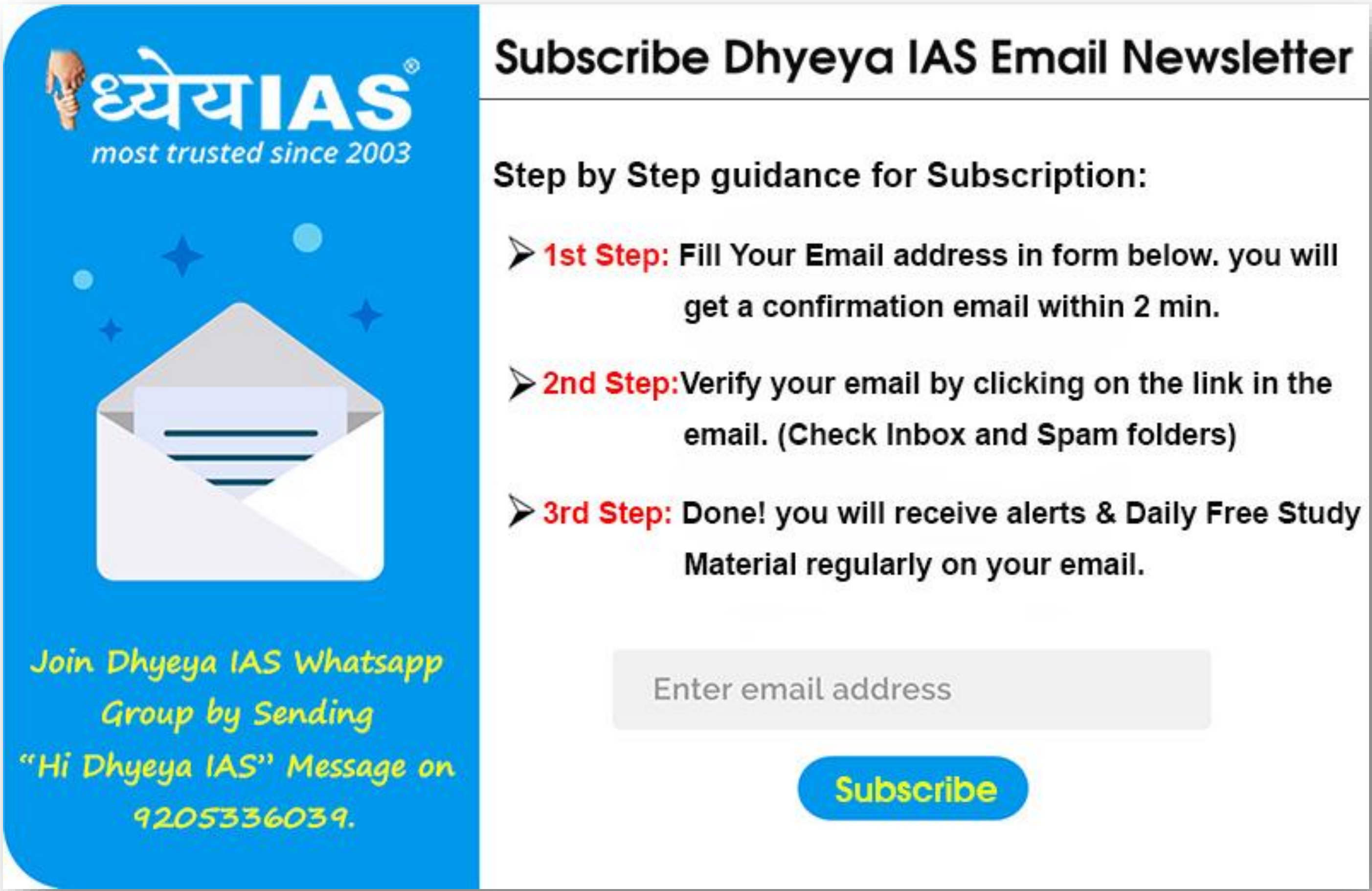



**Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009**
**Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400**

# ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
## Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174442 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

**नोट: अगर आपने हमारा Whatsapp नंबर अपने Contact List में Save नहीं किया तो आपको प्रीतिदिन के मैटेरियल की लिंक प्राप्त नहीं होंगी इसलिए नंबर को Save जरूर करें।**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in



Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400